

अध्याय-॥

**विषय विशिष्ट अनुपालन
लेखापरीक्षाएं**

अध्याय-II: विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाएं

पथ निर्माण विभाग

2.1 पथ कार्यों के अनुबंधों में मूल्य समायोजन का प्रबंध

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड सरकार (झा.स.) के मानक बिडिंग दस्तावेज (मा.बि.द.) में 12 महीने से अधिक की पूर्णता अवधि के कार्य संविदाओं के लिए मूल्य समायोजन (मू.स.) का प्रावधान सम्मिलित था। मू.स. की गणना महीने में निष्पादित कुल कार्यों को सम्मिलित करते हुए प्रति महीने किया जाना था। तदन्तर, वैसे कार्यों, जिसकी पूर्णता अवधि 12 महीने से कम थी, में संवेदकों को/ से अलकतरा के अंतर लागत (अर्थात् प्राक्कलित लागत और क्रय लागत का अंतर) का भुगतान/ वसूली करना था।

‘पथ कार्यों के अनुबंधों में मूल्य समायोजन के प्रबंध की लेखापरीक्षा’ यह मूल्यांकित करने के लिए किया गया कि: (i) एक वर्ष से अधिक की पूर्णता अवधि के कार्य संविदाओं में मू.स. का प्रावधान उचित तरीके से सम्मिलित किया गया था, (ii) एक वर्ष से कम की पूर्णता अवधि वाले कार्यों के एकरारनामा में अलकतरा लागत अंतर से संबंधित अधिसूचना को सम्मिलित किया गया था, (iii) उपयुक्त मु.स. के निर्धारण के लिए सामग्री और मजदूरी हेतु सही थोक मूल्य सूचकांक (थो.मू.सू.), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (उ.मू.सू.) एवं अलकतरा के खुदरा मूल्य को ध्यान में रखा गया था और (iv) मू.स. और अलकतरा के अंतर लागत से संबंधित परिपत्र, आदेश और अधिसूचना का पालन किया गया था।

मू.स. और अलकतरा के अंतर लागत का भुगतान/ वसूली पर जोर देते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 को सम्मिलित करते हुए लेखापरीक्षा ने नौ प्रमंडलों (राज्य के 26 पथ प्रमंडलों में से) का नमूना जांच किया। लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, क्षेत्र और पद्धति को, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड के सचिव के साथ 18 जुलाई 2022 को आयोजित अंतर्गमन सम्मलेन में चर्चा की गयी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि या तो विभाग या संवेदकों की असफलता के कारण आठ कार्यों में विस्तारित पूर्णता अवधि के दौरान ₹ 37.29 करोड़ के मू.स. के रूप में भुगतान के कारण मूल्य वृद्धि हुई और 49 कार्य, दो से 78 महीनों के विलम्ब से पूरा हुआ या अपूर्ण रहा।

तदन्तर, लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध में प्रावधानित और सम्मिलित होने के बावजूद कार्यपालक अभियंताओं ने कई मामलों में लागू मू.स. की गणना नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप पाँच प्रमंडलों के सात पथ कार्यों में ₹ 5.29 करोड़ का अधिक भुगतान संवेदकों को किया गया। तदन्तर, सात प्रमंडलों के 11 पथ कार्यों में

निष्पादित कार्यों के मूल्यांकन हेतु गलत मानदंड अपनाने जैसे, कार्यों के मूल्य का मासिक औसत लेना, सिर्फ उसी महीने का मू.स. की गणना करना जिसमें कार्य का मापी लिया गया था, पूर्व में भुगतान किये गए मू.स. को आगामी चलंत विपत्रों में शामिल करने, इत्यादि के कारण संवेदकों को ₹ 3.98 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। दो प्रमंडलों के दो पथ कार्यों में निधि की कमी के कारण चलंत विपत्र का आंशिक भुगतान किया गया था और संबंधित महीना जिसमें मू.स. की गणना की गयी थी, में निष्पादित कार्यों के वास्तविक मूल्य की गणना कमतर विपत्र के आधार पर किया गया था। कार्यपालक अभियंता (कार्य. अभि.) के द्वारा मू.स. की गलत गणना के कारण दो प्रमंडलों में संवेदकों के विपत्रों से ₹ 1.53 करोड़ का समायोजन नहीं किया जा सका।

तीन प्रमंडलों के पाँच पथ कार्यों, जिसकी पूर्णता अवधि 12 महीने से कम थी, जनवरी 2004 की अधिसूचना में निर्देश होने के बावजूद इन कार्यों के अनुबंध में अलकतरा अंतर लागत का भुगतान/ वसूली से संबंधित कंडिका शामिल नहीं किये गए थे जिसके कारण कार्य. अभि. के द्वारा अलकतरा के अंतर लागत की गणना नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, विभाग को ₹ 1.98 करोड़ की हानि सहन करनी पड़ी। वसूलनीय अलकतरा अंतर की लागत, प्रभावी अनुसूचित दर (एस.ओ.आर.) में दिए गए दर की तुलना में निष्पादित अवधि में अलकतरा के मूल्य में कमी के कारण थी।

अधिक भुगतान के संबंध में विभाग ने कहा (मार्च 2023) कि आठ कार्यों में ₹ 3.83 करोड़ की वसूली हो गयी है; सात कार्यों में वसूली की कार्रवाई आरम्भ की गयी है; तीन कार्यों में पुनर्गणना के बाद वसूली की कार्रवाई की जायेगी; और एक कार्य जो अदालत में विचाराधीन है, में अंतिम निर्णय के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी। एक मामला का जवाब नहीं दिया गया। तदन्तर, अलकतरा के अंतर लागत के संबंध में विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा कि वसूली की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की जा सकी क्योंकि संबंधित कंडिका न तो एन.आई.टी. में शामिल की गयी थी न ही अनुबंध में। तथापि, विभाग ने यह आश्वासन दिया कि अलकतरा अंतर लागत के भुगतान/ वसूली से संबंधित प्रावधान भविष्य के कार्यों के अनुबंध में सम्मिलित किया जाएगा।

इस हेतु, लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि:

(i) विभाग अनुबंध के आलोक में निष्पादित कार्यों का मासिक माप एवं मापी पुस्त में मासिक प्रविष्टि और मू.स. की मासिक गणना सुनिश्चित करें।

(ii) अलकतरा अंतर लागत से संबंधित कंडिका को निविदा में शामिल करना सुनिश्चित करें।

विभाग ने 2 मार्च 2023 को आयोजित बहिर्गमन सम्मलेन में लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को स्वीकार किया।

2.1.1 परिचय

अनुबंध में मूल्य समायोजन (मू.स.) कंडिका यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अनुबंध सभी संबंधित पक्षों के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य है, यह मानते हुए कि अनुबंध निष्पादन के समय की वित्तीय, वाणिज्यिक और आर्थिक स्थिति इसकी पूरी अवधि में प्रायः परिवर्तित होती रहती है। लोक निर्माण के किसी अनुबंध में सामग्री और मजदूरी के सूचकांक से जुड़ा हुआ मू.स. कंडिका सामान्य महंगाई के विरुद्ध बचाव हेतु आवश्यक है।

झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने पथ कार्यों के अनुबंध के लिए मानक बिडिंग दस्तावेज (मा.बि.द.) नवम्बर 2007 में लागू किया। 12 महीने से अधिक की पूर्णता अवधि वाले कार्यों के लिए मा.बि.द. में मू.स. का प्रावधान है। मू.स. की गणना प्रतिमाह, महीने में निष्पादित किये गए कुल कार्यों को सम्मिलित करते हुए, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक¹ (थो.मू.सू.), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक² (उ.मू.सू.), भारतीय तेल निगम (भा.ते.नि.) के डिपो में अलकतरा के खुदरा मूल्य³ और अनुबंध में दर्शाई गयी कार्यों में सामग्री और मजदूरी अवयव की प्रतिशतता के आधार पर किया जाना था (परिशिष्ट-III)।

तदन्तर, थो.मू.सू. (2004-05 और 2011-12) और उ.मू.सू. (2001 और 2016) प्रत्येक की दो श्रेणियाँ थीं। सड़क परिवहन और उच्च पथ मंत्रालय (स.प.उ.प.मं), भारत सरकार ने मू.स. की गणना हेतु नयी श्रेणी में कुछ सामग्रियों⁴ के नामकरण और उसके प्रभावी तिथियों⁵ के परिवर्तन को अधिसूचित किया (जून 2014 और जून 2018)। पूर्ववर्ती संविदाओं जिनमें आधार सूचकांक⁶ पुरानी श्रेणियों, जिसे नयी श्रेणी में आने से रोक दिया गया था, से लिए जाने थे, में भी श्रृंखला घटक⁷ का इस्तेमाल किया जाना था।

¹ वस्तुओं और सामग्री की विभिन्न घटकों के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय/ आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार (भा.स.) द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांक।

² भारतीय श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए निर्गत उ.मू.सू.।

³ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (भा.ते.नि.लि.) द्वारा निर्गत अलकतरा का खुदरा मूल्य।

⁴ थो.मू.सू. 2004-05 श्रृंखला में ग्रे सीमेंट और स्टील (रीबार), जो 2011-12 श्रृंखला में क्रमशः साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (ओ.पो.सी.) एवं एमएस (ब्राइट बार) थे।

⁵ 2011-12 थो.मू.सू. श्रृंखला 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी थी और 2016 का उ.मू.सू. श्रृंखला 1 सितम्बर 2020 से प्रभावी थी।


⁶ बोली खुलने की तिथि से 28 दिन पहले के थो.मू.सू. या उ.मू.सू.।

⁷ लिफ्टिंग फैक्टर (नई श्रृंखला का गुणन कारक) थो.मू.सू. (2011-12) को थो.मू.सू. (2004-05) में परिवर्तित करने के लिए था और इसे उन अनुबंधों पर लागू किया जाना था, जिन्हें नई श्रृंखला की प्रभावी तिथियों से पहले अर्थात् अप्रैल 2017 से पहले निष्पादित किया गया था, लेकिन बाद में पूरा किया जाना था, जब पुरानी श्रृंखला का प्रकाशन बंद यानी मार्च 2017 के बाद कर दिया गया था। थो.मू.सू. 2011-12 श्रृंखला के लिए गुणन कारक सभी वस्तुओं के लिए 1.641, ओ.पी.सी. के लिए 1.625 और एम एस ब्राइट बार के लिए 1.902 था। इसी तरह, उ.मू.सू. 2016 श्रृंखला के लिए, यह बोकारो केंद्र के लिए 2.78, झरिया के लिए 3.29 और जमशेदपुर के लिए 3.24 था।

इसके अतिरिक्त, निष्पादन अवधि में अलकतरा के प्राक्कलित लागत की तुलना में खरीद लागत में वृद्धि के कारण पथ कार्यों के अनुबंध में संवेदकों को अलकतरा अंतर लागत की क्षतिपूर्ति के लिए झा.स. ने एक अधिसूचना निर्गत किया (जनवरी 2004)। तथापि, अलकतरा के मूल्य में कमी के मामले में अनुबंध राशि से कटौती किया जाना था। बाद में, झा.स. ने अधिसूचना द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया (जुलाई 2011) कि यह अधिसूचना वैसे कार्यों के अनुबंध का भाग होगा जिसकी पूर्णता अवधि 12 महीने से कम होगी।

2.1.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

राज्य की सड़क संरचनाओं में राष्ट्रीय उच्च पथ (एन.एच.), राज्य उच्च पथ (एस.एच.), प्रमुख जिला पथ (एम.डी.आर.), अन्य जिला पथ (ओ.डी.आर.) और ग्रामीण पथ शामिल हैं। यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.वि.अ.ले.) एस.एच., एम.डी.आर. एवं ओ.डी.आर. हेतु निष्पादित संविदाओं के लिए किया गया, जिसका प्रशासनिक विभाग पथ निर्माण विभाग था। विभाग का संगठन चार्ट नीचे दिया गया है:



लेखापरीक्षा नमूना के चयन के लिए, राज्य के 24 जिलों को, मौजूदा पाँच अंचलों⁸ में विभक्त किया गया और सभी संविदाओं के उचित कवरेज के लिए सांख्यिकीय

⁸ चाईबासा, डाल्टेनगंज, दुमका, हजारीबाग और राँची।

नमूनाकरण के द्वारा इन अंचलों में से नौ प्रमंडलों⁹ को चयनित किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि को आच्छादित करते हुए मई 2022 से अगस्त 2022 के बीच लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों के मूल्यांकन हेतु किया गया कि:

- (i) एक वर्ष से अधिक की पूर्णता अवधि के कार्यों के बिड दस्तावेज़ में मू.स. संबंधी प्रावधान सही तरीके से सम्मिलित किया गया था;
- (ii) वैसे कार्यों जिसकी पूर्णता अवधि एक वर्ष से कम थी, अलकतरा के अंतर लागत के भुगतान/ वसूली से संबंधित प्रावधान को इन कार्यों के अनुबंध का भाग बनाया गया था;
- (iii) उपयुक्त मू.स. के निर्धारण हेतु सामग्री, मजदूरी, थो.मू.सू. और उ.मू.सू. के साथ-साथ अलकतरा के खुदरा मूल्य का उपयोग किया गया था; और
- (iv) मू.स. और अलकतरा के अंतर लागत से संबंधित विभाग के परिपत्र, आदेश और अधिसूचना का पालन किया गया था।

विभाग के सचिव के साथ 18 जुलाई 2022 को एक अंतर्गमन सम्मलेन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, क्षेत्र और कार्यप्रणाली की चर्चा की गयी थी। पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख के साथ 02 मार्च 2023 को एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा अवलोकनों एवं अनुशंसाओं की चर्चा की गयी थी। बहिर्गमन सम्मेलन में प्रस्तुत विभाग के दृष्टिकोण एवं जवाब को प्रतिवेदन में सही तरीके से शामिल किया गया है। विभाग ने लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को स्वीकार किया। तदंतर, विभाग को एक संशोधित प्रतिवेदन प्रतिक्रिया के लिए (दिसंबर 2023) एवं उसके बाद अनुवर्ती अनुस्मारक 12 जनवरी 2024 को जारी की गई। विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मार्च 2024)।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.3 लागत मूल्य एवं पूर्णता अवधि में वृद्धि

लेखापरीक्षा ने नौ नमूना-जांचित प्रमंडलों के 80 संविदाओं की संवीक्षा की, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 से पूर्व की 44 संविदाएँ शामिल थी। इन 80 कार्यों में से 67 कार्यों (मू.स. हेतु योग्य) की पूर्णता अवधि एक वर्ष से ज्यादा थी और 13 कार्यों (अलकतरा के अंतर लागत हेतु योग्य) को एक वर्ष के अन्दर पूर्ण किया जाना था। इन कार्यों को जून 2014 से अक्टूबर 2021 के बीच पूर्ण किये जाने हेतु प्रमंडलों द्वारा ₹ 3,815.94 करोड़ मूल्य के एकरारनामा निष्पादित किये गये थे (जून 2013 और जनवरी 2020 के बीच) और इन कार्यों पर अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2023 के बीच ₹ 3,643.02 करोड़ खर्च किये गये थे।

⁹ (1) चाईबासा अंचल: मनोहरपुर (2) डाल्टेनगंज अंचल: गढ़वा (3) दुमका अंचल: देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज (4) हजारीबाग अंचल: बोकारो और कोडरमा और (5) राँची अंचल: लोहरदगा और सिमडेगा।

तदंतर जांच से पता चला कि, 80 कार्यों में से, 23 कार्य¹⁰ निर्धारित तिथि के भीतर ₹ 1,068.32 करोड़ व्यय करने के बाद पूर्ण/ पूर्व बंद हो चुके थे; 43 कार्यों¹¹ को ₹ 1,983.38 करोड़ व्यय करने के बाद दो से 76 महीने के विलम्ब से पूरे किया गया एवं शेष 14 कार्यों¹² पर ₹ 591.32 करोड़ का व्यय (नवंबर 2023) किया गया था, जो 26 से 78 महीने के विलम्ब के बाद भी प्रगति पर थे।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, आठ कार्यों में चार से 49 महीने के बीच पूर्णता अवधि में वृद्धि के कारण मू.स. के रूप में ₹ 37.29 करोड़ का भुगतान विस्तारित अवधि में (परिशिष्ट-IV) किया गया था। इन कार्यों में विलंब का मुख्य कारण संवेदकों को विभाग द्वारा उचित और बाधा मुक्त स्थल का उपलब्ध नहीं कराया जाना था। तथापि, 33 में 25 मू.स. के लिए योग्य कार्यों में, जिसमें विलंब की अवधि दो से 76 महीने के बीच थी, प्रमंडलों ने विस्तारित अवधि के लिए मू.स. का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा, अलकतरा की अंतर लागत के लिए पात्र 10 में से चार कार्यों में विस्तारित अवधि के दौरान ₹ 1.79 करोड़ संवेदकों से वसूली योग्य थी, जिसकी चर्चा कंडिका 2.1.4.4 में की गई है।

केस स्टडी: 1

पथ प्रमंडल, सिमडेगा के अंतर्गत रामरेखा धाम पथ के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण और पुनर्निर्माण में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मापी पुस्तिका के अनुसार, यदि कार्य निर्धारित तिथि (22 अक्टूबर 2016) के भीतर पूरा हो गया होता तो, मू.स. की राशि ₹ 1.23 करोड़, संवेदक से वसूली योग्य थी। हालाँकि, संवेदक को बाधा-मुक्त कार्य स्थल प्रदान करने में विभाग की विफलता के कारण, विभाग ने मू.स. के भुगतान/ वसूली का उल्लेख किए बिना मई 2020 तक का समय विस्तार दे दिया था। तथापि, प्रमंडल ने विस्तारित अवधि के लिए ₹ 2.57 करोड़ की राशि के मू.स. की गणना की थी और ₹ 1.23 करोड़ के वसूली योग्य मू.स. को समायोजित करने के बाद ही ₹ 1.34 करोड़ का भुगतान किया था। अंततः कार्य के पूर्ण होने की नियत तिथि के चार वर्ष बाद कार्य पूर्ण हुआ (मई 2020), जिसके परिणामस्वरूप विस्तारित अवधि के लिए मू.स. के भुगतान के कारण ₹ 2.57 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

इस प्रकार, संवेदक को बाधा-मुक्त स्थल उपलब्ध नहीं कराने के कारण, कार्यों में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप आठ कार्यों में विस्तारित समय अवधि के लिए मू.स. के रूप में ₹ 37.29 करोड़ की लागत वृद्धि हुई। इसके अलावा, 49 कार्य, जो देरी से पूरे हुए/ अपूर्ण थे, विभाग या संवेदकों की विफलता के कारण इन कार्यों के निष्पादन में दो से 78 महीने के बीच समय की वृद्धि हुई थी।

¹⁰ मू.स.: 21 और अंतर लागत: 02

¹¹ मू.स.: 33 और अंतर लागत: 10

¹² मू.स.: 13 और अंतर लागत: 01

मामले की सूचना विभाग को दिसंबर 2023 में दी गई थी, जवाब अभी तक (मार्च 2024) प्राप्त नहीं हुआ है।

2.1.4 मू.स. का अधिक भुगतान/ कम वसूली और अंतर लागत की वसूली नहीं होना

कुल 67 कार्यों में, जिनमें मूल्य समायोजन कंडिका लागू थे, केवल नौ कार्यों में मूल्य समायोजन की गणना हेतु आवश्यक कार्यान्वित कार्य का मासिक मूल्य उपलब्ध था, और जिनके लिए प्रमंडलों ने मासिक निष्पादित कार्य के आधार पर मूल्य समायोजन की गणना की थी। तदन्तर, 20 कार्यों में प्रमंडलों ने चलंत लेखा विपत्र के मूल्य के आधार पर मू.स. की गणना की थी जबकि 19 कार्यों में इसकी गणना चलंत लेखा विपत्रों के मासिक औसत के आधार पर किया गया था। शेष 18 कार्यों के एकरारनामों में मू.स. के प्रावधान होने के बावजूद प्रमंडल ने मू.स. की गणना नहीं की थी। एक कार्य के मानक बिडिंग दस्तावेज में मू.स. संबंधी कंडिका को सम्मिलित नहीं किया गया था।

13 कार्य जो अलकतरा के अंतर लागत हेतु योग्य थे, के लिए जिसमें संबंधित प्रमंडलों ने सिर्फ एक मामला को छोड़कर, जिसमें गणना गलत पायी गई, अलकतरा के अंतर लागत की गणना नहीं की थी।

मू.स. की गणना हेतु आवश्यक कार्यान्वित कार्यों की मासिक मापी के अभाव में प्रमंडलों द्वारा चलंत विपत्रों के मूल्यों के मासिक औसत के आधार पर कार्यान्वित कार्य का मासिक मूल्य प्राप्त किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने लागू मू.स. की गणना हेतु कार्यान्वित कार्य की मासिक मूल्य की गणना के लिए पहले दैनिक आधार पर चलंत विपत्रों का औसत मूल्य निकाला फिर इसे संबंधित माह के दिनों से गुना करके मासिक मूल्य निकाला।

मूल्य समायोजन की गणना नहीं किये/ कम किये जाने; अलकतरा के अंतर लागत का समायोजन नहीं किये जाने; और मू.स. की गणना हेतु गलत थो.मू.सू./ मासिक कार्य मूल्य का उपयोग करने के कारण संवेदकों को अधिक भुगतान संबंधी मामले लेखापरीक्षा में पाया गया जिसकी चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गयी है।

2.1.4.1 मू.स. निकाले बिना आधिक्य भुगतान

मा.बि.द. की अनुच्छेदों 42 और 47 के अनुसार संवेदकों द्वारा कार्यान्वित कार्यों के अनुमानित मूल्य की मासिक विवरणी कार्य. अभि. को समर्पित किया जाना था और मू.स. का निर्धारण प्रत्येक माह किया जाना था। तदन्तर, झारखण्ड लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 247 के साथ पठित, नियम 243 के अनुसार, संवेदकों के विपत्र तैयार करने से पहले, कनीय अभियंता (कनी.अभि.) को मापी पुस्तिका (मा.पु.) में कार्य की मात्रा एवं विवरण लिखना था और किये गए कार्यों का सामान्यतः चलंत लेखा (च.ले.) विपत्र पर मासिक आधार पर भुगतान किया जाना था।

पाँच प्रमंडलों¹³ में, 12 महीने से अधिक की पूर्णता अवधि की सात कार्यों (कुल ₹ 402.54 करोड़ का समेकित मूल्य) निष्पादित किये गए (जुलाई 2014 और नवम्बर 2015 के बीच)। ये सभी कार्य मार्च 2016 और नवम्बर 2017 के बीच पूर्ण किये जाने थे। इनमें से पाँच कार्य ₹ 274.95 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुए (जुलाई 2016 और अप्रैल 2021 के बीच) जबकि अगस्त 2022 तक दो कार्य प्रगति में थे जिसपर ₹ 88.10 करोड़ का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित संविदाओं में मू.स. की गणना से संबंधित प्रावधान शामिल होने के बावजूद कार्य. अभि. द्वारा सात कार्यों में लागू मू.स. की गणना नहीं की गयी थी। तदन्तर, अनुबंध और संहिता प्रावधानों के तहत आवश्यक होने के बावजूद भी संवेदकों द्वारा कार्यान्वित कार्यों के अनुमानित मूल्य की मासिक विवरणी समर्पित नहीं की गई। प्रमंडलीय अभियंताओं द्वारा भी मापी पुस्तिका में कार्यान्वित कार्यों की मात्रा का मासिक आधार पर प्रविष्टि या चलंत विपत्रों का मासिक आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके बदले, दो क्रमिक चलंत विपत्रों के बीच छः महीने तक के अंतराल के साथ कार्यों को यादृच्छिक रूप से मापा गया था।

चूँकि कार्यान्वित कार्यों का मूल्य मासिक आधार पर मापी पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया था, लेखापरीक्षा ने कार्यों के मूल्य का मासिक औसत लेकर, दो क्रमिक चलंत विपत्रों के बीच के दिनों की संख्या को विचार करते हुए लागू मू.स. की गणना की। कार्यों के मूल्यों के मासिक औसत के आधार पर ₹ 5.29 करोड़ (परिशिष्ट-V) का वसूलनीय मू.स. निकाला गया। इस प्रकार, कार्य.अभि. के द्वारा लागू मू.स. निर्धारित करने में विफलता के परिणामस्वरूप संबंधित संवेदकों को ₹ 5.29 करोड़ का आधिक्य भुगतान हुआ। आगे, ₹ 3.13 करोड़ की वसूलनीय मू.स. के दायित्व वाली दो पथ कार्यों¹⁴ में ₹ 12.06 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि संबंधित संवेदकों को वापस कर दिया गया था (अप्रैल 2017)।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और बताया (मार्च 2023) कि दो कार्यों¹⁵ में ₹ 0.73 करोड़ वसूल किये गए; चार कार्यों¹⁶ में वसूली संबंधी कार्रवाई आरम्भ की गई; एवं एक कार्य¹⁷ में वसूली संबंधित संवेदक द्वारा एक अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में जाने के कारण, मामले के अंतिम निर्णय के बाद ही की जा सकेगी।

¹³ बोकारो, देवघर, जामतारा, साहिबगंज और सिमडेगा।

¹⁴ सिमडेगा-सेवई-किंकल (सिमडेगा) एवं रंगा-सिरसा (देवघर) पथों का चौ./सु.।

¹⁵ बहादुरपुर-कसमार-खैराचातर-बंगाल सीमा सड़क (बोकारो): ₹ 0.48 करोड़ और ढोलता मोड़ से नाला पथ (जामताड़ा): ₹ 0.25 करोड़।

¹⁶ हरिनचारा-खैरा-शिवगाड़ी लिंक पथ का चौ./सु. (साहिबगंज), रंगा-सिरसा से करमाटांड वाया ढीबा पथ (देवघर) का चौ./सु., खोरीपानन से पुनासी और पुनासी से जसीडीह पथ (देवघर) का चौ./सु. और जामताड़ा-करमाटार-लहराजोरी पथ (जामताड़ा) का चौ./सु.।

¹⁷ सिमडेगा-सेवई-किंकल-कुरडेग पथ का चौ./सु.।

2.1.4.2 मू.स. की गलत गणना के कारण आधिक्य भुगतान

दिसंबर 2017 और अक्टूबर 2021 के बीच निर्धारित पूर्णता तिथि के साथ सात प्रमंडलों¹⁸ द्वारा 11 कार्यों की मा.बि.द. अनुबंध (₹ 736.15 करोड़) का निष्पादन किया गया (जून 2016 और जनवरी 2020 के बीच)। इनमें से आठ कार्य ₹ 497.34 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुए (अप्रैल 2018 और जनवरी 2022 के बीच) और तीन कार्य प्रगति में थे जिनपर अगस्त 2022 तक ₹ 154.78 करोड़ व्यय किया गया था। इन कार्यों में संबंधित संवेदकों को मू.स. के रूप में ₹ 32.32 करोड़ का भुगतान किया गया था (जुलाई 2018 और फरवरी 2022 के बीच)।

हालाँकि, यह देखा गया कि काम के मासिक औसत मूल्य (**परिशिष्ट-VI**) पर विचार करते हुए स्वीकार्य मू.स. ₹ 28.34 करोड़ था। लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई ₹ 3.98 करोड़ के मू.स. राशि का अधिक भुगतान, काम के मूल्य के संबंध में गलत मानदंडों के प्रयोग के कारण था जैसे कि, काम के मूल्य का मासिक औसत लेना; च.वि. तैयार करने के लिए केवल मापी लिए गए महीने के लिये मू.स. की गणना करना; प्रमंडलों द्वारा बाद के च.वि. आदि में पहले से भुगतान किए गए च.वि. के मू.स. की राशि को जोड़ना आदि। मू.स. की गणना करते समय, प्रमंडलों द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं से भिन्न विशिष्टताओं वाले सामग्री के मूल्य सूचकांकों को भी लिया गया था।

केस स्टडी: 2

पथ प्रमंडल, साहिबगंज के अंतर्गत महाराजपुर से शर्मापुर वाया तालझारी-कल्याणचक पदरिया मोड़-तीनपहाड़-बाकुडीह पथ का पुनर्निर्माण।

इस अनुबंध (16 मा.बि.द./2017-18) के विरुद्ध संवेदक को मू.स. के रूप में ₹ 8.18 करोड़ का भुगतान किया गया। हालाँकि, निर्धारित विशिष्टताओं से भिन्न सीमेंट और स्टील का मूल्य सूचकांक लेने के कारण, मू.स. के रूप में ₹ 37.49 लाख का अधिक भुगतान किया गया, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा ली गयी मद	आधार सूचकांक	मासिक सूचकांक	प्रमंडल द्वारा ली गयी मद	आधार सूचकांक	मासिक सूचकांक	वसूलनीय राशि (₹ लाख में)
1	सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट (ओ.पो.सी.)	111.1	110.2 से 124.6	स्लेग सीमेंट	122.70	121.6 से 134.8	19.36
2	एम एस ब्राइट बार	86.4	92.4 से 111.3	एंगल, चैनल, सेक्शन, स्टील (कोटेड/ अनकोटेड)	91.60	94.5 से 136.3	18.13

¹⁸ बोकारो, गढ़वा, जामतारा, कोडरमा, लोहरदगा, मनोहरपुर और साहिबगंज।

तदंतर, (i) कार्य के वर्तमान मूल्य में ₹ 4.59 करोड़ की अस्वीकार्य पूर्व भुगतान की गई मू.स. की राशि को जोड़ने और (ii) निधि की कमी के कारण भुगतान नहीं किये गए पूर्ववर्ती कार्य के च.वि. के मूल्य को बाद के च.वि. में जोड़ने, जब श्रम और सामग्री के मूल्य सूचकांक अधिक थे जिसके कारण उसी कार्य में ₹ 1.47 करोड़ का आधिक्य भुगतान किया गया।

इस प्रकार, गलत मानदंड लागू करने के कारण, संवेदक को ₹ 1.84 करोड़ के मू.स का अधिक भुगतान किया गया। यह बताए जाने पर (जून 2022), कार्य. अभि. ने वसूली योग्य मू.स. का आकलन (अगस्त 2022) ₹ 1.85 करोड़ किया। आगे यह पाया गया कि संवेदक को ₹ 8.58 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि पहले ही वापस कर दी गई थी (मार्च 2020 और जनवरी 2021)

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (मार्च 2023) कि चार सड़कों¹⁹ के मामलों में संवेदकों से ₹ 1.87 करोड़ की वसूली की गई थी; चार सड़कों²⁰ के मामलों में वसूली आरंभ कर दी गई थी, एक कार्य²¹ के मामले में मू.स. की पुनर्गणना की जाएगी तथा अन्य कार्य²² में अधिक भुगतान किये गये मू.स. की वसूली भी की जायेगी। हालाँकि, विभाग ने एक कार्य अर्थात् चंदवारा-थाम-सेलहारा-पांडेयवारा पथ का पुनर्निर्माण के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2.1.4.3 मू.स. की कम वसूली

दो पथ कार्यों²³ के लिए अनुबंध (कुल मिलाकर ₹ 168.51 करोड़) निष्पादित किए गए (जनवरी 2014 और मार्च 2015 के बीच), जिसके पूरा होने की निर्धारित तिथियाँ जनवरी 2016 और अगस्त 2016 के बीच थीं। ये दोनों कार्य अगस्त 2016 और दिसंबर 2016 के बीच पूरे किए गए और संवेदकों को ₹ 1.48 करोड़ के मू.स. को समायोजित करने के बाद (अप्रैल 2017 और सितंबर 2021 के बीच) ₹ 171.58 करोड़ का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, इन कार्यों से संबंधित 17 च.वि.²⁴ में, धन की कमी के कारण, विपत्र राशि ₹ 55.46 करोड़²⁵ के मुकाबले, ₹ 43.17 करोड़²⁶ का आंशिक भुगतान किया गया था। हालाँकि, यह देखा गया कि प्रमंडल ने लागू मू.स. की गणना

¹⁹ महाराजपुर-शर्मापुर पथ: ₹ 1.30 करोड़, शिवगाड़ी-सनमनी पथ: ₹ 0.14 करोड़, दांतू-कथारा पथ: ₹ 0.35 करोड़ और लोहरदगा-गंगुपारा पथ: ₹ 0.07 करोड़।

²⁰ भवनाथपुर-कांडी वाया कालियन रोड, गढ़वा-मझियाँव-कांडी रोड, रंका-चिनिया रोड और जामतारा- करमाटांड वाया संयुक्त बिल्डिंग रोड।

²¹ चक्रधरपुर-सोनूआ-गोईलकेरा पथ।

²² गोपालपुर -तिरो-बेलाडीह-चातर पथ।

²³ शंख-चतरा पथ (लोहरदगा प्रमंडल) का निर्माण और पुत्रीटोली-बारासलोया-लचरागढ़-जलडेगा-पंडरीपानी-सिमडेगा-जलडेगा-गिर्दा पथ (सिमडेगा प्रमंडल) का सुदृढीकरण और पुनर्निर्माण।

²⁴ शंख-चतरा सड़क के संबंध में नौ च.वि. एवं पुत्रीटोली-गिर्दा सड़क के संबंध में आठ च.वि.।

²⁵ शंख-चतरा सड़क: ₹ 23.07 करोड़ एवं पुत्रीटोली-गिर्दा सड़क: ₹ 32.39 करोड़।

²⁶ शंख-चतरा सड़क: ₹ 20.13 करोड़ एवं पुत्रीटोली-गिर्दा सड़क: ₹ 23.04 करोड़।

के लिए कार्य के कुल मूल्य (₹ 55.46 करोड़) के बजाय कार्य के केवल आंशिक मूल्य (₹ 43.17 करोड़) पर विचार किया था। कार्य का मूल्य, जिसके लिए भुगतान स्थगित कर दिया गया था, बाद के च.ले.वि. में मू.स. की गणना के लिए विचार किया गया था, जब बाद के च.ले.वि. का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, जिन संबंधित महीनों के लिए मू.स. की गणना की गई थी, उनमें कार्य का वास्तविक मूल्य कम स्तर पर लिया गया था। किए गए कार्य के मासिक औसत मूल्य के आधार पर, लेखापरीक्षा ने ₹ 3.01 करोड़ (परिशिष्ट-VII) वसूली योग्य मू.स. की गणना की।

इस प्रकार, कार्य. अभि. द्वारा मू.स. की गलत गणना के कारण, संवेदकों से ₹ 1.53 करोड़ की राशि कम वसूल की गई।

जवाब में, विभाग ने कहा (मार्च 2023) कि मूल्य समायोजन की गणना की दोबारा जाँच की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसा 1: विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक महीने निष्पादित कार्यों की मापी, मासिक आधार पर मापी पुस्तिका में दर्ज की जाए, और अनुबंध के तहत आवश्यक मू.स. की गणना भी मासिक आधार पर की जाए।

2.1.4.4 अलकतरा के अंतर लागत की वसूली नहीं किये जाने के कारण हानि

जनवरी 2004 की विभागीय अधिसूचना उन कार्यों पर लागू थी (जुलाई 2011 से) जिनकी पूर्णता अवधि 12 महीने से कम थी। अधिसूचना के अनुसार, अलकतरा की कीमत में वृद्धि के मामलों में, अलकतरा की अनुमानित और खरीद लागत में अंतर, पथ निर्माण विभाग द्वारा संबंधित संवेदकों को क्षतिपूर्ति के रूप में वहन किया जाना था। इसके अलावा, अलकतरा की कीमत में कमी के मामलों में, अनुबंध राशि से कटौती की जानी थी। इस अधिसूचना को अनुबंध का हिस्सा बनाया जाना आवश्यक था।

संबंधित अवधि के दौरान प्रभावी अनुसूचित दर (एस.ओ.आर.) के आधार पर पाँच पथ कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए गए थे (सितंबर 2012 से जुलाई 2015)। इन एस.ओ.आर. में अलकतरा की मूल दरें ₹ 30,848 और ₹ 52,269 प्रति मीट्रिक टन (एमटी) के बीच थीं। इन पथ कार्यों के लिए एकरारनामा ₹ 92.61 करोड़ की समेकित राशि के लिए निष्पादित किए गए थे (जून 2013 और मई 2016 के बीच), इस शर्त के साथ कि ये कार्य 12 महीनों के अन्दर पूरे किए जाएँगे। ये सभी कार्य पूरे हो गए और संवेदकों को ₹ 86.93 करोड़ की समेकित राशि का भुगतान (नवंबर 2016 और जनवरी 2018 के बीच) किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निष्पादन के दौरान प्रभावी एस.ओ.आर. में दरों की तुलना में अलकतरा की मूल दरों में कमी के बावजूद, भुगतान/ वसूली से संबंधित कंडिका को संबंधित एनआईटी/ अनुबंध में शामिल न करने के कारण, प्रमंडलों ने इन कार्यों में अलकतरा की अंतर लागत निर्धारित नहीं की थी। अलकतरा की अंतर

लागत की वसूली के संबंध में किसी कंडिका के अभाव में, विभाग को ₹ 1.98 करोड़ का नुकसान हुआ, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई है (परिशिष्ट VIII)।

विभाग ने अलकतरा की अंतर लागत से संबंधित शर्त के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया जिसे न तो संबंधित एनआईटी में शामिल किया गया था न ही अनुबंधों में, जिसके कारण अलकतरा की अंतर लागत की वसूली शुरू नहीं की जा सकी।

अनुशंसा 2: विभाग निविदा दस्तावेजों में अलकतरा की अंतर लागत के संबंध में प्रासंगिक कंडिका को शामिल करना सुनिश्चित कर सकता है।

ऊर्जा विभाग

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

2.2 झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा टैरिफ, बिलिंग, राजस्व संग्रहण और सब्सिडी प्रबंधन

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राज्य का एकमात्र डिस्कॉम, जो अपनी परिचालन लागत को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से बिलिंग और राजस्व संग्रहण की कुशल प्रणाली पर निर्भर है। 'टैरिफ, बिलिंग, राजस्व का संग्रहण और कंपनी द्वारा सब्सिडी प्रबंधन' पर लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए किया गया था कि क्या बिजली प्रदान करने की पूरी लागत वसूल की जा रही थी; मीटरिंग, बिलिंग और राजस्व संग्रहण का प्रबंधन कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जा रहा था; सब्सिडी प्रबंधन कुशल था; और बिलिंग और संग्रहण गतिविधि में जोखिम को खत्म करने के लिए पर्याप्त निगरानी और आंतरिक नियंत्रण मौजूद थे।

लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2021-22 तक की अवधि का लेखापरीक्षा किया और टैरिफ याचिकाओं, बिलिंग प्रणाली, संग्रहण दक्षता और सब्सिडी प्राप्त/उपयोग के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के अध्यक्ष और सदस्य के पद जून 2020 से सितंबर 2022 तक रिक्त रहे, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिजली टैरिफ की मंजूरी नहीं मिल सकी और कंपनी ₹ 514.08 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व की वसूली से वंचित रह गयी।
- बिलिंग में विलंब करना, विलंबित बिलिंग के लिए उपभोक्ताओं को छूट प्रदान न करना; बिलिंग सॉफ्टवेयर में मीटरिंग विवरण अपडेट न होने के कारण प्रभावी उपभोक्ताओं की बिलिंग न होना और कम बिलिंग होना दर्शाता है कि बिलिंग की प्रणाली अकुशल थी। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति में कटौती के कारण, नियत शुल्क की कम बिलिंग; खराब मीटर बदलने में देरी के कारण होने वाली हानि; स्ट्रीट लाइट उपभोक्ताओं की कम/ बिलिंग नहीं करना; उपभोक्ताओं से मीटर किराया की अनियमित वसूली; उपभोक्ताओं के ऊर्जा शुल्क का बिलिंग न होना; और नए विद्युत ऊर्जा कनेक्शन जारी करने में देरी आदि के मामले भी थे।
- कंपनी ने अनियमित रूप से 'बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं' की श्रेणी को 'दोषपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ताओं' में बदलकर अतिरिक्त सब्सिडी का दावा किया और जेएसईआरसी विद्युत प्रदाय संहिता में दिए गए दोषपूर्ण मीटर से संबंधित बिलिंग के प्रावधानों को बिलिंग सॉफ्टवेयर में मैप नहीं किया।

• हालांकि वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी की समग्र संग्रहण दक्षता (बकाया और सरकारी सब्सिडी को छोड़कर) 38.34 और 52.51 प्रतिशत के बीच थी, लेकिन ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में संग्रहण दक्षता कम थी और 8.54 से 14.68 प्रतिशत के बीच ही रही। वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान कंपनी की राजस्व वसूली, बेची गई ऊर्जा का केवल 86.42 से 92.27 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि (एटीएंडसी) 46.57 और 49.21 प्रतिशत के बीच था, जो बिना मीटर वाले कनेक्शनों के खिलाफ बढ़ी हुई खपत दर्शाने के कारण था, जबकि इसी अवधि के दौरान प्रतिवेदित एटीएंडसी हानि 28.69 से 41.21 प्रतिशत के बीच था।

• कंपनी ₹ 234.01 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं कर सकी, क्योंकि समय पर सर्टिफिकेट केस दाखिल न करने के कारण वसूली कालबाधित हो गई थी। कंपनी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा राशि वसूलने में भी विफल रही।

• कंपनी बिजली चोरी के मामलों में जुर्माने के आकलन में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और जेएसईआरसी विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही, इस प्रकार ₹ 5.74 करोड़ की राशि के राजस्व का नुकसान हुआ।

अनुशंसाएं

1. सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि टैरिफ को समय पर अंतिम रूप देने हेतु जेएसईआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली न रहें।

2. कंपनी यह सुनिश्चित कर सकती है कि (i) ऊर्जा लेखापरीक्षा किया जाए (ii) संचरण और वितरण (टीएंडसी) हानि कम करने के लिए अंचल-वार योजनाएं तैयार की जाएं और (iii) सम्पूर्ण मीटरिंग सुनिश्चित करने में असफल रहने के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

3. कंपनी यह सुनिश्चित कर सकती है कि (i) कंपनी बिलिंग सॉफ्टवेयर में विद्युत आपूर्ति विनियमन और टैरिफ आदेशों के सभी प्रावधानों की मैपिंग और अद्यतीकरण करे (ii) सभी प्रभावी उपभोक्ताओं अर्थात् सभी विद्यमान उपभोक्ता जो कंपनी से बिजली का उपभोग कर रहे हैं, को सही और समय पर बिलिंग सुनिश्चित करे और (iii) बिलिंग सॉफ्टवेयर के अद्यतीकरण नहीं करने के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

4. कंपनी यह सुनिश्चित कर सकती है कि (i) सभी उपभोक्ताओं की शत-प्रतिशत मीटरिंग हो गई है (ii) वास्तविक खपत के आधार पर बिलिंग की गई है और (iii) एटीएंडसी हानि को कम दर्शाने के लिए बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध अत्यधिक उर्जा उपभोग दर्शाने वाले सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

5. कंपनी यह सुनिश्चित कर सकती है कि (i) झारखण्ड सरकार के मार्च 2019 के संकल्प के अनुसार सही बिलिंग और सब्सिडी का दावा करे और (ii) त्रुटिपूर्ण बिलिंग और अत्यधिक सब्सिडी का दावा करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करे।

6. कंपनी विद्युत कनेक्शन काटने से संबंधित प्रावधानों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकती है और बकाया राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दायर कर सकती है। बकाया राशि जो वसूली योग्य नहीं रह गई है, उसके संबंध में जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

7. कंपनी विद्युत अधिनियम और विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के आधार पर बिजली चोरी के खिलाफ दंड राशि का उचित मूल्यांकन और भारित करना सुनिश्चित कर सकती है।

2.2.1 परिचय

बिजली निरंतर आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख घटक है और राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बिजली की तीन प्रमुख चरणों उत्पादन, संचरण और वितरण में वितरण का अंतिम उपभोक्ताओं के साथ सीधा संबंध है और बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में उपभोक्ता संतुष्टि और राजस्व के प्रवाह के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। एक वितरण कंपनी को अपने उपभोक्ताओं को बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत वितरण नेटवर्क बनाए रखने की आवश्यकता होती है और वह अपनी परिचालन लागत को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से बिलिंग और राजस्व संग्रहण की कुशल प्रणाली पर निर्भर होती है।

झारखण्ड में बिजली वितरण नेटवर्क का प्रबंधन राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) द्वारा किया जाता है, जिसे 23 अक्टूबर 2013 को निगमित किया गया। कंपनी अपने उपभोक्ताओं के ऊर्जा शुल्क की बिलिंग और संग्रहण के लिए जिम्मेदार है। कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार (झा.स.) के पास है। कंपनी को उसके कम वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन के कारण अगस्त 2022 में प्रकाशित बिजली वितरण उपयोगिताओं से संबंधित 10वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग²⁷ और रैंकिंग में ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रेड "सी-" दिया गया है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 तक के अपने खातों को अंतिम रूप दिया है। मार्च 2022 तक कंपनी का कुल संचित घाटा ₹ 12,228.01 करोड़ था। कंपनी ने वित्त वर्ष


²⁷ एकीकृत रेटिंग किसी डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाती है। इनका उपयोग अंतर-डिस्कॉम तुलनाओं के लिए किया जाता है, जो 15 आधार मैट्रिक्स पर आधारित होते हैं, जिन्हें तीन खंडों में वर्गीकृत किया जाता है; अर्थात् वित्तीय स्थिरता, प्रदर्शन उत्कृष्टता और बाहरी वातावरण और नौ विशिष्ट हतोत्साहन। उपरोक्त मापदंडों पर किसी भी डिस्कॉम के समग्र स्कोर के आधार पर ए+ से डी तक के ग्रेड प्रदान किए गए थे।

2021-22 के दौरान 13,729.45 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली खरीदी थी, जिसका मूल्य ₹ 6,430.83 करोड़ था और 9,018.19 एमयू बेची थी, जिसका मूल्य ₹ 5,806.58 करोड़ था। इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ऊर्जा शुल्क से ₹ 5,357.24 करोड़ एकत्र किए थे। इसमें वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹ 3,308.43 करोड़ की राशि सम्मिलित है, जिसमें सब्सिडी के रूप में ₹ 1,755.20 करोड़ भी शामिल है। मार्च 2022 तक ऊर्जा शुल्क के मद में कुल बकाया ₹ 8,254.97 करोड़ था।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

कंपनी का प्रबंधन उसके निदेशक मंडल (बीओडी) के पास निहित है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंध निदेशक (एमडी) को राँची में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यकारी निदेशक (ईडी), महाप्रबंधक (जीएम), उप महाप्रबंधक (डीजीएम) और वरिष्ठ प्रबंधक (एसएम) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। क्षेत्र स्तर पर सात विद्युत आपूर्ति क्षेत्र (ईएसए) हैं, जिनका नेतृत्व जीएम करते हैं; 15 विद्युत आपूर्ति अंचल (ईएससी), जिसका नेतृत्व डीजीएम करते हैं; और 44 विद्युत आपूर्ति प्रमंडल (ईएसडी) थे, जिनका नेतृत्व एसएम करते हैं। ईएसडी को विद्युत आपूर्ति उप-प्रमंडल (ईएसएसडी) और अनुभागों में विभाजित किया गया है, जिनका नेतृत्व क्रमशः प्रबंधक और कनिष्ठ प्रबंधक करते हैं। कंपनी का संगठनात्मक चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: कंपनी का संगठनात्मक चार्ट



2.2.3 टैरिफ, बिलिंग और संग्रहण कार्य

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के समक्ष टैरिफ याचिकाएं दाखिल करने के लिए जीएम (वाणिज्यिक) जानकारी एकत्र और संकलित करते हैं। हाई टेंशन (एचटी) उपभोक्ताओं की बिलिंग का प्रबंधन ईएससी द्वारा री-स्ट्रक्चर्ड एक्सेलेरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफॉर्म प्रोग्राम (आरएपीडीआरपी) के तहत इन-हाउस विकसित एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन (जावा आधारित बिलिंग सॉफ्टवेयर) के माध्यम से किया जाता है। लो टेंशन (एलटी) उपभोक्ताओं की बिलिंग का प्रबंधन जीएम (आईटी) के समग्र नियंत्रण के तहत एक अनुकूलित बिलिंग सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन (जावा. नेट और बैक एंड पोस्टग्रेस) के माध्यम से ईएसडी/ईएसएसडी द्वारा किया जाता है। एलटी उपभोक्ताओं का स्पॉट बिलिंग और बिल वितरण, आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें ऊर्जा मित्रों²⁸ को लगाने और प्रबंधित करने के लिए नियुक्त किया गया है।

जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2015 के अनुसार घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि सेवाएँ और अन्य श्रेणी की सेवाओं का बिल दो महीने से अधिक की आवधिकता पर जारी नहीं की जानी है। एलटी घरेलू, वाणिज्यिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए भुगतान की नियत तिथि बिल निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 15 दिन और उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों के लिए, निर्गत तिथि से न्यूनतम 21 दिन बाद थी।

2.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- जेएसईआरसी के साथ समय पर और सही टैरिफ याचिका दायर करके, बिजली प्रदान करने की पूरी लागत वसूल की जा रही थी;
- कंपनी द्वारा टैरिफ आदेश, परिपत्र, दिशा-निर्देश और निर्देश बिना किसी अस्पष्टता के जारी किए गए और क्षेत्र कार्यालयों द्वारा समय पर लागू किए गए;
- मीटरिंग और बिलिंग को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया गया;
- राजस्व और सब्सिडी का संग्रहण और लेखा-जोखा आर्थिक और कुशल तरीके से पूरा किया गया; और
- बिलिंग और संग्रहण गतिविधि में जोखिम के उन्मूलन के लिए पर्याप्त निगरानी और आंतरिक नियंत्रण मौजूद था।

²⁸ स्पॉट बिलिंग और बिलों के वितरण के लिए आउटसोर्स एजेंसी द्वारा नियुक्त व्यक्ति।

2.2.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2021-22 तक की अवधि को शामिल किया गया। कॉर्पोरेट कार्यालय में संबंधित विंग के रिकॉर्ड, 15 ईएससी में छः²⁹ और 44 ईएसडी में 12 ईएसडी³⁰ (प्रत्येक ईएससी में दो ईएसडी) की जांच की गई। ईएससी और ईएसडी का चयन सांख्यिकीय नमूने के माध्यम से किया गया था।

ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के साथ एक अंतर्गमन सम्मेलन (2 जून 2022) आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, दायरे, मानदंड और लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। बहिर्गमन सम्मेलन (2 मई 2023) अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग सह सीएमडी, जेयूवीएनएल सह एमडी, जेबीवीएनएल के साथ आयोजित की गई थी। विभाग के विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है। आगे, एक संशोधित प्रतिवेदन विभाग को प्रतिक्रिया हेतु जारी की गई (दिसंबर 2023)। विभाग के उत्तर (जनवरी 2024) को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.2.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- विद्युत अधिनियम, 2003;
- जेएसईआरसी द्वारा जारी टैरिफ विनियमन, टैरिफ आदेश और निर्देश;
- जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियमन, 2015;
- बजट, कंपनी की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, एजेंडा और बीओडी बैठकों के कार्यवृत्त;
- सरकार और कंपनी द्वारा जारी दिशानिर्देश;
- एनआईटी/कार्य आदेशों के नियम और शर्तें; और
- कंपनी की प्रबंधन सूचना प्रणाली।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.7 कंपनी का प्रदर्शन

पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान 31 मार्च 2022 तक बिक्री के लिए उपलब्ध ऊर्जा, ऊर्जा की वास्तविक बिक्री और ऊर्जा की हानि की स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है।

²⁹ देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला और रामगढ़।

³⁰ देवघर: मधुपुर और गोड्डा; धनबाद: गोविंदपुर और निरसा; दुमका: दुमका और जामताड़ा; गिरिडीह: गिरिडीह (उत्तर) और गिरिडीह (दक्षिण); गुमला: गुमला और सिमडेगा और रामगढ़: रामगढ़ और कुज्जू।

तालिका 2.1: कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों की गणना (एटीएंडसी)				
विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
A राज्य में ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)	13,469.30	13,824.16	13,064.26	13,708.46
B खरीदी गई सकल ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	12,860.36	12,707.61	13,290.20	13,729.45
C संचरण हानि ³¹ (मिलियन यूनिट में)	856.21	606.18	1,051.40	1,292.12
D शुद्ध इनपुट ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	12,004.15	12,101.43	12,238.80	12,437.33
E बेची गई कुल इकाइयाँ (मिलियन इकाइयाँ में) (D का%)	9,277.55 (77)	9,314.89 (77)	7,913.41 (65)	9,018.19 (73)
F राजस्व अनुदान ³² और सब्सिडी ³³ सहित ऊर्जा की बिक्री से कुल राजस्व (₹ करोड़ में)	5,074.10	6,405.07	5,244.98	6,487.41
G समायोजित राजस्व (अतिरिक्त/कम राजस्व अनुदान ³⁴ और सब्सिडी ³⁵ के समायोजन के बाद) (₹ करोड़ में)	5,074.10	6,426.04	4,888.82	6,804.21
H ऊर्जा की बिक्री के लिए प्रारम्भ में देनदार (पिछले वर्ष के अंत में देनदार) (₹ करोड़ में)	5,890.81	6,283.03	7,185.18	7,429.11
I ऊर्जा की बिक्री के लिए समापन देनदार (चालू वर्ष के अंत में देनदार) (₹ करोड़ में)	6,283.03	7,173.67	7,305.17	8,254.97
i) ऊर्जा की बिक्री के लिए समापन देनदार (₹ करोड़ में)	6,283.03	7,173.67	7,305.17	8,254.97
ii) बढ़े खाते में कोई भी राशि	0	0	0	0
J समायोजित समापन देनदार- (₹ करोड़ में) (i+ii)	6,283.03	7,173.67	7,305.17	8,254.97
K संग्रहण दक्षता (कुल बकाया के विरुद्ध वर्ष के दौरान संग्रहित राशि) (प्रतिशत) (G+H-J)/F	92.27	86.42	90.92	92.15
L औसत राष्ट्रीय संग्रहण दक्षता	93.39	92.80	92.40	97.25

³¹ 33 केवी से ऊपर के स्तर पर इसके संचरण के दौरान ऊर्जा की हानि।

³² राजस्व अनुदान बुक किया गया (राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा दिया गया और खातों की पुस्तकों में आय के रूप में दर्ज किया गया अनुदान) - 2018-19: ₹ 1,250 करोड़, 2019-20: ₹ 600 करोड़, 2020-21: शून्य।

³³ बुक की गई सब्सिडी (उपभोक्ताओं की ओर से सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया गया ऊर्जा शुल्क और खातों की पुस्तकों में प्राप्तियों के रूप में दर्ज) - 2018-19: शून्य, 2019-20: ₹ 1,329.04 करोड़, 2020-21: ₹ 1,356.16 करोड़।

³⁴ प्राप्त राजस्व अनुदान (वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान) - 2018-19: ₹ 1,250 करोड़, 2019-20: ₹ 600 करोड़, 2020-21: शून्य।

³⁵ प्राप्त सब्सिडी (वर्ष के दौरान प्राप्त सब्सिडी की राशि) - 2018-19: शून्य, 2019-20: ₹ 1,350 करोड़, 2020-21: ₹ 1,000 करोड़।

तालिका 2.1: कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों की गणना (एटीएंडसी)				
विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
M प्राप्त इकाइयाँ (ऐसी इकाइयाँ जिनके विरुद्ध ऊर्जा शुल्क प्राप्त हुआ) (मिलियन इकाइयाँ) (E*K) (E का %)	8,560.40 (92)	8,049.93 (86)	7,194.87 (91)	8,310.26 (92)
N अप्राप्त इकाइयाँ (ऐसी इकाइयाँ जिनके विरुद्ध ऊर्जा शुल्क वसूल नहीं किया गया) (मिलियन इकाइयाँ) (D-M)	3,443.75	4,051.50	5,043.93	4,127.07
O कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (एटीएंडसी ³⁶ हानि) (प्रतिशत) (N/D*100)	28.69	33.48	41.21	33.18
P औसत राष्ट्रीय एटीएंडसी हानि	21.64	20.73	22.32	16.42
Q एटीएंडसी हानि का लक्ष्य	15	15	15	15
R अतिरिक्त एटीएंडसी हानि (O-Q)	13.69	18.48	26.21	18.18
S अतिरिक्त अप्राप्त (लक्ष्य से अधिक इकाइयाँ जिनका बिल नहीं दिया गया है) (मिलियन इकाइयाँ) {N*(R/O)}	1,643.25	2,236.31	3,207.99	2,261.31
T क्रय की गई ऊर्जा (₹ करोड़ में)	5,615.09	6,205.99	5,954.74	6,430.83
U प्रति केडबल्यूएच खरीदी गई ऊर्जा की लागत (₹) (T/B)*10	4.37	4.88	4.48	4.68
V अतिरिक्त एटीएंडसी हानि के कारण हानि (₹ करोड़ में) (S*U)/10	718.10	1,091.32	1,437.18	1,058.29

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित)

तालिका 2.1 से यह देखा जा सकता है कि:


- शुद्ध इनपुट ऊर्जा की तुलना में बेची गई इकाइयों का प्रतिशत वित्त वर्ष 2018-19 में 77 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में 73 प्रतिशत हो गया, जो ऊर्जा के वितरण हानि³⁷ में वृद्धि का संकेत देता है, क्योंकि सभी इनपुट ऊर्जा का बिल नहीं किया जा सका था।
- कंपनी ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत के एटीएंडसी हानि के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान एटीएंडसी हानि (28.69 प्रतिशत से 41.21 प्रतिशत) औसत राष्ट्रीय एटीएंडसी हानि (16.42 प्रतिशत से 22.32 प्रतिशत) से अधिक थी। अतिरिक्त एटीएंडसी हानि के कारण कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान ₹ 4,304.89 करोड़ की हानि वहन किया।

³⁶ एटीएंडसी हानि, 'तकनीकी हानि' (ऊर्जा हानि + चोरी + बिलिंग में अक्षमता) और 'वाणिज्यिक हानि' (भुगतान में विफलता + संग्रहण में अक्षमता) का एक संयोजन है।

³⁷ 'वितरण हानि' 33 केवी और उससे नीचे के वोल्टेज स्तर पर ऊर्जा की हानि है, जबकि 'संचरण हानि' 33 केवी के वोल्टेज स्तर से ऊपर ऊर्जा की हानि है।

- वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि में कंपनी कि संग्रहण दक्षता (86.42 प्रतिशत से 92.27 प्रतिशत) राष्ट्रीय औसत संग्रहण दक्षता (92.40 प्रतिशत से 97.25 प्रतिशत) से कम थी। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि समग्र संग्रह दक्षता, सब्सिडी³⁸ को छोड़कर, वित्त वर्ष 2018-19 में 53 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में 38 प्रतिशत हो गई थी। जबकि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में यह और भी कम थी (वित्त वर्ष 2018-19 में यह 15 प्रतिशत से कम हो कर वित्त वर्ष 2021-22 में नौ प्रतिशत हो गया)। बिलों की संख्या के संदर्भ में, कंपनी वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान किए गए बिलों के केवल 21 से 25 प्रतिशत के विरुद्ध ही ऊर्जा शुल्क एकत्र कर सकी जबकि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में यह केवल नौ से 11 प्रतिशत था (परिशिष्ट-IX)।
- प्रचलित टैरिफ के विरुद्ध 2018-19 से 2021-22 के दौरान उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के सब्सिडी के अतिरिक्त राजस्व संग्रहण को चार्ट-2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट-2.2: 2018-19 से 2021-22 के दौरान श्रेणीवार उपभोक्ताओं से राजस्व का संग्रहण (प्रतिशतता)



(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2021-22 के दौरान राजस्व निर्धारण के विरुद्ध उपभोक्ताओं का राजस्व संग्रहण (प्रतिशतता):

- कृषि उपभोक्ता (आईएस-1 और आईएस-2) के लिए 5.89 प्रतिशत और 9.40 प्रतिशत के मध्य था;
- घरेलू (ग्रामीण और शहरी) उपभोक्ता (डीएस-1ए, डीएस-1बी, डीएस-2 और डीएस-3) के लिए 17.48 प्रतिशत और 29.44 प्रतिशत के बीच था;

³⁸ सब्सिडी को छोड़कर, कुल बकाया के संग्रह का प्रतिशत, क्योंकि सब्सिडी, झारखण्ड सरकार द्वारा, सीधे कंपनी को प्रदान की गई थी।

- वाणिज्यिक उपभोक्ता (एनडीएस-1, एनडीएस-2 और एनडीएस-3) के लिए 29.09 प्रतिशत और 48.90 प्रतिशत के बीच था; और
- औद्योगिक उपभोक्ता (एलटीआईएस, एलटीआईएस-डी और एचटी) के लिए 49.21 प्रतिशत और 56.58 प्रतिशत के बीच था।

इस प्रकार उपभोक्ताओं से वसूली में सुधार के बजाय, कंपनी मुख्य रूप से झारखण्ड सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर ही निर्भर थी, जो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान जारी किए गए बिलों में केवल 23 प्रतिशत की ही वसूली उपभोक्ताओं से की गई थी। इससे वित्त वर्ष 2018-19 में बकाया राशि ₹ 6,283.03 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 8,254.97 करोड़ हो गई (तालिका 2.1)।

जवाब में, विभाग ने कहा (मई 2023) कि इस तथ्य के बावजूद कि झारखण्ड की आबादी मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, कंपनी लगभग 90 प्रतिशत की लगातार संग्रह दक्षता हासिल करने में सक्षम रही है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में कम संग्रह दक्षता के प्रमुख कारण, आय के बहुत सीमित स्रोत, उपभोक्ताओं की भुगतान करने की अनिच्छा, उपभोक्ताओं का दूर-दराज और बिखरे हुए स्थानों पर स्थित होना और उपभोक्ताओं का भुगतान के डिजिटल तरीकों से परिचित न होना था।

एटीएंडसी हानि को कम करने और संग्रह दक्षता में सुधार के संबंध में, विभाग ने कहा कि प्री-पेड मीटर लगाने का कार्य प्रगति पर था; राजस्व संग्रहण और शिकायतों से निपटने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर राजस्व शिविर और ऊर्जा मेले आयोजित किए जा रहे थे; ऊर्जा बिलों के भुगतान के संबंध में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है; घाटे में चल रहे फीडरों के संबंध में जुर्माना लगाने और भुगतान न करने पर कार्यवाही शुरू करने, विद्युत कनेक्शन काटने और दोबारा जोड़ने जैसी कार्यवाही की जा रही है; और ई-वॉलेट सहित भुगतान के विभिन्न डिजिटल तरीके विकसित किए जा रहे थे। परिणामस्वरूप, कंपनी ने अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के दौरान अपनी संग्रह दक्षता में सुधार किया था। इसमें आगे कहा गया है कि कंपनी ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत मीटरिंग हासिल की है, बिलिंग कवरेज में वृद्धि की है और डुप्लिकेट उपभोक्ताओं को भी हटा दिया गया है।

हालांकि, सब्सिडी के बिना संग्रह दक्षता के संबंध में कंपनी का जवाब मौन था। इसके अलावा, कंपनी ने मार्च 2022 में 51,02,349 प्रभावी उपभोक्ताओं में केवल 35,63,910 उपभोक्ताओं के खिलाफ ही बिल जारी किए थे, जो एटीएंडसी हानि का मुख्य कारण था।

2.2.8 टैरिफ को अंतिम रूप देना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 (4) के अनुसार किसी भी वित्त वर्ष में टैरिफ दरों में कम से कम एक बार संशोधन किया जा सकता है, जिसके लिए लाइसेंसधारक द्वारा संबंधित विद्युत नियामक आयोग के पास टैरिफ निर्धारण के लिए आवेदन दायर

किया जाना था। राज्य सरकार ने विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 के तहत झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) का गठन (अगस्त 2002) में किया, जिसने अप्रैल 2003 से कार्य आरम्भ किया।

2.2.8.1 टैरिफ याचिकाएं दाखिल करना

जेएसईआरसी (वितरण टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियमों के अनुसार, टैरिफ याचिका, उस वित्तीय वर्ष जिसके लिए टैरिफ को मंजूरी दी जानी थी, के पिछले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक दायर की जानी चाहिए और जेएसईआरसी द्वारा टैरिफ याचिका की स्वीकृति के 120 दिनों के भीतर यानि 31 मार्च तक अनुमोदन दी जानी थी।

कंपनी द्वारा दायर टैरिफ याचिकाओं, जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ याचिकाओं और अनुमोदित टैरिफ के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथियों का वर्ष-वार विवरण तालिका 2.2 में दिखाया गया है।

तालिका 2.2: दायर की गई टैरिफ याचिका, अनुमोदित और उनके कार्यान्वयन की प्रभावी तिथियों का विवरण (31 दिसंबर 2022 तक)

अवधि के लिए टैरिफ	दाखिल करने की निर्धारित तिथि	दाखिल करने की वास्तविक तिथि	जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदन की तिथि	निर्धारित तिथि जिस पर टैरिफ प्रभावी होना चाहिए था	वास्तविक प्रभावी तिथि
2018-19	30.11.2017	28.11.2017	27.04.2018	01.04.2018	01.05.2018
2019-20	30.11.2018	28.11.2018	28.02.2019	01.04.2019	01.04.2019
2020-21	30.11.2019	30.11.2019	01.10.2020	01.04.2020	01.10.2020
2021-22	30.11.2020	30.11.2020	अनुमोदित नहीं	01.04.2021	-

(स्रोत: जेबीवीएनएल के रिकॉर्ड, टैरिफ आदेश और विनियमों से संकलित)

तालिका 2.2 से देखा जा सकता है कि टैरिफ के अनुमोदन में एक से छह महीने तक की देरी हुई। वर्ष 2021-22 के लिए टैरिफ आदेश, दाखिल करने की तारीख से 24 महीने बाद भी नवंबर 2022 तक जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सका, जिसका मुख्य कारण झारखण्ड सरकार द्वारा जून 2020 से सितंबर 2022 तक जेएसईआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति और जनवरी 2021 से जून 2022 तक सदस्य की नियुक्ति नहीं किया जाना था। आगे के टैरिफ आदेशों और याचिकाओं के विश्लेषण से पता चला कि:

- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए टैरिफ ऑर्डर को ड्र-अप³⁹ के लिए अपनी याचिका दिसंबर 2019 में प्रस्तुत की थी, जिसमें कुल ₹ 6,191.80 करोड़ के राजस्व की आवश्यकता का प्रस्ताव दिया। हालांकि, अतिरिक्त अंतरराज्यीय संचरण शुल्क⁴⁰ (₹ 8.07 करोड़), कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज (₹ 11.33 करोड़)

³⁹ किसी वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ ऑर्डर अनुमानित आंकड़ों के आधार पर जारी किया जाता है। इसके बाद उस वित्तीय वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर अनुमानित राजस्व या व्यय का 'ड्र-अप' किया जाता है और वर्तमान टैरिफ आदेश में परिवर्तन यदि कोई हो तो, तब उस पर विचार किया जाता है।

⁴⁰ किसी राज्य के क्षेत्र के भीतर बिजली के संचरण के लिए राज्य संचरण उपयोगिता द्वारा लगाया जाने वाला शुल्क।

और अतिरिक्त वितरण हानि (₹ 319.74 करोड़) के कारण जेएसईआरसी ने ₹ 339.14 करोड़ को अक्टूबर 2020 में अस्वीकार कर दिया क्योंकि कंपनी वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जेएसईआरसी द्वारा दिए गए अपने टैरिफ आदेश में लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सका था।

- कंपनी, 10,414.60 एमयू बिजली की बिक्री के माध्यम से ₹ 514.08 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व, जैसा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर)⁴¹ में प्रायोजित था, को प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैरिफ आदेश को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (मई 2023) कि जेएसईआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति (मई 2022) हो चुकी है और जेएसईआरसी ने 10 जून 2022 से कार्य प्रारंभ कर दिया था। आगे यह कहा गया कि वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के टैरिफ ऑर्डर के ड्र-अप के लिए याचिका, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एआरआर और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ याचिका जेएसईआरसी को (नवंबर 2022) में प्रस्तुत की जा चुकी थी।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि जेएसईआरसी ने स्वयं नवंबर 2022 में लेखापरीक्षा को सूचित किया था कि अध्यक्ष ने सितंबर 2022 में जेएसईआरसी में योगदान दिया था। फिर भी, तथ्य यही रहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैरिफ ऑर्डर को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपने टैरिफ आदेश में जेएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाने पर उत्तर मौन था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अतिरिक्त अंतरराज्यीय संचरण शुल्क, कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज और अतिरिक्त वितरण घाटे की भरपाई की अनुमति जेएसईआरसी द्वारा नहीं दी गई थी।

2.2.8.2 जेएसईआरसी निर्देशों का अनुपालन न होना

- जेएसईआरसी ने 1 अगस्त 2011 से प्रभावी टैरिफ आदेश में निर्देश दिया था कि कोई भी नया विद्युत कनेक्शन बिना मीटर के प्रदान नहीं किया जाएगा। बिना मीटर वाले कनेक्शनों के लिए टैरिफ केवल वर्तमान में बिना मीटर वाले कनेक्शनों के लिए लागू होना था, जब तक कि उनमें मीटर न लग जाये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने दिसंबर 2018 तक मीटरिंग के माध्यम से बिना मीटर वाले कनेक्शन को खत्म करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। जेएसईआरसी ने कंपनी को दिसंबर 2020 तक मीटरिंग पूरा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया था। हालांकि, कंपनी विस्तारित अवधि के भीतर भी पूरी मीटरिंग हासिल करने में विफल रही। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि मार्च 2022 में बिना मीटर वाले कनेक्शनों के विरुद्ध 2,44,825 बिल जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा 2011 के बाद प्रदान

⁴¹ किसी वर्ष के संचालन खर्च को वहन करने के लिए राजस्व की आवश्यकता।

किए गए बिना मीटर वाले कनेक्शनों की कुल संख्या का निर्धारण नहीं कर सका, क्योंकि सभी कनेक्शनों के लिए कनेक्शन की तिथियाँ डेटाबेस में उपलब्ध नहीं थीं।

केस स्टडी: 3

ईएसएसडी, बासुकीनाथ, दुमका में, अगस्त 2011 के बाद 12,318 बिना मीटर वाले कनेक्शन प्रदान किए गए, जबकि जेएसईआरसी ने कोई भी नया कनेक्शन बिना मीटर वाला नहीं देने का निर्देश दिया था।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (मई 2023) कि बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को मीटर वाले उपभोक्ताओं में न बदलने के पीछे का मुख्य कारण डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति, बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के परिसर का पता लगाने में कठिनाई और ग्रामीण उपभोक्ताओं के घर दूरदराज एवं अलग-अलग होने थे। आगे कहा गया कि कंपनी ने जेएसईआरसी के पास एक याचिका दायर (दिसंबर 2020 में) की थी, जिसमें 100 प्रतिशत मीटरिंग हासिल होने तक बिना मीटर वाले टैरिफ की अनुमति देने की मांग की गई थी। जेएसईआरसी के अगस्त 2022 तक अक्रियाशील होने के कारण सुनवाई लंबित थी। इस बीच कंपनी ने वार्षिक विकास योजना के तहत मीटरिंग का काम तेज कर दिया और जनवरी 2023 में जेएसईआरसी को बिना मीटर वाले कनेक्शनों की मीटरिंग की स्थिति सौंपी। जेएसईआरसी ने उक्त याचिका पर अपना अंतिम आदेश जनवरी 2023 में पारित किया, जिसमें कहा गया था कि कंपनी द्वारा मीटरिंग का काम पूरा कर लिया गया है।

- जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियमन, 2015 के अनुच्छेद 8.2.16 के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता की सिक्यूरिटी डिपोजिट पर सालाना ब्याज का भुगतान करेगा। जेएसईआरसी ने कंपनी को अक्टूबर 2020 में सभी उपभोक्ताओं को सिक्यूरिटी डिपोजिट पर ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, हालांकि कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में ब्याज भुगतान के लिए ₹ 471.29 करोड़ का प्रावधान किया था, किन्तु यह देखा गया कि एलटी उपभोक्ताओं⁴² को सुरक्षा जमा पर ब्याज का भुगतान/समायोजन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि सुरक्षा जमा की राशि इसके बिलिंग डेटाबेस में अद्यतन नहीं की जा रही थी। इसके बिलिंग सॉफ्टवेयर में वार्षिक ब्याज भुगतान का प्रावधान मार्च 2022 तक भी मैप नहीं किया गया था।

⁴² जिन उपभोक्ताओं को कम या मध्यम वोल्टेज (फेज और न्यूट्रल के बीच 250 वोल्ट या किन्हीं दो फेज के बीच 440 वोल्ट से अधिक नहीं) पर ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (मई 2023) कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 6.80 लाख एलटी उपभोक्ताओं को ₹ 20 करोड़ के ब्याज का भुगतान फरवरी और मार्च 2023 में किया था। हालांकि, तथ्य अभी भी यही रहा कि कंपनी ने बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रविष्टि करके इस प्रावधान को सभी एलटी उपभोक्ताओं के लिए सार्वभौमिक नहीं किया था।

- जेएसईआरसी ने 2016-17 के लिए टैरिफ ऑर्डर (जून 2017) में जारी किया, जिसमें प्रमंडल-वार ऊर्जा लेखापरीक्षा करने और अंचल-वार संचरण एवं वितरण (टीएंडडी) हानि में कमी के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया। छह महीने के भीतर इस योजना को उसकी प्रगति सहित, जेएसईआरसी को प्रस्तुत की जानी थी। जेएसईआरसी ने कंपनी को छः महीने के भीतर घाटे को कम करने के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में आने वाले ट्रांसफॉर्मरों की एक नमूना ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें अगर कोई कार्रवाई की गई है तो उसके साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने अंचल-वार टीएंडडी हानि की कमी के लिए प्लान तैयार करने हेतु प्रमंडल-वार ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं किया। इसने नवंबर 2022 तक उक्त ट्रांसफॉर्मरों की नमूना ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं किया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (मई 2023) कि आपूर्ति की वोल्टेज-वार लागत (वीसीओएस) और अंचल-वार टीएंडडी हानि में कमी पर तकनीकी अध्ययन के लिए एक एजेंसी को (जनवरी 2019) नियुक्त किया था। वीसीओएस पर रिपोर्ट और अंचल-वार हानि कटौती योजना के साथ जेएसईआरसी को प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, जेएसईआरसी ने रिपोर्ट को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया था कि नमूना फीडरों का चयन उचित नहीं था और मीटर से प्राप्त आंकड़े अधूरे थे। जेएसईआरसी के अनुपालन के साथ एक संशोधित प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई थी, क्योंकि उक्त ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रगति पर थी।

अनुशंसा संख्या 1: सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि टैरिफ को समय पर अंतिम रूप देने के लिए जेएसईआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली न रहें।

अनुशंसा संख्या 2: कंपनी यह सुनिश्चित कर सकती है कि (i) ऊर्जा लेखापरीक्षा किया जाए (ii) संचरण एवं वितरण (टीएंडडी) हानि कम करने के लिए अंचल-वार योजनाएं तैयार की जाएं और (iii) सम्पूर्ण मीटरिंग सुनिश्चित करने में असफल रहने के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

2.2.9 ऊर्जा की बिलिंग

2.2.9.1 ऊर्जा मित्रों की नियुक्ति में अनियमितता

एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट मोबाइल (प्रिंटर के साथ) फोटो स्पॉट ऊर्जा बिलिंग प्रणाली के संचालन के लिए ऊर्जा मित्र को बहाल और प्रबंधित करने के लिए एक सेवा एजेंसी को नियुक्त करने के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) समिति द्वारा एक प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) को (अगस्त 2020) मंजूरी दी गई थी। कंपनी द्वारा विभिन्न विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों (ईएसए) के लिए पांच एनआईटी (जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के बीच) जारी किए गए थे। एनआईटी के नियमों और शर्तों के अनुसार बोली लगाने वाले को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सभी दस्तावेज अपलोड करने थे और पिछले निष्पादित कार्यों के ग्राहक संगठनों द्वारा जारी कार्य आदेश और कार्य प्रदर्शन प्रमाण पत्र भी प्रदान करना था। बोलीदाताओं के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताएँ इस प्रकार थीं:

- (i) बोलीदाताओं को किसी सरकारी विभाग के साथ किसी भी कार्य अनुबंध से बर्खास्त या निलंबित नहीं किया जाना चाहिए और उनकी निष्पादन गारंटी/सिक्क्यूरिटी जब्त नहीं की जानी चाहिए। इन तथ्यों का खुलासा न करने पर बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया से अयोग्यता के लिए उत्तरदायी हो जायेंगे।
- (ii) बोलीदाताओं को, बोली खुलने की तिथि तक, भारत में किसी एक राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी)/राज्य विद्युत वितरण इकाई (एसपीडीयू)/वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के लिए पिछले सात वर्षों में प्रति माह कम से कम पांच लाख उपभोक्ताओं के लिए विद्युत ऊर्जा बिल लगातार दो वर्षों तक तैयार करने का अनुभव होना चाहिए था।
- (iii) बोली लगाने वालों के पास, बोली खुलने की तारीख तक, भारत में किसी भी एसईबी/एसपीडीयू/डिस्कॉम के लिए, पिछले सात वर्षों में से किन्हीं दो वर्षों के लिए, विद्युत ऊर्जा बिल तैयार करने में कम से कम 400 कर्मियों की तैनाती का अनुभव होना चाहिए था।
- (iv) बोलीदाताओं को पिछले सात वर्षों के दौरान भारत में किसी एक एसईबी/एसपीडीयू/ डिस्कॉम के लिए बिल तैयार करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए था। बोलीदाताओं द्वारा, मई 2020 तक समान प्रकृति के तीन कार्य, प्रत्येक की लागत ₹ 10 करोड़ से कम ना हो, या समान प्रकृति के दो कार्य, प्रत्येक की लागत ₹ 15 करोड़ से कम न हो, या समान प्रकृति के एक कार्य, जिसकी लागत ₹ 20 करोड़ से कम ना हो, पूर्ण किया हुआ होना चाहिए था।

तीन⁴³ एनआईटी की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्य उजागर हुआ:

- ईएसए, दुमका के लिए एनआईटी में, सफल बोलीदाता (मेसर्स वैभू इंफ्रा टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज जमा नहीं किए थे। इसके अलावा, बोली लगाने वाले ने कम से कम ₹ 10 करोड़ की लागत वाले किसी भी कार्य के पूरा होने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। हालांकि, निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) ने ₹ 10 करोड़ से कम लागत वाले कई कार्य आदेश जोड़कर बोली लगाने वाले को तकनीकी रूप से योग्य घोषित कर दिया था।
- ईएसए, धनबाद और गिरिडीह के लिए एनआईटी में, सफल बोलीदाता (मेसर्स ईएमडीईई डिजिट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड) ने समान कार्य के लिए ग्राहक द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था। इसके बजाय, इसने ₹ 15 करोड़ से अधिक की लागत वाले दो निष्पादित कार्यों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया था। टीईसी ने बोली लगाने वाले को तकनीकी रूप से योग्य घोषित करने के लिए इस दस्तावेज को स्वीकार कर लिया, यद्यपि, यह ग्राहक द्वारा जारी नहीं किया गया था।
- ईएसए, हज़ारीबाग और मेदिनीनगर के लिए एनआईटी में, सफल बोलीदाता (मेसर्स साई कंप्यूटर्स लिमिटेड) ने अनुबंध से बर्खास्त न होने और किसी भी निविदा से वंचित न किए जाने के संबंध में एक शपथपत्र प्रस्तुत किया (सितंबर 2020) था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने उसी बोलीदाता का अनुबंध बर्खास्त कर दिया था (मार्च 2017) और बयाना भी जब्त कर लिया था। इसके अलावा, बोलीकर्ता को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से भी वंचित कर दिया गया (जून 2017)। इस प्रकार, सफल बोलीदाता ने गलत शपथपत्र प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, बोलीकर्ता को तकनीकी रूप से योग्य घोषित करने के लिए टीईसी द्वारा मई 2020 की निर्धारित तिथि के बाद के निष्पादित कार्यों के मूल्य पर भी विचार किया गया।

इस प्रकार, टीईसी ने गलत शपथपत्रों और अस्वीकार्य प्रपत्रों के आधार पर अयोग्य बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से योग्य घोषित कर दिया था और अंततः काम उन्हें सौंप दिया गया था, जिससे अयोग्य बोलीदाताओं को अनुचित लाभ मिला।

ईएसए, दुमका, धनबाद और गिरिडीह के मामले में, विभाग ने कहा (मई 2023) कि बोलीदाताओं से निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र मांगे गए थे, जिसके अनुसार, सीए द्वारा जारी प्रमाणपत्र स्वीकार्य था।

⁴³ ईएसए, दुमका के लिए पहला; ईएसए, धनबाद और गिरिडीह के लिए संयुक्त रूप से दूसरा; और ईएसए, हज़ारीबाग और मेदिनीनगर के लिए संयुक्त रूप से तीसरा।

ईएसए, हज़ारीबाग और मेदिनीनगर के मामले में, यह कहा गया था कि एजेंसी ने न्यायिक स्टाम्प पेपर पर काली सूची में डालने या विवर्जित न करने के संबंध में एक वचन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर टीईसी ने विचार किया था। हालांकि, विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए गलत शपथपत्र प्रस्तुत करने को स्वीकार किया, और आश्वासन दिया कि इस संबंध में आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निष्पादित कार्य के मूल्य के संबंध में बताया गया कि मई 2020 के बाद निष्पादित कार्य को योग्यता हेतु नहीं माना गया है।

ईएसए, दुमका, धनबाद और गिरिडीह के संबंध में उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि एनआईटी के नियमों और शर्तों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि प्रदर्शन प्रमाण पत्र विद्युत अधीक्षण अभियंता (ईएसई)/ उप महाप्रबंधक के पद से नीचे के अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए ऐसा न करने पर फर्म को योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। हालांकि, बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के दौरान, तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) ने निविदाओं के आगे के मूल्यांकन के लिए, एनआईटी की शर्तों से परे, बोलीदाताओं से सीए प्रमाणित दस्तावेज मांगे थे और तदनुसार, बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया। इस प्रकार, टीईसी ने बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन में एनआईटी शर्तों का पालन नहीं किया था।

ईएसए, हज़ारीबाग और मेदिनीनगर के संबंध में भी उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि टीईसी ने ईएसए, हज़ारीबाग और गिरिडीह द्वारा जारी एक कार्य के प्रमाण पत्र, जिसमें निष्पादित कार्य का मूल्य जुलाई 2020 तक था, जबकि, अन्य कार्य के लिए वेस्को यूटिलिटी, उड़ीसा द्वारा जारी (अगस्त 2020) प्रमाणपत्र में मार्च 2021 तक का कार्य मूल्य शामिल था जिसे स्वीकार कर लिया गया था।

2.2.9.2 विलंबित बिलिंग के लिए बिलिंग एजेंसियों पर दंड आरोपित नहीं करना

चार ईएसए (धनबाद, दुमका, गिरिडीह और राँची) के लिए बिलिंग का काम अलग-अलग एजेंसियों को (अप्रैल 2017 और जून 2017 के बीच) प्रदान किया गया था। कार्य आदेश (कंडिका 4.6.6) में यह प्रावधान था कि किसी उपभोक्ता को लगातार दो महीनों तक ऊर्जा बिल को उपलब्ध नहीं करवाने पर गैर-प्रदर्शन गतिविधि के रूप में प्रति घटना ₹ 200 का अर्थदंड लगाया जाएगा। संबंधित ईएसडी के नोडल अधिकारियों को अर्थदंड अधिरोपित करना था।

कार्य विवरण के अनुसार, मीटर रीडिंग एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन के माध्यम से ली जानी थी और उपभोक्ताओं को उसी स्थान पर बिल तैयार कर उपलब्ध कराना था। नमूना जांच किए गए 12 ईएसडी के बिलिंग डेटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि अप्रैल 2018 से अगस्त 2021 के दौरान 25.06 लाख⁴⁴ बिल दो महीने से अधिक

⁴⁴ दुमका: 3.59 लाख, गिरिडीह (उत्तर): 3.46 लाख, गिरिडीह (दक्षिण): 4.65 लाख, गोड्डा: 2.60 लाख, गोविंदपुर: 1.24 लाख, गुमला: 3.21 लाख, जामताड़ा: 0.78 लाख, कुज्जू: 0.62 लाख, मधुपुर: 1.10 लाख, निरसा: 1.01 लाख, रामगढ़: 0.75 लाख और सिमडेगा: 2.05 लाख।

की देरी के बाद तैयार किए गए थे। हालांकि, संबंधित ईएसडी के नोडल अधिकारियों ने दोषी एजेंसियों पर ₹ 50.12 करोड़ का अर्थ दंड नहीं लगाया।

उत्तर में, विभाग ने कहा (मई 2023) कि दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्याओं के कारण, मीटर रीडर आमतौर पर मैन्युअल रूप से मीटर रीडिंग लेते थे और आस-पास के क्षेत्रों में, जहां नेटवर्क उपलब्ध था, एक साथ बिल बनाते थे। मीटर रीडरों में बिल बनाने के बाद बिल डंप करने या उपभोक्ताओं को बिल उपलब्ध नहीं कराने की प्रवृत्ति थी। आगे, यह भी कहा गया कि कार्य आदेश में बिल न बनाने पर अर्थदंड लगाने के संबंध में एक अनुच्छेद था जो स्वतः बिलों के उपलब्ध करने से जुड़ी थी। कार्य आदेश में एक अनुच्छेद (4.6.1.2) था जो क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में यदि बिलिंग 90 और 80 प्रतिशत से कम हो तो वैसे सभी उपभोक्ता के मासिक बिल से प्रति वित्तीय कोटेशन का 10 प्रतिशत कटौती करने से सम्बद्ध थी। जुर्माना उस स्थिति में लगाया जाना था, जब बिलिंग एजेंसी ने बिल तो तैयार कर लिया था, लेकिन लगातार दो महीने तक इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में विफल रही।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि दोनों अनुच्छेद एक-दूसरे से अलग थे। अनुच्छेद 4.6.1.2 कम बिलिंग के संबंध में थी, जबकि अनुच्छेद 4.6.6 लगातार दो महीनों तक उपभोक्ताओं को बिल न देने के संबंध में थी। इस प्रकार, दोनों अनुच्छेद एक ही समय में लागू थीं। लेखापरीक्षा ने केवल एक ही मुद्दा उठाया है अर्थात् उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिलना, इसे बिलों के तैयार नहीं होने से जोड़ा है, केवल यह दिखाने के लिए कि उपभोक्ताओं को बिलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिलों को तैयार करना एक पूर्व शर्त थी। इसके अलावा, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां नेटवर्क कमजोर था, उपभोक्ताओं तक बिल पहुंचाना, ऊर्जा शुल्क का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था।

2.2.9.3 बिलिंग में विलंब, परिणामस्वरूप दायित्व का निर्माण

अक्टूबर 2020 से प्रभावी जेएसईआरसी टैरिफ आदेश, 2020 की आपूर्ति की नियम और शर्तों की अनुच्छेद X के अनुसार, यदि उपभोक्ताओं को लगातार दो बिलिंग चक्रों तक बिल प्राप्त नहीं होता है, तो दो या उसके किसी भाग से अधिक देरी के लिए बिल राशि पर एक प्रतिशत प्रति महीने की दर से छूट उपभोक्ताओं को लागू होगी, जो तीन प्रतिशत की सीमा के अधीन होगी। उपयोगिता अपनी समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के हिस्से के रूप में इस तरह की छूट का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगी और इसे लाइसेंसधारी की इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) से उपभोक्ताओं को देय मुआवजे के रूप में माना जाएगा।

नमूना जाँच किये गए 12 ईएसडी में बिलिंग विवरणों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 63.34 लाख⁴⁵ बिल दो महीने से अधिक की देरी से जारी किए गए थे (अर्थात्,

⁴⁵ दुमका: 48,82,683, गिरिडीह उत्तर: 2,54,914, गिरिडीह दक्षिण: 2,76,879, गुमला: 2,34,112, गोविंदपुर: 53,282, जामताड़ा: 1,16,587, कुज्जूर: 39,272, मधुपुर: 39,226, गोड्डा: 1,89,715, निरसा: 50,345, रामगढ़: 44,555 और सिमडेगा: 1,52,256

ये बिल अक्टूबर 2020 से मार्च 2022 के दौरान दो महीने से अधिक के बिलिंग चक्र के साथ जारी किए गए थे। हालांकि, ईएसडी ने इन बिलों में संबंधित उपभोक्ताओं को छूट प्रदान नहीं की थी, क्योंकि इसके लिए प्रावधान बिलिंग सॉफ्टवेयर में मैप नहीं किया गया था। इसके कारण मुआवजे के मद में उपभोक्ताओं को ₹ 15.16 करोड़⁴⁶ का लाभ नहीं दिया गया।

विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा (मई 2023) कि 2020 के लिए टैरिफ आदेश अक्टूबर 2020 से प्रभावी था और कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रभाव के कारण, नियमित अंतराल पर उपभोक्ताओं की बिलिंग एक बड़ी चुनौती बन गई, जिसके परिणामस्वरूप अनियमित उपभोक्ता बिलिंग हुई। आगे यह भी कहा गया कि बिलिंग प्रणाली संक्रमण चरण में होने के कारण समय पर बिलिंग करना प्रभावित हुई। हालांकि, कंपनी ने आश्वासन दिया कि जेएसईआरसी द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा और बिलिंग प्रणाली स्थिर होने पर अनुच्छेद X को लागू किया जाएगा।

2.2.9.4 एच टी उपभोक्ताओं⁴⁷ को बिल निर्गत करने में विलम्ब

जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियमन, 2015 के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी बिल जारी होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर बिलों का वितरण सुनिश्चित करेगा। जेएसईआरसी के टैरिफ आदेशों के अनुसार, ऊर्जा बिलों का भुगतान करने की नियत तारीख बिल जारी होने की तारीख से 21 दिन है।

छह नमूना-जांच किए गए ईएससी में एचटी उपभोक्ताओं के 12,702 बिलों⁴⁸ की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि मीटर रीडिंग और बिल निर्गत करने में एक से 22 दिनों तक का अंतर था। बिल निर्गत करने में देरी के कारण भुगतान की नियत तिथि भी बढ़ानी पड़ी। हालांकि, कंपनी ने एलटी उपभोक्ताओं के लिए स्पॉट बिलिंग, यानी मीटर रीडिंग और बिल एक ही दिन में निर्गत करना, को अपनाया था। एचटी उपभोक्ताओं के मामले में, मीटर रीडिंग की तिथि से बिल निर्गत करने में अंतराल और परिणामतः विस्तारित देय तिथि के भीतर भुगतान के कारण ₹ 2,692.07 करोड़ के बिलों के मुकाबले, एसबीआई बेस रेट 7.3 से 9.05 प्रतिशत की दर से संगणित ₹ 1.50 करोड़⁴⁹ की राशि के ब्याज की परिहार्य हानि हुई थी। इस संबंध में, यह देखा गया कि 2020-21 के दौरान एचटी उपभोक्ताओं से संग्रह कुल संग्रह का 38 प्रतिशत था।

विभाग ने बताया (मई 2023) कि एचटी उपभोक्ताओं के कुछ मीटर स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) प्रणाली से युक्त थे, जबकि शेष मामलों में मैनुअल रीडिंग की जा रही थी। मैनुअल रीडिंग के मामले में, बिलिंग मापदंडों को सॉफ्टवेयर सिस्टम में

⁴⁶ दुमका: ₹ 1.31 करोड़, गिरिडीह उत्तर: ₹ 1.22 करोड़, गिरिडीह दक्षिण: ₹ 1.93 करोड़, गोड्डा: ₹ 1.35 करोड़, गोविंदपुर: ₹ 0.56 करोड़, गुमला: ₹ 2.10 करोड़, जामताड़ा: ₹ 1.04 करोड़, कुज्जू: ₹ 2.54 करोड़, मधुपुर: ₹ 0.27 करोड़, निरसा: ₹ 0.19 करोड़, रामगढ़: ₹ 1.79 करोड़ और सिमडेगा: ₹ 0.86 करोड़।

⁴⁷ जिन उपभोक्ताओं को 650 वोल्ट और 33,000 वोल्ट के बीच वोल्टेज स्तर पर ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है।

⁴⁸ देवघर: 806, धनबाद: 7,590, दुमका: 1,240, गिरिडीह: 893, गुमला: 281 और रामगढ़: 1,892

⁴⁹ देवघर: ₹ 11.18 लाख, धनबाद: ₹ 85.58 लाख, दुमका: ₹ 11.47 लाख, गिरिडीह: ₹ 4.67 लाख, गुमला: ₹ 1.97 लाख और रामगढ़: ₹ 35.53 लाख एस.बी.आई बेस रेट पर संगणित।

पंच किया जा रहा था और केंद्रीकृत कम्प्यूटरीकृत बिलिंग सिस्टम के माध्यम से ऊर्जा बिल उत्पन्न किए जा रहे थे। दिसंबर 2022 से, अधिकांश एचटी बिलों की देय तिथि हर महीने की 24 तारीख थी।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर सिस्टम में मैनुअल रीडिंग को पंच करने में देरी से बचने के लिए कंपनी ने अभी तक स्पॉट बिलिंग को नहीं अपनाया था।

2.2.9.5 प्रभावी उपभोक्ताओं की बिलिंग न होना

जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2015 के अनुसार घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि और अन्य श्रेणी की सेवाओं के मीटर रीडिंग-आधारित बिलिंग के संबंध में बिल निर्गत करने की अवधि दो महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, बिलिंग एजेंसियों को जारी कार्य आदेश (अप्रैल 2017) के अनुसार, सभी उपभोक्ताओं की बिलिंग मासिक आधार पर की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान मासिक आधार पर प्रभावी उपभोक्ताओं को 4.07 करोड़, 4.81 करोड़, 5.35 करोड़ और 5.76 करोड़ बिल निर्गत करने की आवश्यकता के विरुद्ध, क्रमशः केवल 3.45 करोड़ (85 प्रतिशत), 3.67 करोड़ (76 प्रतिशत), 3.26 करोड़ (61 प्रतिशत) और 4.16 करोड़ (72 प्रतिशत) बिल निर्गत किए गए थे।
- नमूना जाँच किये गए ईएसडी में बिलिंग सॉफ्टवेयर में बुनियादी आंकड़ों को दर्ज करने के बाद भी मार्च 2022 तक तीन महीने से लेकर 149 महीने तक की अवधि के लिए 34,168 उपभोक्ताओं⁵⁰ की बिलिंग, मुख्यतः संबंधित उपभोक्ताओं के पता नहीं चलने और एक ही उपभोक्ता आईडी एक से अधिक उपभोक्ताओं को आवंटित होने के कारण शुरू नहीं हुई थी। इसके अलावा, 28,605 उपभोक्ताओं⁵¹ को पिछले बिल निर्गत होने के बाद तीन महीने से लेकर 82 महीने तक की अवधि के लिए बिल नहीं दिया गया था।

इस प्रकार, कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं को मासिक बिल जारी करना सुनिश्चित नहीं किया, जो 2018-19 में 85 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 72 प्रतिशत हो गया।

विभाग ने कहा (मई 2023) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

2.2.9.6 ऊर्जा आपूर्ति के घंटों में कटौती⁵² के कारण नियत/मांग शुल्क में कमी

अक्टूबर 2020 से प्रभावी जेएसईआरसी टैरिफ आदेश: 2020-21 के 'अन्य नियम और शर्तों' के अनुच्छेद XI के अनुसार, उपभोक्ताओं से पूर्ण निश्चित/मांग शुल्क की वसूली,

⁵⁰ दुमका: 11,869, गोविन्दपुर: 4,722 जामताड़ा: 8,018, कुज्जूर: 6,992, निरसा: 897, और रामगढ़ : 1,670

⁵¹ दुमका: 8,426, जामताड़ा: 3,850, कुज्जूर: 9,960, निरसा: 4,081 और रामगढ़: 2,288

⁵² आपूर्ति के न्यूनतम घंटे।

उपभोक्ता के परिसर में लगे मीटरों में दर्ज हुए आपूर्ति के घंटों के अनुपात में की जानी थी। एचटी और एलटी उपभोक्ताओं के लिए नियत/ मांग शुल्क की पूरी वसूली के लिए कट-ऑफ घंटे क्रमशः 23 और 21 घंटे प्रति दिन थे। इसके अलावा, लाइसेंसधारी द्वारा कम आपूर्ति (आपूर्ति के निर्धारित घंटों की तुलना में) के कारण नियत/ मांग शुल्क की वसूली में किसी भी कमी का दावा एआरआर के हिस्से के रूप में नहीं किया जा सकता है और इसे उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में माना जाना चाहिए।

छः नमूना जांच किये गए ईएससी के बिलिंग विवरणों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अक्टूबर 2020 से मार्च 2022 तक 649 एचटी उपभोक्ताओं⁵³ को 10,582 बिल जारी किए गए थे। इनमें 7,443 बिलों (70 प्रतिशत) में ऊर्जा की आपूर्ति औसत 23 घंटे/दिन से कम, दो से 712 घंटे प्रति माह के बीच थी। परिणामस्वरूप, कंपनी एचटी उपभोक्ताओं से ₹ 350/ केवीए/माह की पूरी दर पर ₹ 7.76 करोड़⁵⁴ के डिमांड चार्ज का बिल नहीं दे सकी। हालांकि, यह लाभ एलटी उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया, क्योंकि आपूर्ति के घंटे संबंधित बिलिंग सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं किए जा रहे थे, जबकि इसका निर्धारण पावर सब-स्टेशनों (पीएसएस)⁵⁵ पर स्थापित फीडर मीटरों या वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर)⁵⁶ से किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (मई 2023) कि सभी एचटी उपभोक्ताओं के मीटरों में आपूर्ति के घंटों की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था थी लेकिन एलटी उपभोक्ताओं के मीटरों में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, एलटी उपभोक्ताओं की फीडर-वार उपभोक्ता टैगिंग की कमी के कारण, उक्त लाभ उन्हें नहीं दिया जा सका। हालांकि, फीडर टैगिंग प्रक्रियाधीन थी, और एक बार यह पूरा हो जाने पर, कंपनी इसका लाभ एलटी उपभोक्ताओं को भी देगी।

2.2.9.7 अनियमित वोल्टेज छूट प्रदान करना

जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता, 2015 के अनुसार, जिस वोल्टेज पर बिजली की आपूर्ति की जाती है, वह उपभोक्ता⁵⁷ की अनुबंध मांग⁵⁸ (सीडी) पर आधारित होगी। इसके अलावा, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के टैरिफ आदेशों के अनुसार, ऊर्जा आपूर्ति

⁵³ देवघर: 97, धनबाद: 299, दुमका: 67, गिरिडीह: 65, गुमला: 28 और रामगढ़: 93

⁵⁴ देवघर: ₹ 0.38 करोड़, धनबाद: ₹ 3.31 करोड़, दुमका: ₹ 0.27 करोड़, गिरिडीह: ₹ 0.89 करोड़, गुमला: ₹ 0.29 करोड़ और रामगढ़: ₹ 2.62 करोड़।

⁵⁵ 'पावर सब स्टेशन' ऊर्जा प्रणाली का एक हिस्सा है जहां एलटी उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर के माध्यम से आपूर्ति के लिए उच्च वोल्टेज बिजली (33 केवी) को 11 केवी तक ले जाया जाता है।

⁵⁶ वितरण ट्रांसफार्मर घरेलू आपूर्ति के लिए वोल्टेज को 11 केवी से घटाकर 220 वोल्ट कर देते हैं।

⁵⁷ 100 से 1,500 केवीए की सीडी वाले उपभोक्ताओं के लिए, ऊर्जा 6.6/11/22 केवी पर आपूर्ति की जानी थी; 1,501 से 10,000 केवीए की सीडी वाले उपभोक्ताओं के लिए, ऊर्जा 22/33 केवी पर आपूर्ति की जानी थी; 10,001 से 20,000 केवीए सीडी वाले उपभोक्ताओं के लिए 33 केवी पर ऊर्जा की आपूर्ति की जानी थी और 20,000 केवीए से अधिक सीडी वाले उपभोक्ताओं के लिए 66/110/132/220 केवी पर ऊर्जा की आपूर्ति की जानी थी। यदि किसी उपभोक्ता के लिए उपरोक्त प्रावधानों में ढील दी गई थी, तो उच्च वोल्टेज पर आपूर्ति के लिए लागू वोल्टेज छूट की अनुमति नहीं थी।

⁵⁸ संविदा मांग, बिजली की वह मात्रा है जो ग्राहक एक निर्दिष्ट समय अंतराल में बिजली आपूर्तिकर्ता से मांग करता है।

के लिए मासिक आधार पर मांग और ऊर्जा शुल्क⁵⁹ पर क्रमशः तीन, दो और तीन प्रतिशत⁶⁰ की वोल्टेज छूट 33 के.वी. पर लागू थी। हालांकि, ऊर्जा शुल्क बकाया वाले उपभोक्ता उक्त छूट के लिए पात्र नहीं थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छह नमूना जांच किए गए ईएससी में 1,500 किलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए) से कम सीडी वाले 19 एचटी उपभोक्ता 6.6/11/22 केवी पर बिजली आपूर्ति के लिए पात्र थे, लेकिन उन्हें अनियमित रूप से 33 केवी पर बिजली की आपूर्ति की गई थी, तदनुसार, ₹ 2.28 करोड़ की वोल्टेज छूट की अनुमति (परिशिष्ट-X) दी गई। जबकि, केवल उच्च सीडी वाले उपभोक्ता, जिन्होंने अधिक मांग शुल्क का भुगतान किया था, 33 केवी पर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए पात्र थे।

केस स्टडी: 4

एक एचटी उपभोक्ता, जिसकी उपभोक्ता संख्या GDHT1 (T) थी, पर मई 2019 के बिल के विरुद्ध ₹ 6.23 करोड़ का बकाया था। उप महाप्रबंधक, विद्युत आपूर्ति अंचल, देवघर ने इस संबंध में कोई औपचारिक निर्णय लिए बिना, या कोई औचित्य दर्ज किए बिना, बाद के बिलों में मार्च 2022 तक बकाया राशि को स्थगित रखा था (जून 2019)। इस बीच मई 2019 से मार्च 2022 की अवधि के लिए उपभोक्ता को ₹ 39.73 लाख की वोल्टेज छूट प्रदान की गई।

विभाग ने बताया (मई 2023) कि अनुमत वोल्टेज छूट की राशि उपभोक्ताओं के अगले बिजली बिल से वसूल की जाएगी, अर्थात् विद्युत आपूर्ति अंचल, गिरिडीह और गुमला के संबंध में इसकी वसूली की जाएगी। विद्युत आपूर्ति अंचल, देवघर और धनबाद के संबंध में, कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। विद्युत आपूर्ति अंचल, रामगढ़ और दुमका के संबंध में यह कहा गया था कि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लोड-वार वोल्टेज मानदंड, पहली बार 6 दिसंबर 2015 से लागू विद्युत आपूर्ति संहिता 2015 में परिभाषित किया गया था, और ये कनेक्शन विद्युत आपूर्ति संहिता, 2015 लागू होने के पूर्व की अवधि से संबंधित थे।

विद्युत आपूर्ति अंचल, रामगढ़ और दुमका के संबंध में उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमन, 2015 के प्रावधानों को सभी विद्यमान कनेक्शनों पर लागू किया जाना चाहिए था, भले ही वे इसकी प्रभावी तिथि से पहले दिए गए हो, जैसा कि विद्युत आपूर्ति अंचल, गिरिडीह और गुमला के मामले में किया गया था। इसके अलावा, विद्युत आपूर्ति अंचल, देवघर में एक उपभोक्ता (GDHT1 (T)) के पास सीडी 2000 केवीए के साथ 132 केवी पर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक कनेक्शन (3 मार्च 2019) था, हालांकि आपूर्ति संहिता 2015 के अनुसार वह 33 केवी पर बिजली

⁵⁹ 'ऊर्जा शुल्क' महीने के दौरान खपत की गई कुल इकाइयों पर लगाया जाता है और 'मांग शुल्क' जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर प्राप्त अधिकतम मांग या अनुबंध मांग का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पर लगाया जाता है।

⁶⁰ यदि 33 केवी और उससे अधिक पर बिजली ली गई थी, तो ऊर्जा और मांग शुल्क में तीन, दो और तीन प्रतिशत की छूट की अनुमति दी गई थी।

प्राप्त करने का हकदार था। बाद में, कंपनी ने जेएसईआरसी की अनुमति (16 दिसंबर 2020) के साथ इस उपभोक्ता के लागू वोल्टेज छूट दर को 132 केवी के बजाय कम करके 33 केवी के दर पर कर दिया गया था।

2.2.9.8 त्रुटिपूर्ण मीटरों को बदलने में विलम्ब

जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियमन, 2015 के अनुसार यदि कोई मीटर त्रुटिपूर्ण हो या जल गया हो या अटक गया हो और रिकॉर्डिंग बंद हो गयी हो तो, उपभोक्ता को उस महीने जिसमें मीटर अंतिम बार पढ़ा गया था (उस महीने सहित) के तत्काल पूर्व के तीन महीनों की औसत उपभोग के आधार पर बिल दिया जाना था जिसकी अधिकतम अवधि तीन महीने तक ही होगी। यदि मीटर खराब पाया जाता है तो कंपनी को उपभोक्ता को सूचित करना था और उक्त उपभोक्ता को सात दिनों के भीतर मीटर बदलने के लिए भी कहना था, जिसके बाद कंपनी को नया मीटर लगाने का अधिकार दिया गया था।

पांच नमूना जांच किये गए विद्युत आपूर्ति अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह उदघटित हुआ कि सितंबर 2013 और सितंबर 2021 के बीच 25 एचटी उपभोक्ताओं⁶¹ के मीटर खराब पाए गए थे। इन 25 उपभोक्ताओं में 13 उपभोक्ताओं⁶² के मीटर अक्टूबर 2018 और नवंबर 2020 के बीच तीन महीने के उपरांत, एक महीने से लेकर 70 महीने तक की देरी के बाद बदल दिए गए थे। शेष 12 उपभोक्ताओं⁶³ के खराब मीटर तीन माह के उपरांत भी चार से 70 माह तक बीत जाने के बाद भी नहीं बदले गए (जून 2022 तक)।

पुनः, उपभोक्ता जिनके मीटर विलम्ब से बदले गए थे उनकी संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 13 में 12 उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का मीटरों के अनुसार औसत उपभोग, त्रुटि की अवधि में निर्गत औसत बिलों की तुलना में 10 से 80 प्रतिशत अधिक था। लेखापरीक्षा की गणना के अनुसार कम ऊर्जा शुल्क दिसंबर 2013 से जून 2020 तक ₹ 6.40 करोड़ (परिशिष्ट-XI) निकला, जो त्रुटी की अवधि के दौरान औसत उपभोग एवं मीटर परिवर्तन के उपरांत दर्ज की गई खपत के औसत के अंतर पर आधारित थी। इसके अलावा, दोषपूर्ण मीटरों को बदलने में देरी के कारण, एचटी उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा की खपत में वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (मई 2023) कि एचटी मीटर/मीटरिंग इकाइयों की अनुपलब्धता के कारण दोषपूर्ण मीटरों को समय पर नहीं बदला जा सका। शेष 12 खराब मीटर भी अब बदल दिए गए हैं।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि 2016-17 से 2021-22 वित्त वर्ष के अंत तक 229 से 451 एचटी मीटर, 33 केवी की 23 से 39 मीटरिंग इकाइयां और 11 केवी की 27

⁶¹ धनबाद: 14, दुमका: 5, गिरिडीह: 1, गुमला: 4 और रामगढ़: 1

⁶² धनबाद: 5, दुमका: 3, गिरिडीह: 1, गुमला: 3 और रामगढ़: 1

⁶³ धनबाद: 9, दुमका: 2 और गुमला: 1

से 66 मीटरिंग इकाइयां, धनबाद, दुमका, गिरिडीह और रामगढ़ के केंद्रीय भंडार में उपलब्ध थीं। इनका उपयोग खराब मीटरों को बदलने के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा, मीटर लगने की अवधि के दौरान उच्च उपभोग के कारणों पर उत्तर मौन था।

2.2.9.9 उपभोक्ताओं को अस्वीकार्य पावर फैक्टर छूट

2016-17 के टैरिफ आदेश (अप्रैल 2018 तक लागू) के अनुसार, यदि उपभोक्ता द्वारा मासिक औसत पावर फैक्टर⁶⁴ 90 प्रतिशत से बनाये रखें तो एक प्रतिशत की छूट और यदि पावर फैक्टर 95 प्रतिशत से अधिक हो तो उपभोक्ताओं को मांग और ऊर्जा शुल्क पर दो प्रतिशत की छूट लागू थी। इसके अलावा, बकाया वाले उपभोक्ताओं को पावर फैक्टर छूट⁶⁵ की अनुमति नहीं दी जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच किए गए चार विद्युत आपूर्ति अंचलों में 59 एचटी उपभोक्ताओं⁶⁶ को जुलाई 2017 से मई 2018 की अवधि के लिए ₹ 59.87 लाख⁶⁷ की पावर फैक्टर छूट की अनुमति दी गई थी यद्यपि उनके पास बकाया था।

विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया (मई 2023) और कहा कि विद्युत आपूर्ति अंचल, गुमला में संबंधित उपभोक्ताओं से छूट की वसूली की गई थी, जबकि तीन विद्युत आपूर्ति अंचलों (देवघर, दुमका और रामगढ़) में यह प्रक्रियाधीन थी।

2.2.9.10 इलेक्ट्रिसिटी इयूटी भारत नहीं किया जाना

सितंबर 2018 में जारी वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार की गजट अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रिसिटी इयूटी⁶⁸ (ईडी) को अक्टूबर 2018 से समय-समय पर निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को बिल करना था तथा एकत्र करके सरकार के खाते में जमा करना था। केंद्र सरकार के विभागों पर ईडी नहीं लगाया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छः नमूना-जांच किए गए ईएससी में 37 एचटी उपभोक्ताओं⁶⁹ पर ₹ 1.02 करोड़⁷⁰ का ईडी नहीं लगाया गया था, हालांकि वे केंद्र सरकार के विभाग नहीं थे। इसके अलावा, इन उपभोक्ताओं के प्रकार, डेटाबेस में 'राज्य सरकार', 'निजी' और 'अन्य' के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन इन उपभोक्ताओं

⁶⁴ 'पावर फैक्टर' (पीएफ) किलोवाट (किलोवाट) में मापी गई खपत की गई कार्यशील/वास्तविक ऊर्जा का किलोवोल्ट एम्पीयर (केवीए) में मापी गई स्पष्ट शक्ति (एक निश्चित अवधि के दौरान मशीनरी और उपकरण चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा) का अनुपात है।

⁶⁵ यदि उपभोक्ताओं द्वारा पावर फैक्टर 90 प्रतिशत तक बनाए रखा जाता है, तो जेएसईआरसी द्वारा निर्धारित ऊर्जा और मांग शुल्क में उपभोक्ताओं को छूट दी जाती है।

⁶⁶ देवघर: 04, दुमका: 29, गुमला: 02 और रामगढ़: 24

⁶⁷ देवघर: ₹ 46.00 लाख, दुमका: ₹ 3.33 लाख, गुमला: ₹ 0.18 लाख और रामगढ़: ₹ 10.36 लाख।

⁶⁸ सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी इयूटी उपभोक्ताओं के द्वारा उर्जा खपत पर भारत किया जाता (केंद्र सरकार के उपभोक्ताओं के अलावा)।

⁶⁹ देवघर: 6, धनबाद: 8, दुमका: 11, गिरिडीह: 4, गुमला: 1 और रामगढ़: 7

⁷⁰ देवघर: ₹ 0.11 करोड़, धनबाद: ₹ 0.57 करोड़, दुमका: ₹ 0.12 करोड़, गिरिडीह: ₹ 0.01 करोड़, गुमला: ₹ 0.01 करोड़ और रामगढ़: ₹ 0.20 करोड़।

पर ईडी नहीं लगाने से संकेत मिलता है कि इस प्रावधान को बिलिंग सॉफ्टवेयर में मैप नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (मई 2023) कि ईएससी, गुमला ने ईडी आरोपित और वसूली कर ली गई, जबकि ईएससी, धनबाद ने वसूली योग्य ईडी की गणना कर ली थी और आने वाले महीनों में इसे वसूला जाएगा। तीन ईएससी (रामगढ़, दुमका और देवघर) में मामलों का सत्यापन किया जा रहा था। ईएससी, गिरिडीह, में उपभोक्ता, केंद्र सरकार के कार्यालय थे।

ईएससी, गिरिडीह के संबंध में उत्तर तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि सभी चार उपभोक्ता राज्य सरकार के कार्यालय थे न की केंद्र सरकार के।

2.2.9.11 संचरण एवं वितरण हानियों के विरुद्ध शुल्क न लगाया जाना

एक एचटी उपभोक्ता (GDHT1(T)) को मार्च 2019 में एक अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया था। लोड स्वीकृति पत्र (जनवरी 2019) के अनुसार, संचरण एवं वितरण (टीएंडडी) नुकसान उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऊर्जा एवं स्थायी शुल्क का 2.5 प्रतिशत टीएंडडी हानि उपभोक्ताओं पर अगस्त 2021 से लगाया गया था, जबकि उन्हें मार्च 2019 से लगाया जाना था। इस प्रकार, कंपनी ने मार्च 2019 से जुलाई 2021 की अवधि के लिए टीएंडडी घाटे के मद में ₹ 31.57 लाख का शुल्क नहीं लिया।

विभाग ने बताया (मई 2023) कि क्षेत्रीय कार्यालय को जल्द से जल्द जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

2.2.9.12 स्ट्रीट लाइट उपभोक्ताओं की बिलिंग कम/ न होना

2018-19 और 2019-20 के टैरिफ आदेशों के अनुसार, स्ट्रीट लाइट सेवा (एसएस) टैरिफ, नगर पालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्र समितियों (एनएसी), पंचायतों आदि में, नगर पालिकाओं और एनएसी द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्रों सहित, एकल प्रणाली सहित स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली के उपयोग हेतु लागू होगी। दिसंबर 2020 तक बिना मीटर वाले कनेक्शन के लिए टैरिफ ₹ 500 प्रति 100 वॉट प्रति माह था, तथा इस समय तक मीटर लगा दिए जाने थे और मीटर द्वारा ही विपत्रिकरण की जानी थी। मीटर लगे कनेक्शन के लिए टैरिफ ₹ 6 प्रति यूनिट था, जो अप्रैल 2019 से बढ़ाकर ₹ 6.25 प्रति यूनिट हो गया था।

नमूना जाँच 12 ईएसडी में नौ के 91 स्ट्रीट लाइट उपभोक्ताओं के बिलिंग डेटा से यह देखा गया कि 73 उपभोक्ताओं⁷¹ को बिना मीटर वाले कनेक्शन और 18 उपभोक्ताओं को मीटर वाले कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

⁷¹ देवघर: 37, दुमका: 12, गिरिडीह (दक्षिण): 1, गोड्डा: 1, जामताड़ा: 2, मधुपुर: 9, निरसा: 2, रामगढ़: 8 और सिमडेगा: 1

जाँच से यह भी पता चला कि:

- बिना मीटर कनेक्शन वाले 73 उपभोक्ताओं में, 68 उपभोक्ताओं को बिना मीटर लगाए ही खराब मीटर वाले उपभोक्ताओं की श्रेणी में डाल दिया गया और इन उपभोक्ताओं के संबंध में औसत बिलिंग की जा रही थी। बिना मीटर वाले कनेक्शन के बिलिंग पर ₹ 500 प्रति 100 वॉट प्रति माह के लागू टैरिफ के बजाय औसत आधार पर बिलिंग के कारण, कंपनी ने जून 2017 से जुलाई 2022 की अवधि के दौरान इन 68 उपभोक्ताओं से ₹ 37.41 करोड़ के ऊर्जा शुल्क की कम बिलिंग की (*परिशिष्ट-XII*)। इसके अलावा, इन 68 उपभोक्ताओं में से छह उपभोक्ताओं को अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए बिलिंग नहीं की गई थी, जबकि इन 68 उपभोक्ताओं में से तीन उपभोक्ताओं की बिलिंग मार्च 2019 में बीच में ही रोक दी गई थी। शेष पांच उपभोक्ताओं (73 उपभोक्ताओं में से) के बिल या तो जारी नहीं किए गए थे या केवल आंशिक अवधि के लिए जारी किये गए थे। इस प्रकार, जनवरी 2018 से जुलाई 2022 (*परिशिष्ट-XIII*) की अवधि में बिना मीटर वाले कनेक्शनों के लिए लागू टैरिफ पर गणना के आधार पर ₹ 17.81 करोड़ का कम बिलिंग हुआ।
- ईएसडी, गिरिडीह (दक्षिण) में, 18 मीटर उपभोक्ताओं का बिलिंग उनके कनेक्शन तिथि से नहीं जारी किया गया (जुलाई 2022 तक) जो मई 2021 से अप्रैल 2022 तक दिये गए थे

इस प्रकार, कंपनी में या तो कम बिल भारित किया या उपभोक्ताओं का बिलिंग नहीं किया, जिसके कारण स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली के बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं से ₹ 55.22 करोड़ की बिलिंग-कम/ बिलिंग-नहीं हुई।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (मई 2023) कि ईएसडी, दुमका और ईएसडी, जामताड़ा ने उपभोक्ताओं से बिना मीटर लगे उपभोक्ताओं पर लागू टैरिफ के अनुसार शुल्क भारित कर दिया था, जबकि अन्य संबद्ध ईएसडी को इस संबंध में अपनी प्रतिवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया था।

2.2.9.13 मीटर किराये का अनियमित शुल्क

जुलाई 2017 से प्रभावी 2016-17 के टैरिफ आदेश के अनुसार, ग्रामीण घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से मीटर किराया नहीं लिया जाना था। इसके अलावा, अक्टूबर 2020 से प्रभावी 2020-21 के टैरिफ आदेश के अनुसार, किसी भी उपभोक्ता से मीटर किराया नहीं लिया जाना था।

वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि कंपनी ने जुलाई 2017 से मार्च 2022 के दौरान ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं से मीटर किराए के रूप में ₹ 89.66 करोड़ और अक्टूबर 2020 से मार्च 2022 के दौरान अन्य उपभोक्ताओं पर ₹ 1.59 करोड़ भारित किया।

इस प्रकार, कंपनी ने मार्च 2022 तक अनियमित रूप से ₹ 91.25 करोड़ का मीटर किराया वसूला।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (मई 2023) कि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं से जुलाई 2017 के बाद मार्च 2021 तक और अन्य उपभोक्ताओं से अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक मीटर किराया लिया गया था, अब इसे रोक दिया गया है और वसूले गए अतिरिक्त मीटर किराया को वापस करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

2.2.9.14 अस्वीकार्य त्वरित भुगतान छूट दिया जाना

जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2015 के अनुसार, चेक के माध्यम से बिल भुगतान के लिए नियत देय तिथि, बिल भुगतान के लिए सामान्य देय तिथि से तीन दिन पहले, जबकि ऑनलाइन बैंक हस्तांतरण/ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान के लिए, यह बिल भुगतान के लिए सामान्य नियत तिथि से एक दिन पहले होनी थी। इसके अलावा, नियत तिथि पर भुगतान करने में विफलता के मामले में, उपभोक्ताओं को शीघ्र भुगतान छूट की अनुमति नहीं दी जानी थी।

पांच नमूना जांच ईएससी के 463 एचटी उपभोक्ताओं⁷² के बिलिंग डेटा की नमूना-जांच से पता चला कि कंपनी ने उन उपभोक्ताओं को ₹ 6.28 करोड़⁷³ की त्वरित भुगतान छूट प्रदान किया, जिन्होंने सामान्य देय तिथि तक चेक या ऑनलाइन भुगतान किया था। इसका कारण बिलिंग सॉफ्टवेयर में उपर्युक्त प्रावधान की मैपिंग न होना था, क्योंकि बिलों में चेक या ऑनलाइन भुगतान के लिए विशेष प्रावधान के बिना केवल भुगतान की सामान्य देय तिथि दर्शायी गई थी। इसके अलावा, इसके कारण ₹ 0.53 करोड़⁷⁴ की राशि का विलम्ब भुगतान शुल्क (डीपीएस) भी नहीं लिया गया, जबकि भुगतान चेक/ऑनलाइन द्वारा निर्धारित नियत तारीख के बाद किया गया था।

विभाग ने कहा (मई 2023) कि, वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जेएसईआरसी टैरिफ के अनुसार, ऊर्जा बिलों के भुगतान की नियत तारीख बिल जारी करने की तारीख के 21 दिन बाद होनी थी और भुगतान के विभिन्न तरीकों के लिए इसे अलग नहीं किया गया था।

उत्तर तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि उल्लिखित टैरिफ आदेश भी जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार थे, जो ऊर्जा बिलों के भुगतान के लिए 21 दिनों की अनुमति भी देते हैं, लेकिन चेक या डिजिटल भुगतान के लिए सामान्य देय तिथियों से पहले नियत तिथि निर्धारित करते हैं ताकि देय तिथियों के भीतर राशि का निपटान सुनिश्चित किया जा सके। विनियम के अनुसार,

⁷² देवघर: 35, धनबाद: 292, दुमका: 29, गिरिडीह: 17 और रामगढ़: 90

⁷³ देवघर: ₹ 0.21 करोड़, धनबाद: ₹ 3.61 करोड़, दुमका: ₹ 0.08 करोड़, गिरिडीह: ₹ 0.07 करोड़ और रामगढ़ ₹ 2.31 करोड़।

⁷⁴ धनबाद: ₹ 0.45 करोड़, दुमका: ₹ 0.04 करोड़ और रामगढ़ 0.04 करोड़।

उपभोक्ताओं को छूट का लाभ देने के लिए कंपनी द्वारा नियत तिथियों के भीतर राजस्व की वसूली पूर्व-अपेक्षित है।

2.2.9.15 गुणन कारक अद्यतन न होने के कारण कम बिलिंग

मीटर में दिखाई गई खपत के आधार पर उपभोक्ताओं की बिलिंग की जाती है। एचटी उपभोक्ता के मामले में, खपत की गई इकाइयों की वास्तविक संख्या तक पहुंचने के लिए मीटर रीडिंग को आनुपातिकता कारक जिसे 'गुणन कारक (एमएफ)' कहा जाता है, से गुणा किया जाता है, जिसके आधार पर, ऊर्जा शुल्क की गणना की जाती है। यह एमएफ नई मीटरिंग इकाई की स्थापना के समय तय किया जाता है।

छ: नमूना जांच में से तीन ईएससी के 12 एचटी उपभोक्ताओं⁷⁵ के एमएफ में नई मीटरिंग इकाइयों की स्थापना के कारण वृद्धि हुई थी। हालांकि, बड़े हुए एमएफ को बिलिंग सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं किया गया था, जबकि स्थापित मीटरों के अन्य विवरण अपडेट किए गए थे और ईएससी पुराने और निचले एमएफ को लागू करते हुए बिल जारी करता रहा। इससे ₹ 43.15 करोड़ (परिशिष्ट-XIV) की कम बिलिंग हुई, जिसमें ₹ 0.85 करोड़⁷⁶ का ईडी भी शामिल था। लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (मई 2023) कि ईएससी, धनबाद, दुमका और गिरिडीह ने संबंधित उपभोक्ताओं के वर्तमान ऊर्जा बिलों में कम बिलिंग की राशि भारित कर दी गई है, जिनसे वसूली की जानी थी।

2.2.9.16 ऊर्जा शुल्क की कम बिलिंग

उपभोक्ताओं की बिलिंग मीटर में दर्शाई गई खपत की गई यूनिट के आधार पर और खराब मीटर के मामले में औसत आधार पर की जाती है। महीने के दौरान खपत की गई इकाइयों के लिए मासिक ऊर्जा बिल लिया जाना है।

नमूना-जांच ईएससी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि:

- चार नमूना-जांच ईएससी में 22 एचटी उपभोक्ताओं के दोषपूर्ण मीटरों को महीने के मध्य में बदल दिया गया था, लेकिन उस विशेष महीने के लिए बिल, नए स्थापित मीटरों की रीडिंग के आधार पर जारी किए गए थे। महीने की आंशिक अवधि के लिए औसत बिल, जिसके दौरान मीटर खराब थे, जारी नहीं किए गए, जिसके कारण ₹ 55.25 लाख की कम बिलिंग हुई (परिशिष्ट-XV)।
- चार नमूना-जांच ईएससी में 14 एचटी उपभोक्ताओं के मीटर खराब थे, अतः औसत आधार पर बिलिंग की जा रही थी। हालांकि, इन 14 उपभोक्ताओं में सात की औसत खपत, बाद के महीनों में, बिना कोई कारण बताये, मनमाने ढंग से कम कर दी गई, जिसके कारण ऊर्जा शुल्क की कम बिलिंग हुई, जो कि ₹ 2.43 करोड़ (परिशिष्ट-XVI) थी। शेष सात उपभोक्ताओं के मामले में, पिछली खपत के औसत की गणना निचले स्तर पर की गई, जिसके कारण ₹ 3 करोड़ की कम

⁷⁵ धनबाद: 09, दुमका: 02, और गिरिडीह: 01

⁷⁶ धनबाद: ₹ 0.77 करोड़, दुमका: ₹ 0.06 करोड़ और गिरिडीह: ₹ 0.02 करोड़।

बिलिंग हुई (परिशिष्ट-XVII)। इस प्रकार, औसत खपत में मनमाने ढंग से कटौती और पिछली खपत की दोषपूर्ण औसत गणना के कारण 14 एचटी उपभोक्ताओं से ₹ 5.43 करोड़ की कम बिलिंग हुई।

विभाग ने कहा (मई 2023) कि ईएससी, धनबाद और रामगढ़ ने कम बिलिंग की राशि भारत की जा चुकी है, जबकि ईएससी, दुमका द्वारा अगले बिल में भारत कर लिया जाएगा। शेष ईएससी के संबंध में जवाब अप्राप्त था।

2.2.9.17 बिना मीटर वाले एचटी उपभोक्ताओं से ऊर्जा शुल्क की कम बिलिंग

अगस्त 2011 से प्रभावी 2011-12 के लिए जेएसईआरसी टैरिफ के अनुसार, कंपनी (तत्कालीन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड) द्वारा उचित मीटर लगाए बिना कोई नया कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाना था। टैरिफ केवल मौजूदा बिना मीटर वाले कनेक्शनों पर लागू होना था, जब तक कि उनमें मीटर न लगाया गया हो। इसके अलावा, जेएसईआरसी टैरिफ के अनुसार, 2015-16 के बाद, मीटर खराब होने की स्थिति में, उस अवधि से, जिसके पहले उपभोग का कोई पैटर्न उपलब्ध हो, औपबंधिक औसत बिल एलएचडीएफ फॉर्मूला⁷⁷, जैसा कि टैरिफ आदेशों में निर्धारित है, के आधार पर जारी किया जाना था।

नमूना जांच किए गए ईएससी में एचटी उपभोक्ताओं की मीटर स्थापना रिपोर्ट, बिजली बिल और नए कनेक्शन फाइलों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि:

- ईएससी, रामगढ़ के अन्तर्गत जनवरी 2019 से फरवरी 2021 के दौरान छह उपभोक्ताओं को बिना मीटर के नए कनेक्शन प्रदान किए गए। मीटर फरवरी 2020 से नवंबर 2021 के दौरान अर्थात् कनेक्शन देने के नौ से 13 महीने बाद लगाए गए थे। मीटर लगने तक इन छः उपभोक्ताओं का कोई बिल नहीं बनाया गया था। मीटर लगने के बाद तीन महीने की औसत खपत को ध्यान में रखते हुए, बिना मीटर वाली अवधि के लिए बिल जारी किए गए। चूंकि इन मामलों में पिछली खपत का कोई पैटर्न उपलब्ध नहीं था, इसलिए ऊर्जा खपत की गणना एलएचडीएफ फॉर्मूला का उपयोग करके की जानी चाहिए थी। लेखापरीक्षा ने एलएचडीएफ फॉर्मूला अपनाते हुए ₹ 55.69 लाख की कम बिलिंग की आकलन किया, जिससे अंततः कंपनी को राजस्व का नुकसान हुआ।
- ईएससी, कोडरमा ने दिसंबर 2017 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (बिहार की डिस्कॉम) को दो नए एचटी कनेक्शन⁷⁸ बिना मीटर के प्रदान किए। दोनों कनेक्शन बिना किसी आवेदन और आवश्यक सुरक्षा जमा प्राप्त किए, और किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना प्रदान किए गए थे। मीटर 18

⁷⁷ एल=लोड, एच=घंटों की संख्या, डी=दिनों की संख्या, और एफ=लोड फैक्टर (0.25/0.30)।

⁷⁸ उपभोक्ता संख्या 7003/GOVT H174 और 70024/JWHT7493, क्रमशः 945 केवीए एवं 450 केवीए के स्वीकृत भार के साथ।

से 37 महीने बाद जून 2019 और जनवरी 2021 में लगाए गए थे। मीटर लगने तक कोई बिल नहीं प्राप्त हुआ था।

एक कनेक्शन (7003/GOVT H174) में, बिना मीटर वाली अवधि (जनवरी 2018 से जून 2019) की बिलिंग पहले तीन मीटर रीडिंग वाले महीनों, अर्थात् जुलाई से सितंबर 2019 के महीनों में औसत ऊर्जा खपत के आधार पर की गई थी, जबकि, दूसरे मामले (70024/JWHT7493) में, बिना मीटर लगे अवधि (जनवरी 2018 से दिसंबर 2020) का बिल अन्य कनेक्शन (7003/GOVT H174) द्वारा खपत की गई ऊर्जा के आनुपातिक आधार पर बनाया गया था। बिना मीटर वाली अवधि के लिए ऊर्जा शुल्क की गणना के लिए एलएचडीएफ फॉर्मूला नहीं अपनाने के कारण ₹ 2.03 करोड़ की कम बिलिंग हुई। इसके अलावा, ईएससी, कोडरमा का दोनों कनेक्शनों पर ₹ 5.19 करोड़ की कुल मांग दिसंबर 2022 तक बकाया था।

इस प्रकार, ईएससी, कोडरमा ने औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना दूसरे राज्य के डिस्कॉम को कनेक्शन प्रदान किया और ₹ 7.22 करोड़ पांच वर्षों से अधिक (दिसंबर 2022 तक) समय से बकाया रहा।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (मई 2023) कि ईएससी, रामगढ़ ने अक्टूबर 2022 में उपभोक्ताओं से कम बिलिंग की राशि भारत की थी। आगे, यह भी कहा गया कि ईएससी, कोडरमा के दोनों कनेक्शन, JWHT7493 और GOVTH174, क्रमशः मार्च 2022 और मार्च 2023 में हटा दिया गया था और विसंगति का विश्लेषण किया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी।

2.2.9.18 एचटी उपभोक्ताओं से ऊर्जा शुल्क न लिया जाना

टैरिफ आदेशों के अनुसार, एचटी उपभोक्ताओं की ऊर्जा बिलिंग में निम्नलिखित आधार पर ऊर्जा शुल्क शामिल हैं: (i) मीटर में दिखाई देने वाली ऊर्जा उपभोग और (ii) मांग शुल्क, स्वीकृत भार का 75 प्रतिशत या अधिकतम मांग, जो ज्यादा हो। इसके अलावा, जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2015 के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी को एक नया कनेक्शन सक्रिय करने के दो बिलिंग चक्रों के भीतर पहला बिल जारी करना होता है।

ईएससी, धनबाद के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि तीन एचटी उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन प्रदान (अप्रैल और दिसंबर 2016) किए गए थे। हालांकि, ईएससी ने जून 2019 तक उनके संबंध में बिल जारी नहीं किया था। इसके अलावा, बिलिंग सॉफ्टवेयर के डेटाबेस ने मीटर की स्थिति को दोषपूर्ण दर्शाते हुए, जुलाई 2019 के बाद से ही मीटर रीडिंग दिखाई गई। अगस्त 2019 के बाद से मीटर रीडिंग में बदलाव आया, हालांकि मीटर अभी भी 'दोषपूर्ण' दर्शाये जा रहे थे। ईएससी ने जुलाई 2019 से तदर्थ आधार पर बिल जारी करना शुरू कर दिया पर पिछली अवधि, 31 से 40 महीने तक के बिल जारी नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा ने अगस्त 2019 के बाद के बिलों

को ध्यान में रखते हुए, नहीं बनाए गए बिलों के मूल्य की गणना ₹ 15.10 करोड़ की, जैसा कि तालिका 2.3 में बताया गया है।

तालिका 2.3: एचटी उपभोक्ताओं से ऊर्जा शुल्क न लिया जाना

उपभोक्ता का नाम/सं.	कनेक्शन की तिथि	अवधि जिसके लिए शुल्क नहीं लिया गया (महीने में)	अवधि जिसके लिए शुल्क लिया गया	चार्ज किया गया यूनिट	लेखापरीक्षा गणना के लिए लिया गया यूनिट	बकाया ऊर्जा शुल्क (₹ करोड़ में)
कार्यपालक अभियंता एनआरईपी (बीआरडी591)	दिसंबर 2016	दिसंबर 2016 से जून 2019 (31 माह)	जुलाई 2019	68,070	28,944	0.53
			अगस्त 2019 से	28,944		
कार्यपालक अभियंता माडा (एसएनडी1517/1520)	अप्रैल 2016	अप्रैल 2016 से जून 2019 (39 महीने)	जुलाई 2019	5,07,790	2,16,000	3.49
			अगस्त 2019 से	2,16,000		
सहायक मैकेनिकल इंजीनियर (जे 172)	अप्रैल 2016	अप्रैल 2016 से जून 2019 (39 महीने)	जुलाई 2019	3,29,784	5,07,600	11.08
			अगस्त 2019 से	5,07,600		
कुल						15.10

(स्रोत: जेबीवीएनएल के रिकॉर्ड से संकलित)

इस प्रकार, बिलिंग नहीं होने के कारण कंपनी ₹ 15.10 करोड़ के ऊर्जा शुल्क की वसूली नहीं कर सकी। विभाग ने बहिर्गमन सम्मलेन (मई 2023) के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि सभी उपभोक्ताओं के खिलाफ बिल जारी किए जाएंगे।

2.2.9.19 नए सेवा कनेक्शन जारी करने में देरी

(विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियमन, 2015 के अनुच्छेद 6.26 (ए) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी, किसी भी परिसर के मालिक या अधिभोगी के आवेदन पर, पूर्ण आवेदन की प्राप्ति और आवश्यक शुल्क के भुगतान के बाद अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर ऐसे परिसर में ऊर्जा की आपूर्ति देगा यदि किसी आवेदक को ऊर्जा की आपूर्ति वितरण लाइसेंसधारी के मौजूदा नेटवर्क से दी जानी है।

इसके अलावा, (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, नया ऊर्जा कनेक्शन जारी करने की कुल समय सीमा आवेदन प्राप्त होने और शुल्क के भुगतान की तारीख से अधिकतम 60 दिन होगी। इसके अलावा, जेएसईआरसी प्रदर्शन मानकों (एसओपी) के अनुसार, कंपनी को एलटी उपभोक्ताओं को निर्धारित समय के भीतर कनेक्शन प्रदान नहीं करने पर, उपभोक्ताओं को डिफॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए ₹ 50 प्रति दिन की दर से, यदि उपभोक्ता मुआवजे की मांग करता है तो, मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

12 नमूना-जांच ईएसडी में अभिलेखों की जांच से पता चला कि:

- वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान, छह नमूना-जांच ईएससी के 12 ईएसडी⁷⁹ में नए एलटी कनेक्शन के लिए कुल 86,078 आवेदन प्राप्त हुए थे। मार्च 2022 तक इनमें से 72,346 कनेक्शन जारी किए जा चुके थे और 13,732 आवेदन लंबित थे। जारी किए गए कनेक्शनों के डेटा की जांच से पता चला कि 9,759 कनेक्शन(13 प्रतिशत) जारी करने में एक से 1,265 दिनों (60 दिनों से अधिक) तक की देरी हुई थी। नए कनेक्शन जारी करने में देरी के लिए ₹ 5.72 करोड़ का मुआवजा बनता है। हालांकि, किसी भी उपभोक्ता द्वारा इसका दावा नहीं किया गया था (दिसंबर 2022 तक)।
- इसके अलावा, नए एचटी उपभोक्ताओं के 22 आवेदनों⁸⁰ के मामले में, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में देरी, लोड की मंजूरी, मीटरिंग उपकरण की अनुपलब्धता के कारण सेवा कनेक्शन ऊर्जान्वित करने में चार से 35 महीने (दो महीने से अधिक) तक की देरी हुई थी। नए कनेक्शन जारी करने में देरी के कारण कंपनी ₹ 2.33 करोड़⁸¹ का डिमांड शुल्क अर्जित नहीं कर सकी।

विभाग ने कहा (मई 2023) कि एचटी कनेक्शन जारी करने में देरी मुख्य रूप से आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने में देरी या उपभोक्ताओं की ओर से दस्तावेज जमा करने और सुरक्षा राशि जमा करने में देरी के कारण हुई। ईएसडी, गिरिडीह उत्तरी और दक्षिण को छोड़कर जहाँ देरी के लिए एलटी उपभोक्ताओं द्वारा मीटर जमा न करने को जिम्मेदार ठहराया गया था, एलटी उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी करने में देरी के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

उत्तर तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि एचटी उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी करने में देरी मुख्य रूप से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में देरी, लोड की मंजूरी, मीटरिंग उपकरण की अनुपलब्धता और ऊर्जाकरण में देरी के कारण पाई गई।

अनुशंसा संख्या 3: कंपनी यह सुनिश्चित कर सकती है कि (i) कंपनी बिलिंग सॉफ्टवेयर में विद्युत आपूर्ति विनियमन और टैरिफ आदेशों के सभी प्रावधानों की मैपिंग और अद्यतीकरण (ii) सभी प्रभावी उपभोक्ताओं अर्थात् सभी विद्यमान उपभोक्ता जो कंपनी से उर्जा का उपभोग कर रहे हैं, को सही और समय पर बिलिंग और (iii) बिलिंग सॉफ्टवेयर के अद्यतीकरण नहीं करने के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण।

⁷⁹ ईएससी धनबाद: गोविंदपुर और निरसा; ईएससी देवघर : मधुपुर और गोड्डा; ईएससी: गिरिडीह: गिरिडीह दक्षिण और गिरिडीह उत्तर; ईएससी गुमला: गुमला और सिमडेगा; ईएससी दुमका :दुमका और जामताड़ा; और ईएससी रामगढ़: रामगढ़ और कुज्जू।

⁸⁰ देवघर : 3, धनबाद : 3, दुमका : 6, गुमला : 4, और रामगढ़ : 6

⁸¹ देवघर: ₹ 0.06 करोड़, धनबाद: ₹ 0.22 करोड़, दुमका: ₹ 0.30 करोड़, गुमला: ₹ 0.42 करोड़ और रामगढ़: ₹ 1.33 करोड़।

2.2.9.20 मीटर रीडिंग पर ऊर्जा बिलिंग

अगस्त 2011 से प्रभावी जेएसईआरसी टैरिफ: 2011-12 के अनुसार, मीटर के बिना कोई नया कनेक्शन नहीं दिया जाना था। टैरिफ केवल मौजूदा बिना मीटर वाले कनेक्शनों पर लागू होना था, जब तक कि उनमें मीटर न लगाया गया हो। 31 दिसंबर 2020 तक सभी कनेक्शनों पर मीटर लगाया जाना था और मीटर रीडिंग के अनुसार ही बिलिंग की जानी थी।

वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान एचटी और एलटी दोनों उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के आधार पर, औसत आधार पर, दोषपूर्ण मीटर और बिना मीटर वाले कनेक्शन के लिए जारी किए गए बिलों का विवरण तालिका 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4: विभिन्न श्रेणियों के सभी एलटी और एचटी उपभोक्ताओं को जारी किए गए बिल और बिलों से सम्बंधित यूनिट्स

विवरण	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	बिलों की संख्या (प्रतिशत)	खपत (एमयू में)	बिलों की संख्या (प्रतिशत)	खपत (एमयू में)	बिलों की संख्या (प्रतिशत)	खपत (एमयू में)	बिलों की संख्या (प्रतिशत)	खपत (एमयू में)
मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किए गए बिल	1,04,31,137 (30)	4,586 (50)	1,58,94,173 (43)	4,904 (53)	1,82,62,885 (56)	4,820 (61)	2,32,65,676 (56)	4,819 (53)
औसत आधार पर जारी बिल	1,10,67,019 (32)	1,359 (15)	1,19,30,703 (33)	2,188 (23)	1,01,78,402 (31)	1,850 (23)	1,58,28,511 (38)	3,217 (36)
बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को जारी किए गए बिल	1,29,85,405 (38)	3,241 (35)	88,47,507 (24)	2,221 (24)	41,89,113 (13)	1,243 (16)	25,71,590 (06)	983 (11)
कुल	3,44,83,561	11,086	3,66,72,383	11,213	3,26,30,400	9,813	4,16,65,777	9,019

(स्रोत: राजस्व विवरणी 1, जिसके आधार पर कंपनी अपने खाते तैयार करती है)

तालिका 2.4 से देखा जा सकता है कि बिल की गई इकाइयों के संदर्भ में मीटर्ड बिलिंग में सुधार हुआ, यह वित्त वर्ष 2018-19 में 50 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 61 प्रतिशत हो गया, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 में घटकर 53 प्रतिशत रहा। दोषपूर्ण मीटरों के लिए, बिल की गई इकाइयों के संदर्भ में, औसत आधार पर बिलिंग, वित्त वर्ष 2018-19 में 15 प्रतिशत से बढ़कर, वित्त वर्ष 2021-22 में 36 प्रतिशत रही।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिलिंग में कमी करके, जिनके खिलाफ उपभोग की गई इकाइयों को तदर्थ आधार पर राजस्व विवरण 1 में दर्ज किया गया है, कंपनी की अतिरिक्त एटीएंडसी हानि (15 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक) वित्त वर्ष 2018-19 में 14 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 18 प्रतिशत रही (तालिका 2.1)।

इसके अलावा, यह देखा गया कि, वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान, बिना मीटर वाले एलटी उपभोक्ताओं को नियत दरों पर 2.86 करोड़ बिल जारी किए गए थे। राजस्व विवरण 1 की जांच और डीएस 1 (ए), डीएस 1 (बी), एनडीएस -1 और सिंचाई श्रेणियों के तहत बिना मीटर वाले एलटी उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सब्सिडी से पता चला कि वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21⁸² के दौरान कंपनी द्वारा निर्धारित दरों⁸³ पर 6,698.19 एमयू (परिशिष्ट-XVIII) की खपत दर्ज की गई जिसका आकलित राजस्व⁸⁴ ₹ 641.14 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने अनुमोदित मीटर्ड टैरिफ के आधार पर, ₹ 641.16 करोड़ के आंकलित राजस्व हेतु ऊर्जा शुल्क की गणना की और पाया कि इतनी ही राशि केवल 1,121.82 एमयू की बिक्री के माध्यम से प्राप्त की जा सकती थी। शेष 5,576.35 एमयू के लिए, अनुमोदित मीटर्ड टैरिफ के अनुसार ऊर्जा शुल्क ₹ 2,853.47 करोड़ होता। इन 5,576.35 एमयू को बिना बिक्री ऊर्जा के रूप में मानते हुए, वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान एटीएंडसी घाटा, कंपनी के वित्तीय विवरणों में बताई गई तुलना में अधिक (परिशिष्ट-XVIII और परिशिष्ट-XIX) होना चाहिए था जैसा कि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 2.5: वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान की दर्ज और आंकलित एटीएंडसी घाटा

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष (प्रतिशत में)	लेखापरीक्षा द्वारा आंकलित (प्रतिशत में)	अंतर (प्रतिशत में)
2018-19	28.69	49.21	20.52
2019-20	33.48	46.57	13.09
2020-21	41.21	49.18	7.97
2021-22	आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराए गए		

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित)

तालिका 2.5 से देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान, बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अतिरिक्त खपत की बुकिंग के कारण, एटीएंडसी घाटे की लगभग आठ से 21 प्रतिशत की संभावित कम रिपोर्टिंग की गई।

विभाग ने सभी कनेक्शनों में मीटर की अनुपस्थिति को स्वीकार किया और कहा (मई 2023) कि कंपनी अपने सभी बिना मीटर वाले/दोषपूर्ण मीटर उपभोक्ताओं के मीटर लगाने की प्रक्रिया में लगातार लगी हुई थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा बताए 5,576.35 एमयू की बिना बिक्री इकाई, जिसके कारण एटीएंडसी हानि की कम रिपोर्टिंग हुई के राजस्व की गैर-वसूली पर उत्तर मौन था।

⁸² वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध मूल्यांकन किए गए राजस्व और प्रदान की गई सब्सिडी से संबंधित डेटा कंपनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

⁸³ डीएस 1 (ए), डीएस 1 (बी) और एनडीएस-1 उपभोक्ताओं के लिए ₹ 250 प्रति कि.वा. प्रति माह प्रति कनेक्शन्स और आई.ए.स टैरिफ के लिए ₹ 400 प्रति एच.पी.प्रति.माह प्रति घंटा कनेक्शन।

⁸⁴ 'आंकलित राजस्व' वह राजस्व है जो टैरिफ आदेशों के अनुसार उपभोक्ताओं पर भारित किया जाता है।

अनुशंसा संख्या 4: कंपनी यह सुनिश्चित कर सकती है कि (i) सभी उपभोक्ताओं की शत-प्रतिशत मीटरिंग हो (ii) वास्तविक खपत के आधार पर बिलिंग हो और (iii) एटीएंडसी हानि को कम दर्शाने के लिए बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध अत्यधिक उर्जा उपभोग दर्शाने वाले सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण।

2.2.10 सब्सिडी प्रबंधन

वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा दावा की गई, उपयोग की गई दावा और झा.स. द्वारा प्रदान की गई वर्ष-वार सब्सिडी का विवरण तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6: वर्ष-वार प्राप्त और उपभोक्ताओं को दी गई सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कंपनी द्वारा दावा की गई सब्सिडी	झा.स. द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी	उपयोग की गई सब्सिडी (उपभोक्ताओं को हस्तांतरित)	शेष/अतिरिक्त
2018-19	594.95	594.95	574.21	20.74
2019-20	1,350.00	1,350.00	1,329.03	20.97
2020-21	1,536.00	1,000.00	1,356.16	(-) 356.16
2021-22	1,536.00	2,072.00 ⁸⁵	1,755.20	316.80
कुल	5,016.95	5,016.95	5,014.60	2.35

(स्रोत: जेबीवीएनएल के अभिलेखों से संकलित)

तालिका 2.6 से देखा जा सकता है कि कंपनी को वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान उपभोक्ताओं को दी गई वास्तविक सब्सिडी की तुलना में, झा.स. से ₹ 2.35 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी प्राप्त हुई थी।

2.2.10.1 सब्सिडी का अधिक दावा

ऊर्जा विभाग, झा.स. के संकल्प (मार्च 2019) के अनुसार, कंपनी को केवल ऊर्जा बिलों के खिलाफ उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि के विरुद्ध आनुपातिक रूप से सब्सिडी प्रदान की जानी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान उपभोक्ताओं की पांच श्रेणियों⁸⁶ पर लागू टैरिफ से संबंधित कुल बिल राशि ₹ 1,060.10 करोड़ के मुकाबले ₹ 792.04 करोड़ की सब्सिडी का दावा किया था। हालांकि, इन उपभोक्ताओं से वास्तविक वसूली केवल ₹ 43.41 करोड़ थी, जबकि वसूली योग्य राशि

⁸⁵ जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 का शेष दावा ₹ 536.00 करोड़ भी शामिल है।

⁸⁶ डीएस-1(ए) : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 100 वाट तक कनेक्टेड लोड के लिए कुटीर ज्योति कनेक्शन, डीएस-1(बी): 2 किलोवाट तक कनेक्टेड लोड के लिए ग्रामीण उपभोक्ता, आईएएस-1: निजी ट्यूबवेल और लिफ्ट सिंचाई योजनाएं, आईएएस-2: राज्य ट्यूब-वेल और लिफ्ट सिंचाई योजनाएं और एसएस-1: मीटर वाली स्ट्रीट लाइट सेवा।

₹ 268.06 करोड़⁸⁷ थी। वास्तविक प्राप्ति के अनुपात में, कंपनी केवल ₹ 100.55 करोड़ (परिशिष्ट-XX) की संबंधित सब्सिडी का दावा करने के लिए पात्र थी। हालांकि, कंपनी ने ₹ 792.04 करोड़ की सब्सिडी का दावा किया था, जिसके परिणामस्वरूप, झा.स. के उपर्युक्त संकल्प का उल्लंघन कर, बिना भुगतान किए बिलों के खिलाफ ₹ 691.49 करोड़⁸⁸ का अतिरिक्त दावा हुआ था।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मलेन (मई 2023) के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सब्सिडी की घटनोत्तर मंजूरी झारखण्ड सरकार से मांगी जाएगी।

2.2.10.2 जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता के प्रावधान का उल्लंघन कर सब्सिडी का अतिरिक्त दावा

जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2015 के अनुसार, यदि कोई मीटर खराब है या जल गया है या अटक गया है और रिकॉर्डिंग बंद कर दी है, तो उपभोक्ता को पिछले तीन महीनों की औसत खपत के आधार पर बिल दिया जाना है।

इसके अलावा, टैरिफ आदेशों के अनुसार, डीएस-1 (ए) और डीएस-1 (बी) उपभोक्ताओं (ग्रामीण) को मीटर⁸⁹ कनेक्शन के लिए जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित निर्धारित दरों पर बिल दिया जाना था, और बिना मीटर वाले कनेक्शन के लिए ₹ 250 प्रति कनेक्शन प्रति किलो वाट (केडब्ल्यू) लोड प्रति माह देय था। अनुमोदित टैरिफ पर, झा.स. ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में मीटर कनेक्शन के लिए ₹ 3 प्रति यूनिट और वित्तीय वर्ष 2019-20 से डीएस-1 (ए)/ डीएस-1 (बी) कनेक्शन के लिए ₹ 4.25/ ₹ 3.90 प्रति यूनिट की सब्सिडी प्रदान की। बिना मीटर वाले कनेक्शनों के लिए, झा.स. ने डीएस-1 (ए) और डीएस-1 (बी) कनेक्शनों को प्रति माह प्रति किलोवाट (केडब्ल्यू) लोड पर क्रमशः ₹ 125 और ₹ 25 की सब्सिडी प्रदान की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- नमूना जांच किए गए 12 ईएसडी में, वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान 4,42,364 बिना मीटर वाले ग्रामीण घरेलू कनेक्शनों को बिना मीटर लगाए 'दोषपूर्ण मीटर वाले कनेक्शन' में बदल दिया गया था। इन उपभोक्ताओं को ₹ 250 प्रति कनेक्शन प्रति माह की दर से नियत बिलिंग लागू करने के बजाय, एलएचडीएफ फॉर्मूला अपनाते हुए, प्रति माह ₹ 4.40 से ₹ 5.75 प्रति यूनिट के लागू मीटर टैरिफ पर फ्लैट 109.5 यूनिट प्रति किलोवाट के लिए बिल दिया गया था। नतीजतन, कंपनी ने डीएस-1(ए) उपभोक्ताओं से ₹ 13.81 करोड़ की अधिक राशि, डीएस-1(बी) उपभोक्ताओं से ₹ 8.62 करोड़ की कम राशि भारित

⁸⁷ ₹ 1,060.10 करोड़ - ₹ 792.04 करोड़ = ₹ 268.06 करोड़।

⁸⁸ ₹ 792.04 करोड़ - ₹ 100.55 करोड़ = ₹ 691.49 करोड़।

⁸⁹ डीएस-1(ए) - वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 4.40 प्रति यूनिट तथा 2019-20 से ₹ 5.75 प्रति यूनिट; डीएस-1(बी) - वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 4.75 प्रति यूनिट तथा 2019-20 से ₹ 5.75 प्रति यूनिट।

की और झा.स. से ₹ 271.76 करोड़⁹⁰ की अतिरिक्त सब्सिडी का दावा किया (परिशिष्ट-XXI)।

विभाग ने कहा (मई 2023) कि डीएस1(ए) के तहत सभी कनेक्शन और डीएस1(बी) के तहत अधिकांश कनेक्शन, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ऊर्जा मीटर के साथ दिए गए थे। हालांकि, प्रौद्योगिकी और श्रम शक्ति की कमी के कारण इन उपभोक्ताओं को बिना मीटर वाली श्रेणी के तहत बिल दिया गया था। वर्ष 2017 में केंद्रीकृत बिलिंग प्रणाली की शुरुआत के बाद, एक आकलन किया गया और पाया गया कि इनमें से अधिकांश उपभोक्ताओं के मीटर नंबर उपलब्ध थे। तदनुसार, बिलिंग एजेंसियों को मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, बिलिंग एजेंसियों ने मीटर रीडिंग के दौरान पाया कि ये मीटर खराब थे और उन्होंने इन उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण मीटर की स्थिति के अनुसार बिल भारित किया।

विभाग का उत्तर, वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान बिना मीटर वाले कनेक्शनों को दोषपूर्ण मीटर कनेक्शनों में अनियमित रूप से परिवर्तित करने के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन पर केन्द्रित नहीं है, जबकी केंद्रीकृत बिलिंग प्रणाली पहले से ही चालू थी और मीटर विवरण 2017 में सिस्टम में अपडेट किया गया बताया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा अवलोकन केवल उन मामलों पर केन्द्रित है, जिन्हें वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान केंद्रीकृत बिलिंग प्रणाली में बिना मीटर वाले कनेक्शन के रूप में दिखाया गया और बिना किसी मीटर विवरण के दोषपूर्ण मीटर कनेक्शन के रूप में बिलिंग प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया।

- नमूना जांच किए गए 12 ईएसडी में, यह देखा गया कि कंपनी ने एलएचडीएफ फॉर्मूला⁹¹ अपनाते हुए, दोषपूर्ण मीटर वाले 1,71,196 ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के बिल प्रति माह 109.5 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति कनेक्शन की नियत दर पर जारी किए थे। हालांकि, पिछले तीन महीनों में इन उपभोक्ताओं की औसत खपत 109.5 यूनिट से कम और एक से 109 यूनिट के बीच थी। इसके कारण ₹ 26.42 करोड़ की ऊर्जा शुल्क की अतिरिक्त बिलिंग हुई (जिसमें उपभोक्ताओं पर ₹ 7.92 करोड़ और सरकार पर सब्सिडी के रूप में ₹ 18.50 करोड़ का बोझ शामिल था)।

विभाग ने कहा (मई 2023) कि, दोषपूर्ण मीटरों के विरुद्ध बिलिंग के मामलों में, यह पाया गया कि पिछली अवधि की खपत का डेटा, पिछले तीन महीनों की औसत खपत की गणना के लिए विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि बिलिंग एजेंसियों द्वारा अंकित की गई यूनिट को कई मामलों में कम पाया गया। अतः ऐसे खराब

⁹⁰ डीएस-1 (ए) के विरुद्ध ₹ 179.23 करोड़ और डीएस-1(बी) के विरुद्ध ₹ 92.53 करोड़।

⁹¹ स्वीकृत लोड (एल) x आपूर्ति के घंटे (एच) x लोड फैक्टर (एफ), जेएसईआरसी द्वारा निर्धारित x आपूर्ति के दिन (डी)।

मीटर वाले उपभोक्ताओं की एलएचडीएफ फॉर्मूले के आधार पर 110 यूनिट की बिलिंग की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने जिम्मेदार बिलिंग एजेंसियों/विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कोई दस्तावेज या कार्रवाई रिपोर्ट, जिसके आधार पर उसने पाया था, कि बिलिंग प्रणाली में कम मीटर रीडिंग को अंकित किया गया था, उपलब्ध नहीं कराई। कम किये गए बिलिंग के मामलों की जानकारी होने के बावजूद, कंपनी ने पहले से जारी बिलों को संशोधित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को अंततः नुकसान हुआ।

- ऐसे मामलों में, जहां तीन महीने के पिछले उपभोग पैटर्न उपलब्ध नहीं थे, कंपनी ने पूरे 24 घंटे की ऊर्जा आपूर्ति पर विचार करते हुए एलएचडीएफ फॉर्मूले के आधार पर ऊर्जा बिलिंग की थी। चूंकि वितरण ट्रांसफार्मरों के लिए ऊर्जा लेखांकन नहीं किया जा रहा था, इसलिए लेखापरीक्षा एलटी लाइनों के लिए आपूर्ति के वास्तविक घंटों का आकलन नहीं कर सका। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में 11 केवी पर ऊर्जा आपूर्ति से संबंधित रिपोर्टों की जांच से पता चला कि वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान आपूर्ति के वास्तविक औसत घंटे प्रति दिन 13 से 21 घंटे के बीच थे। इसके अलावा, एलटी उपभोक्ताओं द्वारा चोरी के मामलों में, आपूर्ति के वास्तविक घंटे आठ और 18 घंटे माने गए (कंडिका 2.2.12.2)।

11 केवी पर आपूर्ति के औसत घंटों को ध्यान में रखते हुए, जो की एलटी उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति का अधिकतम घंटा होगा, कंपनी ने नमूना जांच किए गए चार ईएससी⁹² के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं से ₹ 58.37 करोड़ का अधिक शुल्क लिया। इस ₹ 58.37 करोड़ की राशि में उपभोक्ताओं पर ₹ 17.87 करोड़ और सरकार पर सब्सिडी के रूप में ₹ 40.50 करोड़ का वित्तीय भार शामिल है।

विभाग ने कहा (मई 2023) कि अधिकांश एलटी उपभोक्ता (घरेलू) मीटरों में आपूर्ति के घंटे रिकॉर्ड करने का प्रावधान नहीं था और फीडर-वार उपभोक्ता टैगिंग की कमी के कारण, प्रत्येक उपभोक्ता को कितने घंटे की आपूर्ति हुई इसकी संख्या निर्धारित करना संभव नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा गणना हेतु लिए गए आपूर्ति के अधिकतम घंटों को 11 केवी फीडर से लिया जा सकता था।

इस प्रकार, कंपनी ने जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2015 और लागू टैरिफ आदेशों का उल्लंघन करते हुए दोषपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ताओं द्वारा अधिक ऊर्जा की खपत दिखाकर ₹ 330.76 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी का दावा किया था।

⁹² ईएससी, देवघर; ईएससी, दुमका; ईएससी, गिरिडीह; एवं ईएससी, रामगढ़।

इसके अलावा, अतिरिक्त खपत की बुकिंग के कारण एटीएंडसी घाटे की कम रिपोर्टिंग होने की संभावना थी, जैसा कि कंडिका 2.2.9.20 में चर्चा की गई है।

अनुशंसा संख्या 5: कंपनी यह सुनिश्चित कर सकती है कि (i) झारखण्ड सरकार के मार्च 2019 के संकल्प के अनुसार सही बिलिंग और सब्सिडी का दावा किया गया है और (ii) त्रुटिपूर्ण बिलिंग और अत्यधिक सब्सिडी का दावा करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

2.2.11 राजस्व का संग्रहण

चूंकि कंपनी बिजली की बिक्री से राजस्व अर्जित करती है, इसलिए राजस्व का त्वरित संग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कंपनी जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार, बिजली की बिक्री से राजस्व एकत्र करती है। झा.स. विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिलों के लिए सीधे कंपनी को सब्सिडी प्रदान करता है, और टैरिफ और सब्सिडी का अंतर, कंपनी द्वारा संबंधित उपभोक्ताओं से एकत्र किया जाता है।

2.2.11.1 राजस्व संग्रहण के लिए एजेंसियों की नियुक्ति

कंपनी ने राजस्व संग्रह गतिविधियों जैसे कि ई-वॉलेट प्रणाली के माध्यम से सात ईएसए में रहने वाले उपभोक्ताओं से घर-घर बिजली बकाया का संग्रह के लिए, एकल बोली के माध्यम से सीलबंद लिफाफे/पासवर्ड संरक्षित ई-मेल में कोटेशन आमंत्रित करने का नोटिस (एनआईक्यू) निर्गत किया (मई 2021)।

एनआईक्यू के तकनीकी पात्रता मानदंड (अनुच्छेद 1) के अनुसार, बोली लगाने वाले को नकदी संग्रह सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्र/राज्य सरकार संगठन के साथ काम करने का कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए और कम से कम दो असाइनमेंट/प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे करने चाहिए, पिछले पांच वर्षों में घर-घर जाकर नकदी संग्रह गतिविधियों में पांच लाख से अधिक उपभोक्ताओं का संचालन करना चाहिए। हालांकि, विभिन्न ईएसए के तहत पहले से नियुक्त ऊर्जा मित्रों को इन मानदंडों से छूट दी गई थी, क्योंकि उन्हें अपने एनआईटी (अगस्त 2020) में पहले से ही ऐसे दस्तावेज जमा करने थे, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि एजेंसी को प्रीपेड ई-वॉलेट प्रणाली को सफलतापूर्वक सक्षम करने के बाद प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के उपयोग से राजस्व संग्रह का काम भी करना होगा, जिसके लिए अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाने थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छः नए बोलीदाताओं ने तकनीकी पात्रता दस्तावेजों के साथ वित्तीय कोटेशन (मई 2021) जमा किए थे, जबकि पांच मौजूदा ऊर्जा मित्रों ने केवल वित्तीय कोटेशन जमा किए थे। कोटेशन और संबंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि:

- मौजूदा पांच ऊर्जा मित्रों को पहले से ही तकनीकी पात्रता मानदंड से अनुचित छूट, उनके पास पहले से ही समान योग्यताएं होने के कारण दी गई थी, हालांकि

संग्रह गतिविधियों के संबंध में ऐसा किसी योग्यता मानदंड का पहले के एनआईटी में मूल्यांकन नहीं किया गया था, जैसा कि कंडिका 2.2.9.1 में चर्चा की गई।

- कोटेशन जमा करने के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इसके बजाय, कोटेशन ई-मेल और हार्ड कॉपी के माध्यम से स्वीकार किए गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने सभी मौजूदा ऊर्जा मित्रों को नए बोलीदाता द्वारा पेश किए गए एल1 कोटेशन से मिलान करने का अवसर दिया (4 जून 2021)। यह प्रस्ताव तुलनात्मक विवरण तैयार करने (5 जुलाई 2021) और निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा कोटेशन का मूल्यांकन (9 जुलाई 2021) से पहले रखा गया था। इस प्रकार, एक पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और टीईसी के समक्ष सीलबंद या पासवर्ड संरक्षित कोटेशन रखे जाने से पहले, कंपनी द्वारा सभी कोटेशन खोले गए थे।
- तुलनात्मक विवरण और टीईसी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, नोटिस आमंत्रण कोटेशन (एनआईक्यू) की तकनीकी आवश्यकता⁹³ के अनुसार, कोई भी नया बोलीदाता तकनीकी रूप से पात्र नहीं था। हालांकि, वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर एकल बोली कोटेशन होने के कारण, टीईसी ने सात ईएसए में पांच⁹⁴ में एल1 बोली लगाने वाले (मेसर्स आरएनएफआई सर्विस प्राइवेट लिमिटेड) को काम देने की अनुशंसा की, जबकि बोली लगाने वाला टीईसी द्वारा तकनीकी रूप से योग्य नहीं पाया गया था और पिछले पांच वर्षों में पांच लाख से अधिक उपभोक्ताओं का संचालन करने, घर-घर नकद संग्रह गतिविधियों में कम से कम दो असाइनमेंट/परियोजनाओं के सफल समापन के संबंध में दस्तावेज जमा नहीं किया। हालांकि, अक्टूबर 2022 तक केवल ईएसए, मेदिनीनगर के लिए एल1 बोली लगाने वाले को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था (जुलाई 2021)।
- शेष दो ईएसए में, मौजूदा ऊर्जा मित्रों⁹⁵ को ईडी, वाणिज्यिक और राजस्व (सी एंड आर) के निर्देशानुसार काम सौंपा गया था, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया था कि वे एल1 दरों पर काम करेंगे।
- एनआईक्यू के अनुसार, संग्रह सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए सांकेतिक कार्यकाल न्यूनतम तीन वर्ष था। हालांकि, टीईसी ने ईडी (सी एंड आर) के निर्देशानुसार केवल वित्त वर्ष 2021-22 के कार्यकाल की सिफारिश की (जुलाई 2021), जिसे, संतोषजनक प्रदर्शन के बाद दो साल तक बढ़ाया जा सकता था।

इस प्रकार, मौजूदा ऊर्जा मित्रों को तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने से छूट दी गई थी; टीईसी के समक्ष सीलबंद या पासवर्ड संरक्षित कोटेशन रखने से पहले, कंपनी

⁹³ या तो न्यूनतम तीन साल का अनुभव हो या घर-घर जाकर संग्रह गतिविधियों में लगे हों या पांच लाख से अधिक उपभोक्ताओं का संचालन का दो कार्य पूर्ण किए हों।

⁹⁴ धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, मेदिनीनगर एवं राँची।

⁹⁵ दुमका: मेसर्स वैभु इंफ्रा टेक इंडिया प्रा. लिमिटेड और जमशेदपुर: मेसर्स क्वेस कॉर्प लिमिटेड।

द्वारा सभी कोटेशन खोले गए; पांच मौजूदा ऊर्जा मित्रों को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया, भले ही उनके पास संग्रह गतिविधियों की तकनीकी योग्यता नहीं थी; और दो ईएसए का काम मौजूदा ऊर्जा मित्रों को एल1 दर पर सौंपा गया था। इसके अलावा, एनआईक्यू नियमों और शर्तों की अनदेखी करते हुए कार्य आदेशों की अवधि कम कर दी गई। इस प्रकार, कोटेशन के मूल्यांकन और कार्य आदेश देने में पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

विभाग ने कहा (मई 2023) कि सभी पांच मौजूदा ऊर्जा मित्रों ने घर-घर बिलिंग और संग्रह का कार्य किया था। इसलिए इन एजेंसियों को तकनीकी मूल्यांकन से छूट दी गई थी। चूंकि कंपनी के राजस्व में भारी गिरावट आई थी, इसलिए कंपनी ने मौजूदा एजेंसियों को टीईसी से पहले एल1 दर से मिलान करने की पेशकश करने का फैसला किया ताकि संग्रह गतिविधियां तुरंत शुरू की जा सकें। कंपनी ने कहा कि मेसर्स आरएनएफआई को पायलट आधार पर केवल तीन महीने के लिए काम आवंटित किया जाएगा और पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अन्य ईएसए के शेष हिस्से के कार्य पर विचार किया जाएगा।

उत्तर तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि मौजूदा ऊर्जा मित्रों को कंपनी ने केवल घर-घर बिलिंग कार्य के लिए नियुक्त किया था। हालांकि, एनआईक्यू के अनुसार, नकदी संग्रह सेवाओं का अनुभव और ऐसी परियोजनाओं का सफल समापन, तकनीकी योग्यता का मानदंड था जिनका तकनीकी मूल्यांकन से दी गई छूट के कारण, का परीक्षण नहीं किया गया। ई-टेंडरिंग को न अपनाने, टीईसी के समक्ष रखे जाने से पहले कोटेशन खोलने, तकनीकी रूप से अयोग्य बोलीदाताओं को काम देने और काम देने में कार्यकाल में कमी के संबंध में उत्तर मौन था।

2.2.11.2 एटीपी मशीनों की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव के लिए एजेंसियों की नियुक्ति

कंपनी ने एक दर संविदा व्यवस्था के तहत विभिन्न स्थानों पर किसी भी समय भुगतान (एटीपी)/कैश इन और कैश आउट कियोस्क मशीनों की आपूर्ति, स्थापना, रखरखाव और बिल संग्रह के संचालन के लिए एक एजेंसी की नियुक्ति के लिए एक एनआईटी आमंत्रित (30 अगस्त 2021) किया। एनआईटी के अनुसार प्राथमिक और बैंक-अप के लिए एक-एक टेराबाइट (टीबी) हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी) की आपूर्ति की जानी थी और एटीपी मशीनों में स्थापित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सफल बोलीदाता (मेसर्स आइडिया इनफिनिटी आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड) ने प्राइमरी स्टोरेज के लिए केवल 240 गीगाबाइट (जीबी) सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी) और बैंक-अप के लिए 120 जीबी एसएसडी की हार्ड डिस्क स्थापित करने की पेशकश की थी। फिर भी, प्राथमिक और बैंक-अप दोनों के लिए एक टीबी एचडीडी की हार्ड डिस्क की स्थापना के लिए कार्य आदेश जारी किया गया (फरवरी 2022)। पांच ईएसएसडी के प्रबंधकों (सहायक विद्युत अभियंता) द्वारा

हस्ताक्षरित 15 एटीपी मशीनों⁹⁶ के स्थापना प्रमाणपत्रों के अनुसार, प्राथमिक और बैक-अप के लिए प्रत्येक में एक टीबी एचडीडी की हार्ड डिस्क स्थापित की गई थी। जबकि, एटीपी मशीनों द्वारा उत्पन्न रिपोर्ट से संकेत मिला कि केवल 238 जीबी एसएसडी की हार्ड डिस्क स्थापित की गई थी।

इस प्रकार, गलत स्थापना प्रमाणपत्र जारी करके बोली लगाने वाले को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा (मई 2023) कि क्षेत्रीय कार्यालयों/एजेंसी को कार्य आदेश में दर्शाए गए तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप भंडारण क्षमता बढ़ाने और संशोधित स्थापना प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है।

2.2.11.3 दावों के कालातीत होने के कारण राजस्व की हानि

विद्युत आपूर्ति संहिता, 2015 के अनुच्छेद 10.15.1 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (2) के अनुसार भुगतान में चूक के कारण किसी भी उपभोक्ता से देय कोई भी राशि, उस तिथि से जब ऐसी राशि पहली बार देय हुई हो, से दो वर्ष की अवधि के बाद वसूली योग्य नहीं होगी जब तक कि ऐसी राशि को शुल्क के बकाया के रूप में लगातार वसूली योग्य नहीं दिखाया गया हो। ऐसे उपभोक्ताओं के मामले में जिनकी ऊर्जा आपूर्ति ऊर्जा बकाया का भुगतान न करने के कारण काट दी गई है, बकाया राशि की वसूली के लिए तुरंत सर्टिफिकेट केस⁹⁷ दायर करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने बकाया के आधार पर एलटी उपभोक्ताओं के 1,47,724 बिजली कनेक्शन⁹⁸ काट दिए थे। मार्च 2018 से मार्च 2020 की अवधि के लिए इन उपभोक्ताओं पर बकाया राशि ₹ 233.62 करोड़⁹⁹ थी। हालांकि, कंपनी ने बकाया वसूलने के लिए बिजली काटने के दो साल बाद तक (अप्रैल 2022) न तो सर्टिफिकेट केस दायर किया था न ही शुल्क के बकाया की कोई मांग की गयी थी। इसलिए, ये बकाया वसूली योग्य नहीं रह गया था।

इसके अलावा, ईएससी देवघर ने ₹ 40.38 लाख के बकाया वाले दो एचटी उपभोक्ताओं¹⁰⁰ के कनेक्शन काट दिए (सितंबर 2018 और जुलाई 2019) थे। हालांकि, कंपनी ने इन

⁹⁶ भुरकुंडा: 3, गोला: 2, गुमला: 4, कुज्जू: 2, और रामगढ़: 4

⁹⁷ सार्वजनिक मांग की वसूली के लिए मांग संग्रहण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र-अधिकारी के समक्ष रखी जाती है। जब प्रमाणपत्र-अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक मांग वसूली योग्य है और मुकदमे द्वारा वसूली किसी भी कानून द्वारा वर्जित नहीं है, तो वह निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है, जिसमें कहा गया है कि मांग देय है।

⁹⁸ दुमका: 17,329; गिरिडीह उत्तर: 11,350; गिरिडीह दक्षिण: 23,436; गोड्डा: 25,043; गोविंदपुर: 4,520; गुमला: 11,001; जामताड़ा: 8,259; कुज्जू: 8,785; मधुपुर: 17,813; निरसा: 7,710; रामगढ़: 9,424; एवं सिमडेगा: 3,054

⁹⁹ दुमका: ₹ 21.26 करोड़; गिरिडीह उत्तर: ₹ 12.58 करोड़; गिरिडीह दक्षिण: ₹ 33.55 करोड़; गुमला: ₹ 15.32 करोड़; गोड्डा: ₹ 40.02 करोड़; गोविंदपुर: ₹ 6.63 करोड़; जामताड़ा: ₹ 11.98 करोड़; कुज्जू: ₹ 16.25 करोड़; मधुपुर: ₹ 24.10 करोड़; निरसा: ₹ 11.44 करोड़; रामगढ़: ₹ 35.40 करोड़; एवं सिमडेगा: ₹ 5.09 करोड़।

¹⁰⁰ उपभोक्ता संख्या एचटी 10039 (₹18.59 लाख) और उपभोक्ता संख्या बीआर 9799 (₹ 21.79 लाख)।

बकाए की वसूली के लिए न तो सर्टिफिकेट केस दायर किया न ही ऊर्जा शुल्क के बकाया (अप्रैल 2022 तक) के लिए कोई मांग की थी, जिसके कारण बकाया वसूली योग्य नहीं रह गया था।

इस प्रकार, बकाया की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने में कंपनी की विफलता के कारण ₹ 234.01 करोड़ की राशि का राजस्व वसूली योग्य नहीं रह गया था।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (मई 2023) कि सभी ईएसए में डीजीएम (राजस्व) का एक नया पद सृजित किया गया है और सर्टिफिकेट केस मामलों के कानूनी कार्रवाई करने का काम सौंपा गया है।

हालांकि, उत्तर इस बात पर मौन था कि कंपनी समय पर सर्टिफिकेट केस की कार्यवाही शुरू करने में विफल क्यों रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 234.01 करोड़ की मांग वसूली योग्य नहीं रह गई थी।

2.2.11.4 अतिरिक्त सुरक्षा जमा का संग्रहण

जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2015 के अनुसार, बिलिंग चक्र की अवधि (30) और पैंतालीस (45) दिन की अनुमानित बिजली खपत को कवर करने के लिए, नए कनेक्शन हेतु आवेदकों द्वारा सिक्यूरिटी डिपोजिट (एसडी) जमा किया जाना था। संबंधित वितरण लाइसेंसधारियों को प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार, इन उपभोक्ताओं की वास्तविक बिलिंग के आधार पर सिक्यूरिटी डिपोजिट की राशि की पुनर्गणना करनी थी और यदि वित्त वर्ष के लिए गणना की गई एसडी की राशि जमा एसडी के 90 प्रतिशत से कम थी, तो लाइसेंसधारी, या तो संबंधित उपभोक्ता को अधिकतम दो ऊर्जा बिल भेजकर या उपभोक्ता को वितरण लाइसेंसधारी को सीधे भुगतान करने के लिए कहकर, एसडी को समायोजित करने का हकदार है।

वितरण लाइसेंसधारी तीस (30) दिनों के भीतर गणना की गई सिक्यूरिटी राशि से सिक्यूरिटी में कमी की राशि जमा करने के लिए उपभोक्ता को नोटिस देने का हकदार है। यदि उपभोक्ता नियत तिथि तक सूचित राशि जमा करने में विफल रहता है तो वितरण लाइसेंसधारी द्वारा कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

पांच नमूना जांच किए गए ईएससी में, 2020-21 के दौरान एचटी उपभोक्ताओं की ऊर्जा खपत के लेखाओं की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि:

- 73 उपभोक्ताओं¹⁰¹ के विरुद्ध सिक्यूरिटी जमा राशि में ₹ 3.50 करोड़¹⁰² की कमी हुई। कंपनी ने बिजली बिलों के माध्यम से कोई मांग नहीं की थी, लेकिन इन उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सिक्यूरिटी राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी

¹⁰¹ देवघर: 15, धनबाद: 42, दुमका: 04, गिरिडीह: 11 और गुमला: 01

¹⁰² देवघर: ₹ 1.38 करोड़, धनबाद: ₹ 1.29 करोड़, दुमका: ₹ 0.11 करोड़, गिरिडीह: ₹ 0.63 करोड़ और गुमला: ₹ 0.09 करोड़।

किए थे। हालांकि, इन उपभोक्ताओं ने अतिरिक्त सिक्क्यूरिटी (सितंबर 2022 तक) जमा नहीं किया थी।

- इसके अलावा, 7,500 केवीए की अनुबंध मांग वाले एक उच्च-तनाव सेवा (एचटीएस) उपभोक्ता (जीडीएचटी1 (टी)) को ईएससी, देवघर द्वारा प्रासंगिक जेएसईआरसी आदेश (मामला संख्या¹⁰³ 21/2020) के अनुसार, फरवरी 2022 के महीने से 47,000 केवीए के बढ़े हुए भार पर एक समझौते को निष्पादित करने के लिए कहा गया था (मार्च 2022)। हालांकि, उपभोक्ता ने लेखापरीक्षा की तिथि तक न तो अपेक्षित सिक्क्यूरिटी डिपोजिट जमा किया था न ही कोई समझौता (मई 2022) निष्पादित किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 63.87 करोड़ की सिक्क्यूरिटी डिपोजिट कम जमा हुई।

विभाग ने कहा (मई 2023) कि ईएससी दुमका और गुमला ने अतिरिक्त सिक्क्यूरिटी जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया था, ईएससी गिरिडीह आवश्यक अतिरिक्त एसडी को पूरा करने की प्रक्रिया में था और आने वाले महीनों में नोटिस जारी करेगा। ईएससी, देवघर और धनबाद के मामले में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

हालांकि, तथ्य यह है कि अतिरिक्त सिक्क्यूरिटी अभी भी वसूल नहीं की गई थी।

2.2.11.5 जमा किए गए चेकों का लेखाकरण नहीं होना

ईएसएसडी, मासिक बैंक समाधान विवरण के माध्यम से उन चेकों की सूची तैयार करते हैं जो बैंकों में जमा किए गए हैं, लेकिन उनका समाशोधन लंबित है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि:

- जुलाई 2009 और मई 2021 के बीच नमूना जांच किए गए सात ईएसएसडी द्वारा जमा किए गए उपभोक्ताओं के ₹ 32.07 लाख¹⁰⁴ की राशि के चेक बैंकों द्वारा क्लियर नहीं किए गए थे (जून 2022 तक)। ईएसएसडी की ओर से इनके अनुपालन करने में विफलता के कारण ₹ 32.07 लाख की ऊर्जा शुल्क की वसूली नहीं हो पाई।
- ईएससी, दुमका के बैंक समाधान विवरण की जांच से पता चला कि एक एचटी उपभोक्ता (संख्या-एमएचजे02एचटी) के ₹ 3.50 लाख मूल्य के दो चेक बैंक¹⁰⁵ द्वारा गुम हो गए थे जबकि उसी उपभोक्ता के ₹ 6.50 लाख मूल्य के चार चेक को सितंबर 2018 से दिसंबर 2018 के दौरान अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन बैंक द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद ईएससी ने इन बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की थी (हालांकि, उपभोक्ता का कनेक्शन अप्रैल 2019 में काट दिया गया था)।

¹⁰³ उपभोक्ता द्वारा दायर याचिका के आधार पर, जेएसईआरसी ने फरवरी, 2022 से 47,000 केवीए लोड की अनुमति दी थी।

¹⁰⁴ बासुकीनाथ: ₹ 7.86 लाख, दुमका (ग्रामीण): ₹ 0.45 लाख, दुमका (शहरी): ₹ 2.99 लाख, डुमरी: ₹ 18.58 लाख, घाघरा: ₹ 0.65 लाख, गिरिडीह (ग्रामीण): ₹ 1.15 लाख और जमुआ: ₹ 0.39 लाख।

¹⁰⁵ भारतीय स्टेट बैंक, मिहिजाम शाखा (कोड- 08085), जामताड़ा।

अनुशंसा संख्या 6: कंपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कनेक्शन काटना और सर्टिफिकेट केस मामलों से संबंधित प्रावधानों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकती है। जो बकाया राशि वसूली के अयोग्य हो गई है उसके संबंध में भी जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

2.2.12 बिजली की चोरी/ हानि

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 163 एक लाइसेंसधारी को उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करने और उपकरण का निरीक्षण और जांच करने का अधिकार देती है।

2.2.12.1 बिजली चोरी के लिए निरीक्षण

वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान कंपनी की छापेमारी दलों द्वारा निरीक्षण किए गए उपभोक्ताओं के परिसरों, नुकसान का आकलन और उसके विरुद्ध वसूली का विवरण तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: बिजली चोरी का पता लगाने के लिए किए गए निरीक्षण

क्र. स.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
A	कुल पंजीकृत उपभोक्ता (संख्या में)	43,79,304	50,07,241	52,56,510	60,75,910
B	कुल प्रभावी उपभोक्ता (संख्या में)	37,28,570	43,71,502	45,35,179	5,35,30,825
C	खरीदी गई सकल ऊर्जा (लाख यूनिट)	1,28,603.64	1,27,076.06	1,32,902.00	1,37,294.50
D	वितरण हानि (लाख इकाई) (15 प्रतिशत)	19,290.55	19,061.41	19,935.30	20,594.18
E	बिक्री के लिए उपलब्ध इकाइयाँ (लाख इकाइयों में) (C-D)	1,09,313.09	1,08,014.65	1,12,966.70	1,16,700.32
F	बेची गई कुल इकाइयाँ (लाख इकाइयों में)	92,775.51	93,148.93	79,134.05	90,181.86
G	ऊर्जा की हानि (लाख इकाइयों में) (E-F)	16,537.58	14,865.72	33,832.65	26,518.46
H	अनुमोदित वितरण हानि से अधिक नष्ट हुई ऊर्जा का मूल्य (₹ करोड़ में)	722.69	725.45	1,515.70	1,241.06
I	पकड़े गए चोरी के मामलों की कुल संख्या (संख्या में)	6,741	8,946	14,676	23,316
J	छापेमारी टीम द्वारा नुकसान का आकलन (₹ करोड़ में)	12.30	12.89	20.69	33.71
K	वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	9.47	9.84	16.88	30.14
L	प्रस्तावित मूल्यांकन हेतु प्राप्त राशि का प्रतिशत (K/J)*100	77.00	76.34	81.59	89.41

(स्रोत: राजस्व विवरण संख्या 1 और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी से संकलित)

तालिका 2.7 से यह देखा जा सकता है कि:

- अलेखिकृत घाटा वित्त वर्ष 2018-19 में ₹ 722.69 करोड़ से तेजी से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 1,241.06 करोड़ हो गया।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 में 6,741 मामलों की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में चोरी के 23,316 मामलों का पता लगाया था।

अवलोकन को स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा (मई 2023) कि ऊर्जा की हानि मुख्य रूप से एटीएंडसी हानि के कारण थी और चोरी तो केवल एक हिस्सा थी। ऊर्जा हानि का दूसरा बड़ा कारण उपभोक्ताओं का बिल न करना रहा। एटीएंडसी घाटे को कम करने और संग्रह में सुधार करने के लिए कंपनी ने कई उपाय किए थे जैसे प्रीपेड मीटरों की स्थापना, राजस्व शिविरों और ऊर्जा मेलों का आयोजन आदि। यह भी बताया गया कि कंपनी ने चोरी को कम करने के लिए छापेमारी गतिविधियों में वृद्धि की है।

2.2.12.2 बिजली के अनाधिकृत उपयोग के विरुद्ध जुर्माना कम लगाना

जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता 2015 के अनुच्छेद 11.9 के साथ पठित, ऊर्जा अधिनियम 2003 (2007 में संशोधित) की धारा 135 के अनुसार जहां यह स्थापित किया गया है कि बिजली की चोरी (बेईमानी से बिजली का उपयोग) का पहली दोषसिद्धि का मामला है तो प्राधिकृत अधिकारी आर्थिक दंड लगाएगा जो बिजली की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ के तीन गुना से कम नहीं होगा। अधिनियम की धारा 126 उन मामलों पर लागू होती है जहां बिजली की चोरी नहीं होती है लेकिन आपूर्ति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करके बिजली का उपभोग किया जा रहा है जिससे कदाचार होता है जिसे बिजली के अनाधिकृत उपयोग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह प्रासंगिक टैरिफ दरों से दोगुने (दो गुना) की दर पर मूल्यांकन निर्धारित करता है।

कंपनी द्वारा छापा मारने वाली टीम के प्रमुख के रूप में एक अधिकृत अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। टीम स्वतः संज्ञान लेकर या बिजली चोरी के संबंध में विश्वसनीय सूचना मिलने पर परिसर का निरीक्षण करती है। जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता, 2015 के अनुसार, जहां यह स्थापित हो जाता है कि यह चोरी का मामला है तो प्राधिकृत अधिकारी उस पूरी अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी चोरी हुई थी निर्धारित फॉर्मूले¹⁰⁶ के अनुसार बिजली खपत का आकलन करता है और यदि ऐसी अवधि सुनिश्चित नहीं की जा सकती है तो अवधि को निरीक्षण की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों तक सीमित करना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एलटी कनेक्शन के मामले में प्राधिकृत अधिकारियों ने लोड, दिन, घंटे और लोड फैक्टर आदि का विचार रखते हुए निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार विस्तृत गणना किए बिना अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में जुर्माने का एकमुश्त राशि का आकलन किया था। वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान प्राधिकृत अधिकारियों ने 1,449 उपभोक्ताओं¹⁰⁷ के खिलाफ ₹ 174.12 लाख जुर्माने का आकलन किया। हालांकि, लेखापरीक्षा की गणना के अनुसार, लोड (मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, जहां उपलब्ध थे, या बिलिंग डेटाबेस से) और आपूर्ति के घंटे (15 घंटे, 12 महीने की अवधि के लिए) को ध्यान में रखते हुए इन उपभोक्ताओं से वसूली योग्य जुर्माना कम से कम ₹ 747.81 लाख होना चाहिए था। इसके अलावा कंपनी ने दोषपूर्ण मीटर वाले

¹⁰⁶ एल=लोड, एच=घंटों की संख्या, डी= दिनों की संख्या और एफ= लोड फैक्टर (0.40 से 1)।

¹⁰⁷ गिरिडीह उत्तर: 3; गिरिडीह दक्षिण: 563; गोविंदपुर: 20; गुमला: 357; कुजु: 59; निरसा: 50; रामगढ़: 65; और सिमडेगा: 332

उपभोक्ताओं के ऊर्जा शुल्क की गणना के लिए 24 घंटे की आपूर्ति पर विचार किया (कंडिका 2.2.10.2)। इस प्रकार, ₹ 573.69 लाख¹⁰⁸ की राशि का कम जुर्माना लगाया गया।

केस स्टडी: 5

सहायक विद्युत अभियंता द्वारा ईएसएसडी, गोला के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसके पास कोई वैध विद्युत कनेक्शन नहीं है को 8 किलोवाट घरेलू भार तथा 2 किलोवाट वाणिज्यिक भार के साथ बिजली चोरी करते हुए पाया गया (12 जुलाई 2022)। प्राधिकृत अधिकारी ने ₹ 3.79 लाख की जगह सिर्फ ₹ 80,000 का एकमुश्त जुर्माना लगाया।

केस स्टडी: 6

ईएसएसडी रामगढ़ के दो एलटी उपभोक्ताओं (सीएचएल-22246 और सीएचएल-10794) को बिजली चोरी के लिए दोषी ठहराया गया था। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारियों ने धारा 126 के तहत चोरी की गई इकाइयों का केवल दो गुना जुर्माना लगाया जबकि धारा 135 के तहत तीन गुना जुर्माना लगाना था। इससे ₹ 19.35 लाख का कम जुर्माना लगाया गया।

इसी प्रकार ईएससी रामगढ़ के अंतर्गत दो एचटी उपभोक्ताओं (केजे 8072 और बीएच 8843) को बिजली चोरी के लिए दोषी ठहराया गया। हालांकि तीन गुणा के बजाय केवल दो गुणा जुर्माना लगाया गया जिससे ₹ 99.71 लाख का कम जुर्माना लगाया गया।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (मई 2023) कि फॉर्मूला दिखाने वाली वर्किंग शीट भविष्य में क्षेत्र कार्यालयों में छापे के प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाएगी। हालांकि, जुर्माने की कम वसूली किए जाने पर उत्तर मौन था।

2.2.12.3 कंपाउंडिंग शुल्क जमा न करना

2007 में संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 152 के अनुसार, उपयुक्त सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी उपभोक्ता या व्यक्ति से जिसने बिजली चोरी का अपराध किया है या जिस पर अपराध करने का उचित संदेह है, जो इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, में कंपाउंडिंग के माध्यम से धन की राशि स्वीकार कर सकता है।

¹⁰⁸ गिरिडीह उत्तर: ₹ 10.78 लाख; गिरिडीह दक्षिण: ₹ 205.47 लाख; गोविंदपुर: ₹ 9.58 लाख; गुमला: ₹ 129.85 लाख; कुज्जू: ₹ 35.34 लाख; निरसा: ₹ 19.15 लाख; रामगढ़: ₹ 20.82 लाख; और सिमडेगा: ₹ 142.70 लाख।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ नमूना-जांच किए गए ईएसडी ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान ₹ 1.57 करोड़¹⁰⁹ का कंपाउंडिंग शुल्क एकत्र किया था। लेकिन, राशि सरकारी खाते में स्थानांतरित नहीं की गई थी (मार्च 2022 तक)।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान आश्वासन दिया (मई 2023) कि कंपाउंडिंग शुल्क सरकारी खाते में जमा किया जाएगा।

अनुशंसा संख्या 7: कंपनी ऊर्जा अधिनियम और ऊर्जा आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के आधार पर ऊर्जा चोरी के खिलाफ उचित मूल्यांकन और जुर्माना लगाना सुनिश्चित कर सकती है।

¹⁰⁹ दुमका: ₹ 9.81 लाख, गिरिडीह उत्तर: ₹ 5.27 लाख, गिरिडीह दक्षिण: ₹ 17.98 लाख, गुमला: ₹ 47.18 लाख, जामताड़ा: ₹ 19.28 लाख, कुज्जू: ₹ 9.50 लाख, मधुपुर: ₹ 8.08 लाख, रामगढ़: ₹ 27.12 लाख और सिमडेगा: ₹ 13.13 लाख

वाणिज्य कर विभाग

2.3. जी.एस.टी. भुगतान और दाखिल विवरणी पर विभाग की निगरानी

2.3.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की शुरुआत ने केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए गए और एकत्र किए जाने वाले विभिन्न करों का स्थान ले लिया है। जी.एस.टी., 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ जो प्रत्येक मूल्य संवर्धन पर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्तियों पर लगाया जाने वाला एक गंतव्य-आधारित खपत कर है। केन्द्र और राज्य एक साथ समान कर आधार पर वस्तु एवं सेवा कर लगाते हैं। केन्द्रीय जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी.) और राज्य जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी.)/केन्द्र शासित प्रदेश जी.एस.टी. (यू.टी.जी.एस.टी.) राज्यान्तर्गत आपूर्तियों पर लगाया जाता है, और एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) अंतर-राज्य आपूर्तियों पर लगाया जाता है।

झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (झा.जी.एस.टी.) अधिनियम, 2017 की धारा 59 जी.एस.टी. को एक स्व-मूल्यांकन-आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके अधीन कर देयता की गणना, चुकाई गई कर देयता की गणना और विवरणियों को दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है। जी.एस.टी. विवरणियों को सामान्य जी.एस.टी. पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए, जिसके असफल होने पर जुर्माना देय होगा। भले ही किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय पर कोई कर देयता न हो, उसे अनिवार्य रूप से शून्य विवरणी दाखिल करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, जे.जी.एस.टी. नियम, 2017 के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 में कहा गया है कि समुचित अधिकारी, करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विवरणों की जाँच कर सकता है, करदाताओं को विसंगतियों के बारे में सूचित कर सकता है और एक स्पष्टीकरण मांग सकता है।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.वि.अ.ले.) को इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र और झारखण्ड सरकार के वाणिज्य कर विभाग (सी.टी.डी.) के निगरानी तंत्र के महत्व पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया था।

2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जी.एस.टी. व्यवस्था के अधीन कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की ओर उन्मुख था। “जी.एस.टी. भुगतान और दाखिल विवरणी पर विभाग की निगरानी” की लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ आश्वासन प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था:

- i. क्या नियम और प्रक्रियाएं कर अनुपालन पर प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के लिए रूप रेखा के अनुसार तैयार की गई थी और करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और
- ii. क्या अंचलों की जाँच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

2.3.3 लेखापरीक्षा पद्धति और क्षेत्र

यह वि.वि.अ.ले. मुख्य रूप से आँकड़ा विश्लेषण के आधार पर संचालित किया गया, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि, यानि जी.एस.टी. की शुरुआत के बाद पहली कर अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों और चेतावनी के संकेतों पर प्रकाश डाला गया। आँकड़ा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.), चुकाई गई कर देयता, पंजीकरण और विवरणी दाखिल के पूरे प्रभाव क्षेत्र में 12 विचलनों के एक समूह की पहचान की गई। इस तरह के विचलनों को एक केंद्रीकृत लेखापरीक्षा¹¹⁰ के माध्यम से अनुवर्ती पालन किया गया, जिससे इन विचलनों को संबंधित राज्य विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं को सूचित किया गया और पहचान की गई विचलनों पर वाणिज्य कर अंचलों (सी.टी.सी.) द्वारा की गई कार्रवाई को क्षेत्रीय दौरों को शामिल किए बिना निर्धारित किया गया। केंद्रीकृत लेखापरीक्षा को एक विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा पूरक किया गया था जिसमें क्षेत्राधिकार क्षेत्र संरचनाओं के साथ उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय दौरा शामिल था। करदाताओं के संबंध में आँकड़ा/दस्तावेजों (जैसे- पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणियों और अन्य विभागीय कार्यों) की जाँच करने के लिए विवरणियों और संबंधित अनुलग्नकों एवं सूचनाओं को, जितना संभव हो सकता था, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.आई.सी.)-ए.सी.ई.एस.-जी.एस.टी. एप्लिकेशन जो कि विभाग/राज्य कर विभाग के एप्लिकेशन की बैक-एंड प्रणाली है, माध्यम से प्राप्त किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा में करदाताओं से संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं के माध्यम से बीजकों जैसे प्रासंगिक सूक्ष्म अभिलेखों तक पहुंच भी शामिल थी। इसके अलावा, चयनित सी.टी.सी. में विवरणियों की जाँच जैसे विभागीय गठन के अनुपालन कार्यों की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा विवरणियों की जाँच की समीक्षा और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन में जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि शामिल थी, जबकि चयनित सी.टी.सी. के कार्यों की लेखापरीक्षा जुलाई 2017 से मार्च 2021 तक की अवधि को अन्तर्निहित करती थी। इस वि.वि.अ.ले. में केवल राज्य प्रशासित करदाताओं को शामिल किया गया। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था।

¹¹⁰ केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाताओं के सूक्ष्म अभिलेख जैसे वित्तीय विवरणी से संबंधित खाता बही, बीजक, करार आदि की मांग करना शामिल नहीं था।

इस वि.वि.अ.ले. का अंतर्गमन सम्मेलन 04 अक्टूबर 2021 को सचिव, सी.टी.डी., झारखण्ड सरकार के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा क्षेत्र और लेखापरीक्षा पद्धति पर चर्चा की गई थी। 15 फरवरी 2023 को आयुक्त, सी.टी.डी., झारखण्ड सरकार के साथ बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान आयुक्त, सी.टी.डी., झारखण्ड सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचार और प्रारूप प्रतिवेदनों के लिखित उत्तरों को प्रासंगिक कंडिकाओं में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.3.4 लेखापरीक्षा नमूना

योजना बनाने के लिए आँकड़ा-संचालित दृष्टिकोण के साथ ही मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा को अपनाया गया था। इस वि.वि.अ.ले. के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए आँकड़ा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलन का एक समूह जिसमें क्षेत्रीय दौरे शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें क्षेत्रीय दौरे और विभागीय परिसर में करदाताओं के अभिलेखों की जाँच शामिल थी; और सी.टी.सी. के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए वाणिज्य कर अंचलों (सी.टी.सी.) का एक नमूना शामिल था।

इस वि.वि.अ.ले. के निम्नलिखित तीन अलग-अलग भाग थे:

भाग I- सी.टी.सी. की लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए मामलों के एक से अधिक चयनित नमूनों पर अधिकार क्षेत्र वाले 10 सी.टी.सी.¹¹¹ को उनके निगरानी कार्यों के मूल्यांकन के लिए सी.टी.सी. के नमूने के रूप में माना गया था।

भाग II-केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

विभाग की जाँच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए आँकड़ा विश्लेषण के माध्यम से नियमों से उच्च-मूल्य या उच्च-जोखिम विचलन और विवरणियों के बीच विसंगतियों की पहचान करके केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना चुना गया था। तदनुसार, राज्य कर पदाधिकारियों को 472 विचलनों के बारे में सूचित किया गया और इन विचलनों पर अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाया गया।

भाग III-विस्तृत लेखापरीक्षा

करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के लिए सी.टी.सी. के माध्यम से करदाताओं के अभिलेखों तक पहुंच कर इस विस्तृत लेखापरीक्षा को संचालित किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का नमूना, अतिरिक्त आई.टी.सी.,

¹¹¹ धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, पलामू, रामगढ़, राँची दक्षिणी, राँची विशेष और राँची पश्चिमी।

बेमेल कर-देयता, कुल आवर्त के अनुपातहीन छूट वाले आवर्त और अनियमित आई.टी.सी. रिवर्सल जैसे जोखिम मापदंडों के आधार पर चुना गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 55 करदाताओं में बड़े, मध्यम और छोटे के करदाता वर्ग¹¹² शामिल थे।

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में जे.जी.एस.टी. अधिनियम, आई.जी.एस.टी. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान तालिका 2.8 में दिए गए हैं:

तालिका 2.8: मानदंड का स्रोत

क्र.सं.	विषय	अधिनियम एवं नियम
1	उदग्रहण और संग्रहण	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 9
2	रिवर्स प्रभार तंत्र(आर.सी.एम.)	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 9(3)
3	आई.टी.सी. का लाभ उठाना और उसका उपयोग करना	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 16 से 21; जे.जी.एस.टी. नियम, 2017 के नियम 36 से 45
4	पंजीकरण	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 22 से 25; जे.जी.एस.टी. नियम, 2017 के नियम 8 से 26
5	आपूर्तियाँ	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 7 और 8; जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की अनुसूची I, II और III
6	आपूर्ति का स्थान	आई.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 10 से 13
7	आपूर्ति का समय	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 12 से 14
8	आपूर्तियों का मूल्यांकन	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 15 जे.जी.एस.टी. नियम, 2017 के नियम 27 से 34
9	कर का भुगतान	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 49 से 53; जे.जी.एस.टी. नियम, 2017 के नियम 85 से 88ए
10	जी.एस.टी. विवरणियों को दाखिल करना	जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 37 से 47; जे.जी.एस.टी. नियम, 2017 के नियम 59 से 68 और 80 से 81
11	जीरो-रेटेड आपूर्तियाँ	आई.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 16
12	मूल्यांकन और लेखापरीक्षा कार्य	जे.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 61, 62, 65 और 66; जे.जी.एस.टी. नियम, 2017 के नियम 99 से 102

¹¹² बड़े करदाता-37, मध्यम करदाता-13 और छोटे करदाता-5

इसके अलावा, विवरणियों को दाखिल करने के संबंध में सी.बी.आई.सी./सी.टी.डी. द्वारा निर्गत अधिसूचनाएं और परिपत्र, विभिन्न विवरणियों को दाखिल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करना, विवरणियों को दाखिल करने की नियत तिथियों को बढ़ाना, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आई.टी.सी. का लाभ उठाना और उसका उपयोग करना, विवरणियों की जाँच और कर अनुपालन की निगरानी और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी.) जिसमें विवरणियों को दाखिल करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश; विवरणियों की जाँच, पंजीकरण आदि रद्द करना भी लेखापरीक्षा मानदंड का हिस्सा बनीं।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा परिणामों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- क. विवरणियों को दाखिल करने पर निगरानी,
- ख. कर भुगतानों पर निगरानी,
- ग. अन्य निगरानी कार्य।

2.3.6 विवरणियों को दाखिल करने पर निगरानी

विवरणी एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाताओं द्वारा की गई व्यवसायिक गतिविधि से संबंधित निर्दिष्ट विवरणों का एक कथन है। प्रत्येक करदाता एक निश्चित अवधि के लिए कर देयता और निर्धारित समय के भीतर भुगतान किए गए करों की विधिवत घोषणा करते हुए एक पूर्ण और सही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, करदाताओं द्वारा विवरणियों को दाखिल करने का अनुश्रवण का महत्व और भी अधिक हो जाता है क्योंकि विवरणी, करदाताओं और उनसे संबंधित व्यवसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का पहला साधन है।

विवरणी दाखिल करने के लिए अपर्याप्त जाँच तंत्र: 10 सी.टी.सी. के एक नमूने में से, लेखापरीक्षा ने सभी 10 सी.टी.सी. में विवरणी दाखिल करने पर निगरानी तंत्र का सत्यापन किया और देखा कि विभाग ने जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 61 के अधीन समुचित अधिकारियों द्वारा विवरणी की जाँच के लिए एक नियमावली/एस.ओ.पी. तैयार नहीं किया है, इस प्रकार जोखिम मापदंडों के आधार पर विवरणियों की जाँच को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसके परिणामस्वरूप करदाताओं की कम पहचान हुई, अनुवर्ती चेतावनी के संकेतों का प्रसारण और बैकएंड पोर्टल पर उपलब्ध आँकड़ा/सूचना का उपयोग नहीं हो सका।

विवरणी दाखिल नहीं करने वालों से मांग की वसूली के लिए तंत्र और विलंब से दाखिल करने वालों पर ब्याज लगाने की व्यवस्था सभी चयनित सी.टी.सी. में कम थी। सभी 10 चयनित सी.टी.सी. में जहाँ ए.एस.एम.टी.-13, डी.आर.सी.-07 निर्गत करने और वसूली विवरण से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध थे, लेखापरीक्षा ने देखा कि बकाएदारों के सभी मामलों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके

अलावा, सभी चयनित सी.टी.सी. में, जी.एस.टी.आर.-3ए (जी.एस.टी. विवरणियों को दाखिल नहीं करने वाले बकाएदारों के लिए सूचना) निर्गत करने और विलंब से दाखिल करने वालों पर ब्याज की वसूली की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। फलस्वरूप, ₹ 236.88 करोड़ का ब्याज वसूल नहीं किया गया। इसके अलावा, ए.एस.एम.टी.-13 (ऐसे मामलों में सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन आदेश जहाँ करदाताओं ने जी.एस.टी.आर.-3ए सूचना का अनुपालन नहीं किया है) और डी.आर.सी.-07 (ए.एस.एम.टी.-13 के अनुवर्ती मांग आदेश का सारांश) निर्गत करने का भी पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बकाएदारों से ₹ 30.87 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो पाई।

2.3.6.1 विवरणियों के विलंब से दाखिल करने वाले और नहीं दाखिल करने वालों पर कार्रवाई की कमी

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 46, के साथ पठित जे.जी.एस.टी. नियम, 2017 के नियम 68, प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-3ए में एक सूचना निर्गत करने का प्रावधान करती है, जिसमें 15 दिनों के भीतर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यदि करदाता ऐसी सूचना के बाद भी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है, तो समुचित अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं और प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-13 में निर्धारण आदेश निर्गत कर सकते हैं। इसके अलावा, जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 47 में विवरणी दाखिल करने में चूक पर प्रति दिन एक सौ रुपये विलंब शुल्क उदग्रहण का प्रावधान है, जो अधिकतम पाँच हजार रुपये तक हो सकता है।

विवरणियों को दाखिल करना, कर के भुगतान से सम्बंधित है, क्योंकि दोनों कार्यों के लिए नियत तिथि एक ही है, जिसका संकेत विवरणी नहीं दाखिल करने वालों के मामले में कर/जुर्मानों का भुगतान न करने के जोखिम से है।

अंचल के लेखापरीक्षा कार्यों के दौरान, चयनित सभी 10 सी.टी.सी., में यह देखा गया कि विवरणी नहीं दाखिल करने वालों के 21,979 मामलों की पहचान समुचित अधिकारियों द्वारा की गई और विवरणियों को अप्रस्तुत करने के कारण 18,515 करदाताओं का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। हालाँकि, विभाग के बैकएंड पोर्टल पर उपलब्ध आँकड़ों/सूचना के अनुसार, इस अवधि के दौरान, इन 10 सी.टी.सी. में कुल 1,74,943 मामले विवरणी नहीं दाखिल करने वालों के थे, जिनमें से 90,747 मामले लगातार छः महीने की अवधि तक विवरणी नहीं दाखिल करने वालों के थे। तथापि, क्षेत्राधिकार अधिकारियों ने इन मामलों में पंजीकरण के रद्द करने और निर्धारण के संबंध में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। यह देखा गया कि इन सी.टी.सी. के समुचित अधिकारियों ने जी.एस.टी.एन. के बैकएंड पोर्टल में उपलब्ध विवरणी नहीं दाखिल करने वालों की जानकारी को सत्यापित नहीं किया था। इसलिए, विभाग लगातार छः महीनों

तक विवरणी नहीं दाखिल करने वालों की पहचान नहीं कर सका और विवरणी नहीं दाखिल करने वालों के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं कर सका। आगे यह देखा गया कि प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-3ए में सूचना के रूप में एक दाखिल, जिसे चूककर्ता करदाता को ई-मेल या अन्य माध्यम से जारी किया जाना आवश्यक था, लागू नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप विवरणियों को दाखिल नहीं करने वाले की पहचान नहीं हो पाई।

मामला सरकार/विभाग को सूचित किया गया (नवंबर 2022); बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान आयुक्त, सी.टी.डी. ने कहा (फरवरी 2023) कि लेखापरीक्षा अवलोकन का तिर्यक-जाँच किया जा रहा है और वास्तविक प्रतिवेदन प्रदान करने के लिए समय की आवश्यकता है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

अनुशंसा सं. 1: समुचित अधिकारी जी.एस.टी.एन. के बैकएंड पोर्टल में निहित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं और जहाँ भी आवश्यक हो, कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, ऐसा न करने पर विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

- विवरणी नहीं दाखिल करने वालों के संबंध में कार्रवाई शुरू हुई लेकिन पूरी नहीं हुई

चयनित सी.टी.सी. में, 5,811 जी.एस.टी.आर.-3ए या तो निर्गत नहीं किया गया था या उपलब्ध नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप इन मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-13 में सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन पूरा अपूर्ण रहा।

ए.एस.एम.टी.-13 के बाद जी.एस.टी.आर.-3ए निर्गत करने की उचित प्रक्रिया का पालन सभी मामलों में नहीं देखा गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी 10 सी.टी.सी. में, 2017-18 से 2020-21 के दौरान, 21,979 विवरणी नहीं दाखिल करने वालों की पहचान समुचित अधिकारियों द्वारा की गई थी, हालांकि, जी.एस.टी.आर.-3ए में सूचनाएं केवल 16,168 विवरणी नहीं दाखिल करने वालों के मामले में निर्गत किए गए थे। इसके अलावा, करदाताओं के निर्धारित समय के अन्दर अपना विवरणियों को दाखिल नहीं करने के बावजूद, ए.एस.एम.टी.-13 के अधीन निर्धारण आदेश केवल 833 मामलों में निर्गत किए गए थे। 10 सी.टी.सी. में, जहाँ अभिलेख उपलब्ध थे, लेखापरीक्षा ने देखा कि इन 82,393 मामलों में करदाताओं ने जी.एस.टी.आर.-3ए के अनुसरण में अपना विवरणी दाखिल किया, लेकिन समुचित अधिकारियों ने ₹236.88 करोड़ की कर राशि के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की थी, जिसे वसूल नहीं किया गया था।

मामला सरकार/विभाग को सूचित किया गया (नवंबर 2022); बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान आयुक्त, सी.टी.डी. ने कहा (फरवरी 2023) कि लेखापरीक्षा अवलोकन का तिर्यक जाँच किया जा रहा है और वास्तविक प्रतिवेदन प्रदान करने के लिए समय की आवश्यकता है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024 तक)।

अनुशंसा सं. 2: विभाग समुचित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकता है जिन्होंने जी.एस.टी. विवरणियों को विलंब से दाखिल करने वालों से ब्याज की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

- बकाया वसूली के लिए अप्रयाप्त प्रयास

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 78 यह निर्धारित करता है कि इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कर योग्य व्यक्ति द्वारा संदेय किसी राशि को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की सेवा की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर भुगतान किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर वसूली कार्यवाही आरंभ की जाएगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में समयावधि तीन माह से कम भी हो सकती है, यदि यह सरकार के हित में समीचीन हो।

लेखापरीक्षा ने 833 मामलों में चयनित 10 सी.टी.सी. में से नौ में देखा कि इन सी.टी.सी. के समुचित अधिकारियों ने ₹ 30.87 करोड़¹¹³ की बकाया राशि की वसूली के लिए ए.एस.एम.टी.-13 और डी.आर.सी.-07 निर्गत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की।

मामला सरकार/विभाग को सूचित किया गया (नवंबर 2022); बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान आयुक्त, सी.टी.डी. ने कहा (फरवरी 2023) कि लेखापरीक्षा अवलोकन का तिर्यक जाँच किया जा रहा है और वास्तविक प्रतिवेदन प्रदान करने के लिए समय की आवश्यकता है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

2.3.6.2 विवरणियों की जाँच की धीमी गति

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न विवरणियों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए समुचित अधिकारी द्वारा विवरणियों की जाँच की जानी चाहिए, और विवरणियों में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति या असंगतता पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए नामित समुचित अधिकारी, उपायुक्त राज्य कर (उ.रा.क.)/सहायक आयुक्त राज्य कर (स.आ.रा.क.) हैं। इसके अलावा, जे.जी.एस.टी. नियम, 2017 के नियम 99, में अनिवार्य रूप से कहा गया है कि यदि कोई विसंगतियां पाई जाती हैं तो करदाता को उसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए सूचित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने विभाग की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) प्रतिवेदन में उपलब्ध जानकारी की जाँच की और पाया कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान 10 चयनित सी.टी.सी. में कुल 26,89,654 जी.एस.टी.आर.-3बी दाखिल किए गए थे। हालाँकि, इन सी.टी.सी. के समुचित अधिकारियों ने केवल 65,817 विवरणियों के संबंध में जाँच की थी। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि चयन के लिए जोखिम-आधारित

¹¹³ कुल वसूली योग्य बकाया ₹ 41.63 करोड़ था, जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 10.76 करोड़ का बकाया वसूल किया गया।

दृष्टिकोण के अभाव में विभाग द्वारा दाखिल किए गए कुल जी.एस.टी.आर.-3बी में से तीन प्रतिशत से भी कम की जाँच की गई थी। आगे यह देखा गया था कि, 10 चयनित सी.टी.सी. में से छः¹¹⁴ में 2017-18 की अवधि के लिए किसी विवरणी की जाँच नहीं की गई थी और रामगढ़ सी.टी.सी. में, 2017-18 और 2018-19 की अवधि के लिए किसी विवरणी की जाँच नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने सभी 10 सी.टी.सी. के संबंध में आगे जाँच में पाया कि विभाग के बैकएंड पोर्टल में उपलब्ध जी.एस.टी.आर.-3बी और जी.एस.टी.आर.-2ए के बीच आई.टी.सी. के बेमेल के सम्बन्ध में और 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-3 बी के बीच देय कर के बेमेल से संबंधित आँकड़ा/सूचनाओं की जाँच की और देखा गया कि 1,44,375 विवरणियों के संबंध में, जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार उपलब्ध योग्य आई.टी.सी. की तुलना में जी.एस.टी.आर.-3बी में ₹ 4,462.45 करोड़ का आई.टी.सी. बेमेल था। साथ ही, 1,42,239 विवरणियों के संबंध में, जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच देय कर बेमेल ₹ 1,860.69 करोड़ था। इन विवरणियों की जाँच समुचित अधिकारियों द्वारा नहीं की गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने अधिनियम की धारा 61 के अधीन समुचित अधिकारियों द्वारा विवरणी की जाँच के लिए एक नियमावली/एस.ओ.पी. तैयार नहीं किया है और विवरणियों की पहचान केवल जी.एस.टी.एन. द्वारा प्रदान किए गए चेतावनी के संकेतों के आधार पर की जा रही थी। इसके परिणामस्वरूप जोखिम आधारित चयन की कमी और बैकएंड पोर्टल पर उपलब्ध आँकड़ा/सूचना का उपयोग नहीं हो पाया।

मामला सरकार/विभाग को सूचित किया गया (नवंबर 2022); बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान आयुक्त, सी.टी.डी. ने कहा (फरवरी 2023) कि लेखापरीक्षा अवलोकन का तिर्यक जाँच किया जा रहा है और वास्तविक प्रतिवेदन प्रदान करने के लिए समय की आवश्यकता है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024 तक)।

• **जाँच की गई विवरणियों पर कार्रवाई शुरू की गई लेकिन पूरी नहीं हुई**

लेखापरीक्षा ने 10 चयनित सी.टी.सी. में विवरणियों की जाँच के बाद की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जाँच की। सभी 10 चयनित सी.टी.सी. में यह देखा गया कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा कुल 65,817 विवरणियों की जाँच की गई थी, जिनमें से 6,048 मामलों में समुचित अधिकारियों द्वारा विसंगतियां देखी गईं और इन करदाताओं को उपरोक्त विसंगतियों के लिए स्पष्टीकरण मांगने के लिए सूचना निर्गत किए गए थे। सूचनाओं के प्रत्युत्तर में, चार सी.टी.सी.¹¹⁵ में 440 मामलों में करदाताओं द्वारा विसंगतियों को स्वीकार किया गया। हालाँकि, शेष 5,608 मामलों में कारण बताओ सूचना (एस.सी.एन.), निर्गत किए जाने की आवश्यकता थी, केवल 3,252

¹¹⁴ हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची विशेष और राँची पश्चिमी।

¹¹⁵ धनबाद, दुमका, रामगढ़, और राँची विशेष।

मामलों के संबंध में निर्गत किए गए थे। आगे, इन 3,252 मामलों में ₹986.50 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई थी, जिसमें से ₹952.98 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि समुचित अधिकारियों द्वारा जाँच किए गए विवरणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की अनुश्रवण के लिए तंत्र की कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप 2,356 मामलों में एस.सी.एन. कम निर्गत किए गए और ₹952.98 करोड़ की मांग की वसूली नहीं हो पाई।

मामला सरकार/विभाग को सूचित किया गया (नवंबर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि लेखापरीक्षा अवलोकन के बाद ₹ 67.52 लाख की वसूली की गई है और जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 79 के अधीन ₹ 4.42 करोड़ बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ₹ 947.88 करोड़ राशि के शेष मामलों में विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

अनुशंसा सं. 3: विभाग: (i) अधिनियम की धारा 61 के अधीन विवरणियों की जाँच के लिए एक नियमावली/एस.ओ.पी. तैयार कर सकता है (ii) सी.जी.एस.टी. विभाग (सी.बी.आई.सी.) द्वारा अपनाई गई जाँच के लिए विवरणी के चयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया के लिए एक जोखिम-आधारित नमूना पद्धति अपना सकता है और (iii) विवरणियों की जाँच के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है।

2.3.6.3 कर अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा में विलंब/ आंतरिक लेखापरीक्षा शुरू नहीं किया जाना

जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार, आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, साधारण या विशेष आदेश के द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति की ऐसी अवधि के लिए, ऐसी आवृत्ति और निर्धारित तरीके से जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षा कर सकता है। जे.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 2(13) "लेखापरीक्षा" को इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवृत्ति, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की शुद्धता की जाँच के लिये और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप उसके अनुपालन का आंकलन करने के लिये परिभाषित करता है।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 65 के अधीन क्रमशः प्रदत्त और अधिरोपित कर्तव्यों, शक्तियों का प्रयोग और निष्पादन करने के लिए अधिसूचना संख्या S.O-144 (दिसंबर 2017) के माध्यम से सी.टी.डी. में आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग का गठन किया गया था। अनुभाग को तीन आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभागों¹¹⁶ में विभाजित किया

¹¹⁶ धनबाद और संथाल परगना, जमशेदपुर और राँची और हजारीबाग।

गया है, जो प्रत्येक एक संयुक्त आयुक्त राज्य कर (लेखापरीक्षा) के प्रभार में है। इस संदर्भ में, यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा एक आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली तैयार किया गया है (मार्च 2021) कि जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 65 और 66 के अधीन करदाताओं का आंतरिक लेखापरीक्षा एक समान, कुशल और व्यापक तरीके से किया जाय।

सी.टी.डी. ने, जे.जी.एस.टी. आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली में लेखापरीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया निर्गत की, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए जोखिम मापदंडों के आधार पर नए मानकों को शामिल किए गए जैसे कि आवर्त, कर आई.टी.सी., रिफंड, संवेदनशील वस्तुओं/क्षेत्र, एवं अपालन आदि। इसमें परिकल्पना की गई है कि आंतरिक लेखापरीक्षा किए जाने वाले करदाताओं का चयन राज्य कर आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

जे.एस.टी. के लिए 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण नीचे तालिका 2.9 में दिया गया है:

तालिका 2.9: विभाग द्वारा किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के लिए आयोजित लेखापरीक्षा	करदाताओं की कुल संख्या	लेखापरीक्षा के लिए चयनित करदाता की संख्या (प्रतिशत में)	पूर्ण किए गए लेखापरीक्षा की वास्तविक संख्या (नवंबर 2022 तक)	उन मामलों की संख्या जिनमें कमियाँ पाई गईं	कमियों में शामिल कुल राशि	कुल वसूली
2017-18	हाँ	1,26,248	34 (0.001)	शून्य	लेखापरीक्षा पूर्ण नहीं हुए		
2018-19		2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा शुरू नहीं किया गया					
2019-20							
2020-21							

स्रोत: सी.टी.डी. द्वारा दी गई जानकारी

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विभाग ने अधिनियम की धारा 65 के अधीन आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए 2017-18 की अवधि के लिए केवल 34 करदाताओं का चयन (मार्च 2021 और जुलाई 2022 के बीच) किया, जो सभी तीन लेखापरीक्षा प्रभागों के अन्तर्गत 16 सी.टी.सी.¹¹⁷ में पंजीकृत थे। यह देखा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग के गठन (दिसंबर 2017) और आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली (मार्च 2021) के नियमन के बावजूद, 2017-18 की अवधि के लिए चयनित करदाताओं का आंतरिक लेखापरीक्षा पूरा नहीं हुआ था। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई थी। इसके अलावा, जोखिम मापदंड जिसके आधार पर करदाताओं को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था, किए गए लेखापरीक्षा का विवरण, जाँच की गई विवरणियों और उसके परिणाम को, हालांकि मांगे गए थे (अक्टूबर 2022), अभी तक प्रतीक्षित थे (मार्च 2024)। इस प्रकार, लेखापरीक्षा

¹¹⁷ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, रामगढ़, राँची दक्षिणी, राँची विशेष और राँची पश्चिमी।

करदाताओं के चयन और आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र की प्रभावकारिता के मापदंड की जाँच नहीं कर सका।

मामला सरकार/विभाग को सूचित किया गया (अक्टूबर 2022); विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2024)।

अनुशंसा सं. 4: विभाग 2017-18 की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा को पूरा करने के साथ-साथ 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के चयन और संचालन के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।

2.3.7 जी.एस.टी. विवरणियों में विसंगतियां-केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जी.एस.टी.एन. द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 से संबंधित जी.एस.टी. विवरणियों के आँकड़ों का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जी.एस.टी. विवरणियों के बीच नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों को मापदंडों का एक समूह पहचाना गया, जिन्हें मोटे तौर पर दो कार्यक्षेत्र-आई.टी.सी. और कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है।

निर्धारित 13 जी.एस.टी. विवरणियों¹¹⁸ में से, सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित मूल विवरणियों पर जी.एस.टी. विवरणियों/आँकड़ा के बीच विचलन, विसंगतियों और बेमेल की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया था:

- **जी.एस.टी.आर.-1:** वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों को करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरणी शामिल होता है।
- **जी.एस.टी.आर.-3बी:** जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 39(1) के अधीन निर्दिष्ट करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा, कर के भुगतान के साथ दावा किए गए जावक आपूर्ति और आई.टी.सी. का मासिक सारांश विवरणी दाखिल किया जाना है। यह वह विवरणी है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट और डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट को पॉप्युलेट करता है।
- **जी.एस.टी.आर.-6:** इनपुट सेवा वितरकों (आई.एस.डी.) के लिए मासिक विवरणी, जिसमें उनके वितरित आई.टी.सी. और जावक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।

¹¹⁸ जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-3बी, जी.एस.टी.आर.-4(कंपोजिशन योजना के अन्तर्गत करदाता), जी.एस.टी.आर.-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति), जी.एस.टी.आर.-5ए (अनिवासी ओ.आई.डी.ए.आर. सेवा प्रदाता), जी.एस.टी.आर.-6 (इनपुट सेवा वितरक), जी.एस.टी.आर.-7 (टी.डी.एस. कटौती वाले करदाता), जी.एस.टी.आर.-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर), जी.एस.टी.आर.-9 (ए.आर.), जी.एस.टी.आर.-10(अंतिम विवरणी), जी.एस.टी.आर.-11 (यू.आई.एन. रखने वाला और रिफंड का दावा करने वाला व्यक्ति), सी.एम.पी.- 08, और आई.टी.सी.-04 (किसी जॉब-वर्कर को भेजे गए/प्राप्त किए गए सामान के विवरण के बारे में एक प्रधान/जॉब-वर्कर द्वारा दाखिल किया जाने वाला विवरण)।

- **जी.एस.टी.आर.-8¹¹⁹:** ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल किया जाने वाला मासिक विवरणी, जिन्हें जी.एस.टी. के अधीन स्रोत पर कर संग्रह (टी.सी.एस.) की कटौती करना आवश्यक है।
- **जी.एस.टी.आर.-9:** वार्षिक विवरणी (ए.आर.) आई.एस.डी., स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.)/टी.सी.एस., आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता के अलावा सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाना है। इस दस्तावेज़ में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सी.जी.एस.टी., जे.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी.) के अधीन की गई और प्राप्त की गई सभी आपूर्तियों के साथ-साथ आवर्त और लेखापरीक्षा विवरणी शामिल हैं।
- **जी.एस.टी.आर.-9सी:** किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ पाँच करोड़ से अधिक आवर्त वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा प्रपत्र प्रस्तुत करना है। यह मूल रूप से जी.एस.टी.आर.-9 में दाखिल ए.आर. और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण (एफ.एस.) के बीच एक समाशोधन विवरणी है।
- **जी.एस.टी.आर.-2ए:** यह आवक आपूर्ति प्राप्तकर्ता के लिए एक सिस्टम-जनित विवरणी है। इसमें उनके प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-1/जी.एस.टी.आर.-5 में घोषित आपूर्तिकर्ताओं के सभी बी2बी लेनदेन का विवरण, जी.एस.टी.आर.-6 से आई.एस.डी. विवरणी, प्रतिपक्ष द्वारा क्रमशः जी.एस.टी.आर.-7 और जी.एस.टी.आर.-8 का विवरण और भारतीय सीमा शुल्क के आई.सी.इ.जी.ए.टी.इ.¹²⁰ पोर्टल से प्राप्त प्रवेश बिल पर विदेशों से वस्तु का आयात विवरणी शामिल है।

पहचाने गए मानकों और देखे गए विचलनों/विसंगतियों की सीमा (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना) पर 2017-18 की अवधि के लिए झारखण्ड राज्य से संबंधित आँकड़ा विश्लेषण तालिका 2.10 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 2.10: आँकड़ा विश्लेषण का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मानक	एल्गोरिथम का उपयोग	विचलनों की संख्या	विचलन/ बेमेल की राशि
कार्यक्षेत्र-आई.टी.सी.				
डी1	जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3 बी के बीच आई.टी.सी. का बेमेल	सभी संशोधनों के साथ जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. की तुलना तालिका 4ए(5) में जी.एस.टी.आर.-3बी में प्राप्त आई.टी.सी. (घरेलू आपूर्ति पर अर्जित) के साथ तालिका 4बी(2) में रिवर्सल्स को ध्यान में रखते हुए की गई थी। लेकिन इसमें जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8सी से अगले वर्ष 2018-19 में प्राप्त आई.टी.सी. भी शामिल है।	50	68.63
डी2	आर.सी.एम. के अधीन आई.टी.सी. का प्राप्त लाभ बनाम जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9 में कर का भुगतान	जी.एस.टी.आर.-3बी तालिका 3.1(डी) में आर.सी.एम. भुगतान की तुलना जी.एस.टी.आर.-9 तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में आई.टी.सी. से लाभ प्राप्त की गई। ऐसे मामलों में जहाँ जी.एस.टी.आर.-9 उपलब्ध नहीं था, जाँच की तालिका 3.1(डी) में दिए गए जी.एस.टी.आर.-3बी कर के भीतर सीमित किया	50	16.15

¹¹⁹ अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया।

¹²⁰ भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक आँकड़ा इंटरचेंज गेटवे (आई.सी.इ.जी.ए.टी.इ.)।

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	मानक	एल्गोरिथम का उपयोग	विचलनों की संख्या	विचलन/ बेमेल की राशि
		गया था, जबकि तालिका 4ए(2) और 4ए(3) से आई.टी.सी. लाभ उठाया था।		
डी3	आर.सी.एम. के अधीन कर का कम भुगतान बनाम जी,एस.टी.आर.-3 बी/जी,एस.टी.आर.-9 में आई.टी.सी. का लाभ	जी.एस.टी.आर.-9 तालिका 4जी (देय कर) में आर.सी.एम. भुगतान की तुलना जी.एस.टी.आर.-9 तालिका 6 सी, 6 डी और 6 एफ (आई.टी.सी. का लाभ प्राप्त करना) में प्राप्त आई.टी.सी. से की गई। ऐसे मामलों में जहाँ जी.एस.टी.आर.-9 उपलब्ध नहीं था, जी.एस.टी.आर.-3 बी तालिका 3.1(डी) में आर.सी.एम. भुगतान की तुलना जी.एस.टी.आर.-3बी 4ए(2) और 4ए(3) से की गई थी। जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-3 बी में अधिक अंतर वहीं माना गया जहाँ दोनों उपलब्ध थे।	17	1.21
डी4	ए.आर. और एफ.एस. में लाभ प्राप्त आई.टी.सी. के बीच बेमेल [जी.एस.टी.आर.-9 सी की तालिका 12 एफ]	जी.एस.टी.आर.-9 सी तालिका 12 एफ में सकारात्मक आँकड़ा और बेमेल के लिए तालिका 13 में दिए गए कारणों की जाँच।	50	77.10
डी5	एफ.एस. में खर्चों के साथ ए.आर. में घोषित आई.टी.सी. में बेमेल [जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 14टी]	जी.एस.टी.आर.-9 सी तालिका 14 टी में सकारात्मक आँकड़ा और बेमेल के लिए तालिका 15 में दिए गए कारणों की जाँच।	50	345.48
कार्यक्षेत्र: कर भुगतान				
डी6	ए.आर. और एफ.एस. के बीच कुल आवर्त में बेमेल [जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5 आर]	जी.एस.टी.आर.-9 सी तालिका 5 आर. में नकारात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका 6 में दिए गए कारणों की जाँच।	25	5,328.73
डी7	ए.आर. और एफ.एस. के बीच कर योग्य आवर्त में बेमेल [जी.एस.टी.आर.-9 सी की तालिका 7 जी]	जी.एस.टी.आर.-9.सी तालिका 7 जी में नकारात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका 8 में दिए गए कारणों की जाँच।	50	2,391.54
डी8	लेखा पुस्तकों और ए.आर. में देय कर के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल [जी.एस.टी.आर.-9 सी की तालिका 9 आर]	जी.एस.टी.आर.-9 सी तालिका 9आर में नकारात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका 10 में दिए गए कारणों की जाँच।	50	16.64
डी9	चुकाई न गई कर देयता	जी.एस.टी.आर.-1 (तालिका 4 से 11) और जी.एस.टी.आर.-9 (तालिका 4एन, 10 और 11) के बीच वृहत कर देयता की तुलना जी.एस.टी.आर.-3बी तालिका 3.1(ए) और 3.1(बी) में भुगतान किए गए कर विवरण से की गई। ऐसे मामलों में जहाँ जी.एस.टी.आर.-9 उपलब्ध नहीं था, जी.एस.टी.आर.-3बी कर भुगतान की तुलना जी.एस.टी.आर.-1 देयता से की गई। जी.एस.टी.आर.-1 एवं 9 में घोषित संशोधन एवं अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया।	50	94.73
डी10	ई-कॉमर्स कारोबार से जुड़े कंपोजीशन करदाता	जी.एस.टी.आर.-8 में घोषित जी.एस.टी.आई.एन. जो कंपोजीशन स्कीम के अधीन जी.एस.टी.आर.-4 भी दाखिल कर रहे हैं।	05	0.00
डी11	जी.एस.टी.आर.-3.बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जी.एस.टी.आर.-1 उपलब्ध है	वे करदाता जिन्होंने जी.एस.टी.आर.-3बी दाखिल नहीं किया है, लेकिन जी.एस.टी.आर.-1 दाखिल किया है या जहाँ जी.एस.टी.आर.-2 ए उपलब्ध है, यह दर्शाता है कि करदाता बिना कर चुकाए व्यवसाय कर रहे हैं।	25	1.49
डी12	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का नहीं/कम भुगतान	जी.एस.टी.आर.-3 बी विलंब दाखिल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर जी.एस.टी.आर.-3.बी में घोषित ब्याज की तुलना में 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गयी।	50	18.29
कुल			472	8,359.99

2.3.7.1 विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत न किया जाना

करदाताओं के अभिलेखों की आगे जाँच किए बिना 2017-18 के 472 मामलों (उपरोक्त तालिका 2.10) में पहचाने गए विचलनों/विसंगतियों के संबंध में मार्च 2022 और अप्रैल 2022 के बीच संबंधित सी.टी.सी. को लेखापरीक्षा पृच्छा निर्गत किए गए थे। इन मामलों में लेखापरीक्षा जाँच पहचाने गए विचलनों/बेमेलों पर विभाग की कार्रवाई की पुष्टि करने तक ही सीमित थी।

जून 2023 तक, विभाग को सूचित (मार्च 2022 से अप्रैल 2022) किए गए विचलनों/विसंगतियों के 27 मामलों में प्रारंभिक प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुई थीं, जो पाँच मामलों में ₹ 30.89 करोड़ के आवर्त के बेमेल और 22 मामलों में ₹ 13.27 करोड़ के कर देयता/आई.टी.सी. के बेमेल को दर्शाता है जैसा कि तालिका 2.11 में बताया गया है:

तालिका 2.11: पहचान किए गए विचलनों/विसंगतियों पर जवाब प्राप्त नहीं हुये

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		विभाग के जवाब प्राप्त नहीं हुए		प्रतिशतता	
	संख्या	बेमेल की राशि	संख्या	बेमेल की राशि	संख्या	राशि
जी.एस.टी.आर.-2.ए और जी.एस.टी.आर.-3बी (डी1) के बीच आई.टी.सी. बेमेल	50	68.63	3	2.08	6.00%	3.03%
आर.सी.एम. के अधीन आई.टी.सी. का प्राप्त लाभ बनाम जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9 (डी2) में कर का भुगतान	50	16.15	1	0.28	2.00%	1.79%
आर.सी.एम. बनाम जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9 (डी3) में प्राप्त लाभ आई.टी.सी. के अधीन कर का कम भुगतान	17	1.21	2	0.14	11.76%	12.39%
ए.आर. और एफ.एस. में प्राप्त लाभ आई.टी.सी. के बीच बेमेल [जी.एस.टी.आर.-9.सी की तालिका 12.एफ] (डी4)	50	77.10	0	0	0.00%	0.00%
एफ.एस. में खर्चों के साथ ए.आर. में घोषित आई.टी.सी. में बेमेल [जी.एस.टी.आर.-9 सी की तालिका 14टी] (डी5)	50	345.48	1	3.04	2.00%	0.87%
ए.आर. और एफ.एस. के बीच कुल आवर्त में बेमेल [जी.एस.टी.आर.-9 सी की तालिका 5 आर] (डी6)	25	5,328.73	2	12.06	8.00%	0.00%
ए.आर. और एफ.एस. के बीच कर योग्य आवर्त में बेमेल	50	2,391.54	3	18.83	6.00%	0.00%

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		विभाग के जवाब प्राप्त नहीं हुए		प्रतिशतता	
	संख्या	बेमेल की राशि	संख्या	बेमेल की राशि	संख्या	राशि
[जी.एस.टी.आर.-9.सी की तालिका 7 जी] (डी7)						
लेखा पुस्तकों और ए.आर. में देय कर के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल [जी.एस.टी.आर.-9 सी की तालिका 9 आर] (डी 8)	50	16.64	1	0.16	2.00%	1.00%
चुकाई न गई कर देयता (डी9)	50	94.73	5	5.82	10.00%	6.14%
ई-कॉमर्स व्यवसाय से संबंधित कंपोजीशन करदाता (डी10)	05	0.00	0	0	0.00%	0.00%
जी.एस.टी.आर.-3 बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जी.एस.टी.आर.-1 उपलब्ध है (डी11)	25	1.49	1	0	2.00%	0.00%
कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का नहीं/कम भुगतान (डी12)	50	18.29	8	1.75	32.00%	9.56%
कुल	472	8,359.99	27	44.16	5.72%	2.08%

जैसा कि अगले कंडिकाओं में बताया गया है, विसंगतियों को अनुपालन विचलन में रूपांतरण की दर को ध्यान में रखते हुए, विभाग को प्राथमिकता के रूप में इन 27 मामलों के सत्यापन में तेजी लाने की आवश्यकता है।

अनुशंसा सं. 5: लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई इन 27 विसंगतियों और विचलनों पर विभाग तत्काल कार्रवाई कर सकता है और जिनके प्रत्युत्तर प्रदान नहीं की गई हैं, उनके परिणामों को लेखापरीक्षा को सूचित करना चाहिए।

2.3.7.2 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा पृच्छाओं पर विभाग से प्राप्त प्रत्युत्तर के आधार पर, अनुपालन विचलनों में अनुवादित 12 मानकों में से प्रत्येक की सीमा को तालिका 2.12 में सारांशित किया गया है:

तालिका 2.12: कमियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण		लेखापरीक्षा आयाम												कुल		
		जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3 बी के बीच आई.टी.सी. बेमेल	आर.सी.एम. के अधीन प्राप्त लाभ आई.टी.सी. बनाम जी.एस.टी.आर.-3बी/जीएसटीआर-9 में कर का भुगतान	आर.सी.एम. बनाम जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9 में प्राप्त आई.टी.सी. के अधीन कर का काम भुगतान	ए.आर. और एफ.एस. (तालिका 12ए)के बीच प्राप्त लाभ आई.टी.सी. में बेमेल	ए.आर. और खर्चों के साथ एफ.एस. में घोषित आई.टी.सी. (तालिका 14टी)में बेमेल	जी.एस.टी.आर.-9सी (तालिका 5आर) में घोषित कुल आवर्तन में बेमेल	जी.एस.टी.आर.-9सी (तालिका 7जी) में घोषित कर योग्य आवर्तन में बेमेल	ए.आर. और खातों की पुस्तकों (तालिका 9आर) के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल	चुकाई न गई देयता	कंपोजीशन करदाता ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहे हैं	जी.एस.टी.आर.-3बी दाखिल नहीं किया जाना लेकिन जी.एस.टी.आर.-1 उपलब्ध	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपन /अल्परोपन भुगतान			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
जिन मामलों में जवाब प्राप्त हुए		संख्या	47	49	15	50	49	23	47	49	45	5	24	42	445	
		राशि	66.55	15.87	1.07	77.10	342.44	5316.67	2372.71	16.48	88.91	0	1.49	16.54	8315.83	
विभाग का जवाब लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया	ऑकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ	संख्या	0	7	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	
		राशि	0	0.91	0.20	0	0	0	0	0.85	0	0	0	0	1.96	
	पृच्छा से पहले कृत कार्रवाई	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20	0.2	
	अन्य मान्य स्पष्टीकरण	संख्या	2	1	0	0	11	0	0	1	0	1	0	0	16	
		राशि	1.82	0.16	0	0	78.04	0	0	0.22	0	0	0	0	80.24	
अनुपालन विचलन	प्रकरणों सहित विभाग द्वारा स्वीकृत, जहाँ कार्रवाई अभी बाकी है	वसूली की गई	संख्या	0	0	1	2	0	0	7	1	0	0	7	18	
			राशि	0	0	0.07	0.43	0	0	1.42	0.08	0	0	1.97	3.97	
		एस.सी.एन. निर्गत	संख्या	12	6	2	6	3	4	9	11	12	1	14	14	94
			राशि	6.24	1.91	0.17	2.55	13.18	443.26	88.42	2.88	28.23	0	0.58	2.84	590.26
		ए.एस.एम.टी-10	संख्या	18	7	2	26	10	9	22	14	18	2	7	2	137
			राशि	11.20	2.88	0.14	63.55	42.90	4505.42	1997.94	4.11	26.61	0	0.84	0.34	6655.93
		करदाताओं के साथ पत्राचार के तहत	संख्या	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	6
		राशि	0.35	0	0	0	0	0	21.75	0	0	0	0	0.33	22.43	
	विभाग का जवाब लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं (खण्डन)	संख्या	0	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		राशि	0	7.58	0.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.79	
कुल	संख्या	31	24	8	34	13	13	33	32	31	3	21	26	269		
	राशि	17.79	12.37	0.59	66.53	56.08	4948.68	2108.11	8.41	54.92	0	1.42	5.48	7280.38		
विभाग का जवाब उचित दस्तावेजों साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया		संख्या	14	17	4	16	25	10	14	15	14	1	3	14	147	
		राशि	46.94	2.43	0.28	10.57	208.32	367.99	264.60	5.80	33.38	0	0.06	10.94	951.31	
विभाग ने कहा कि लेखापरीक्षा पृच्छा की जाँच की जा रही है		संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

☞ उपरोक्त तालिका में 'वसूली' और 'एस.सी.एन. निर्गत' श्रेणी के अन्तर्गत राशि विभाग द्वारा की गई वसूली और निर्गत एस.सी.एन. की राशि के अनुसार है, भले ही लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई राशि कुछ भी हो।

2.3.7.3 केन्द्रीय लेखापरीक्षा का सारांश

445 मामलों में विचलनों/विसंगतियों में से, जिसके लिए विभाग की प्रत्युत्तर प्राप्त हुई, 112 मामलों में (25.16 प्रतिशत) ₹ 594.23 करोड़ (आवर्त के बेमेल सहित) शामिल थी। विभाग ने 18 मामलों में विचलनों/विसंगतियों को स्वीकार किया जिसमें ₹ 3.97 करोड़ की वसूली हुई और 94 मामलों में ₹ 590.26 करोड़ (आवर्त के बेमेल सहित) का एस.सी.एन. निर्गत किया गया। इसके अलावा, विभाग ने 137 मामलों में जिसमें ₹ 6,655.93 करोड़ शामिल हैं करदाताओं से जवाब मांगने के लिए ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत किया, जो 31 मामलों में ₹6,503.36 करोड़ के आवर्त के बेमेल और 106 मामलों में ₹ 152.57 करोड़ के कर देयता/आई.टी.सी. के बेमेल को दर्शाता है। इन मामलों में, आई.टी.सी. बेमेल, रिवर्स प्रभार के अधीन प्राप्त अतिरिक्त आई.टी.सी., गलत आवर्त घोषणाएं और कर का कम भुगतान जैसे जोखिम वाले क्षेत्रों में विचलनों की उच्च दर पायी गई।

छ: मामलों में शामिल ₹ 22.43 करोड़ (1.34 प्रतिशत) में विभाग ने कहा कि ये मामले करदाता के साथ पत्राचार के तहत थे।

लेखापरीक्षा द्वारा 147 मामलों में ₹ 951.31 करोड़ (आवर्त के बेमेल सहित) के बताए गए विचलन को विभाग ने स्वीकार नहीं किया, इनका तर्क साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं था, और इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए उत्तरदायी नहीं था और ₹ 7.79 करोड़ की राशि के 14 मामलों में, विभाग का जवाब लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं था और आगे स्पष्टीकरण मांगा गया था।

29 मामलों (6.51 प्रतिशत) में, जहाँ विभाग का जवाब लेखापरीक्षा को स्वीकार्य था, 11 मामलों (37.93 प्रतिशत) में करदाताओं द्वारा आँकड़ा प्रविष्टि त्रुटियां शामिल थीं, विभाग ने दो मामलों में सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी, और 16 मामलों में, विभाग के पास वैध स्पष्टीकरण थे।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के प्रत्येक लेखापरीक्षा आयाम के लिए उच्च मूल्य वाले मामले (वसूली के मामलों से संबंधित अनुपालन विचलनों/विसंगतियों के लिए, ए.एस.एम.टी.-10, एस.सी.एन. निर्गत और करदाता के साथ पत्राचार के अधीन) की विवरणी नीचे तालिका 2.13 में है:

तालिका 2.13: प्रत्येक लेखापरीक्षा आयाम के लिए उच्चतम मूल्य का मामला

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	आयाम	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम	अंचल	बेमेल	कृत कार्रवाई
1	जी.एस.टी.आर-2.ए और जी.एस.टी.आर-3 बी के बीच आई.टी.सी. बेमेल (डी1)	20XXXXXXXXXXZW	प्रगति केमिकल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	राँची दक्षिणी	1.16	ए.एस.एम.टी-10
2	आर.सी.एम. के अधीन प्राप्त लाभ आई.टी.सी. बनाम जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर. -9 में कर का भुगतान (डी2)	20XXXXXXXXXXZR	शिवेणी अर्थमूवर्स प्रा. लिमिटेड	राँची दक्षिणी	1.01	ए.एस.एम.टी-10
3	आर.सी.एम. बनाम जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9 (डी3) में प्राप्त लाभ आई.टी.सी. के अधीन कर का कम भुगतान	20XXXXXXXXXXZ3	सेहरा स्टील इंडस्ट्रीज	राँची दक्षिणी	0.07	ए.एस.एम.टी-10
4	ए.आर. और एफ.एस. के बीच में प्राप्त लाभ आई.टी.सी. का बेमेल [जी.एस.टी.आर.-9 सी की तालिका 12एफ] (डी4)	20XXXXXXXXXXZH	उषा मार्टिन लिमिटेड (यू. एस.ए.डी.)	आदित्यपुर	46.21	ए.एस.एम.टी-10
5	ए.आर. में घोषित आई.टी.सी. और एफ.एस. में खर्चों के बीच बेमेल [जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 14टी] (डी5)	20XXXXXXXXXXZS	टाटा पिगमेंट्स लिमिटेड	सिंहभूम	9.39	ए.एस.एम.टी-10
6	ए.आर. और एफ.एस. के बीच कुल आवर्त में बेमेल [जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5आर] (डी6)	20XXXXXXXXXXZT	प्रसार भारती ब्राडकास्टिंग निगम ऑफ इण्डिया	राँची दक्षिणी	4218.67	ए.एस.एम.टी-10
7	ए.आर. और एफ.एस. के बीच कर योग्य आवर्त में बेमेल [जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 7जी] (डी7)	20XXXXXXXXXXZ5	विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज	सिंहभूम	440.31	ए.एस.एम.टी-10
8	लेखा पुस्तकों और ए.आर. में देय कर के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल [जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 9आर] (डी8)	20XXXXXXXXXXZ5	बी.जी.आर. माइनिंग एंड इन्फ्रा लिमिटेड	धनबाद	1.06	ए.एस.एम.टी-10
9	चुकाई न गई कर देयता (D9)	20XXXXXXXXXXZG	न्यू हिंदुस्तान सेंटर	धनबाद नागरीय	8.44	एस.सी.एन.
10	ई-कॉमर्स व्यवसाय से संबंधित कंपोजीशन करदाता (D10)	20XXXXXXXXXXZK	टाइम एंड मोशन हॉस्पिटैलिटीज़ प्रा. लिमिटेड	बोकारो	0	एस.सी.एन.
11	जी.एस.टी.आर.-3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जी.एस.टी.आर.-1 उपलब्ध है (डी11)	20XXXXXXXXXXZI	मंथन डुरंग वेंचर्स प्रा. लिमिटेड	राँची दक्षिणी	0.77	ए.एस.एम.टी-10
12	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपन/अल्पारोपन (डी12)	20XXXXXXXXXXZY	ओरियन सिक्योरिटीज लिमिटेड	राँची पश्चिमी	0.37	एस.सी.एन.

उदाहरणात्मक मामलों की व्याख्या नीचे दी गई है:

(i) जी.एस.टी.आर-2ए और जी.एस.टी.आर-3 बी के बीच आई.टी.सी बेमेल

जी.एस.टी.आर-2ए एक क्रय संबंधी गतिशील कर विवरणी है जो जी.एस.टी पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जबकि जी.एस.टी.आर-3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें घोषित आई.टी.सी और कर के भुगतान के साथ जावक आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्व-घोषित होता है।

आई.टी.सी उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए जी.एस.टी.आर.-3बी और जी.एस.टी.आर.-2ए से प्रासंगिक आँकड़ा निकाला गया, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरणों के अनुसार भुगतान किया गया आई.टी.सी और करदाता द्वारा प्राप्त आई.टी.सी क्रेडिट के साथ मिलान किये गये। अपनाई गई पद्धति में जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. की उसके सभी संशोधनों के साथ तुलना करना था और तालिका 4ए(5)¹²¹ में जी.एस.टी.आर.-3बी में प्राप्त लाभ आई.टी.सी., रिवर्सल्स तालिका 4बी (2)¹²² को छोड़कर लेकिन इसमें जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8सी से अगले वर्ष 2018-19 में प्राप्त आई.टी.सी. भी शामिल है।

करदाता के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि, राँची दक्षिणी सी.टी.सी. के अन्तर्गत मैसर्स प्रगति केमिकल इंडिया प्रा. लिमिटेड (20XXXXXXXXXXZW) के जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. ₹ 1.38 करोड़ थी, और जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 4ए(5) में प्राप्त लाभ आई.टी.सी. ₹ 2.55 करोड़ थी (जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 8सी से अगले वर्ष 2018-19 में प्राप्त लाभ आई.टी.सी. सहित)। इसके परिणामस्वरूप ₹1.16 करोड़ की प्राप्त लाभ आई.टी.सी. का बेमेल हुआ। इसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)। प्रत्युत्तर में, विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत किया गया है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

(ii) आर.सी.एम के अधीन प्राप्त आई.टी.सी का लाभ बनाम जी.एस.टी.आर-3बी/जी.एस.टी.आर-9 में कर का भुगतान

आर.सी.एम. के अधीन, जे.जी.एस.टी अधिनियम, 2017 के अधीन धारा 9(3) या धारा 9(4) और आई.जी.एस.टी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के कुछ श्रेणियों की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर भुगतान करने की देयता आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बदले वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्तकर्ता पर तय किया जाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए आर.सी.एम. के अधीन भुगतान किए गए कर पर प्राप्त आई.टी.सी. की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, जी.एस.टी.आर.-3बी और वार्षिक

¹²¹ अन्य सभी योग्य आई.टी.सी.।

¹²² अन्य आई.टी.सी. रिवर्सड।

विवरणी जी.एस.टी.आर.-9 से संबंधित डेटासेट्स की तुलना यह जाँचने के लिए की गई थी कि क्या आर.सी.एम. पर प्राप्त लाभ आई.टी.सी. भुगतान किए गए कर की सीमा तक सीमित थी। अपनाई गई पद्धति जी.एस.टी.आर.-3बी तालिका 3.1(डी)¹²³ में आर.सी.एम. भुगतान की जी.एस.टी.आर.-9 तालिका 6सी¹²⁴, 6डी¹²⁵ और 6एफ¹²⁶ में प्राप्त आई.टी.सी. के साथ तुलना करना था। ऐसे मामलों में जहाँ जी.एस.टी.आर.-9 उपलब्ध नहीं था, जाँच को जी.एस.टी.आर.-3बी तक सीमित कर दिया गया था, जहाँ आर.3बी तालिका 3.1(डी) में चुकाए गए कर वाले हिस्से की तुलना आर.3बी 4ए (2)¹²⁷ और 4ए (3)¹²⁸ के आई.टी.सी. के लाभ वाले हिस्से से की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक करदाता के मामले में, राँची दक्षिणी सी.टी.सी. के अन्तर्गत मैसर्स श्रिवेनी अर्थमूवर्स प्रा. लिमिटेड (20XXXXXXXXXXZR) के जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 3.1(डी) में उपलब्ध आई.टी.सी. ₹0.35 करोड़ थी और जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 4ए(2) और (3) में प्राप्त आई.टी.सी. ₹1.36 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप आई.टी.सी. के बेमेल होने पर ₹1.01 करोड़ की राशि का लाभ उठाया गया।

इसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)। प्रत्युत्तर में, विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

(iii) आर. सी. एम. बनाम जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9 में प्राप्त आई.टी.सी. का लाभ के अधीन कर का कम भुगतान

वर्ष 2017-18 के लिए आर.सी.एम के अधीन आई.टी.सी का लाभ उठाने की सीमा चुकाए गए कर देयता के समतुल्य के बिना या, दूसरे शब्दों में, आर.सी.एम के अधीन कर के कम भुगतान का विश्लेषण जी.एस.टी.आर.-3बी और वार्षिक विवरणी जी.एस.टी.आर.-9 से संबंधित डेटासेट्स की तुलना करके यह जाँचने के लिए किया गया था कि क्या आर.सी.एम. के अधीन गतिविधियों/लेनदेनों पर पूरी तरह से कर चुकाया गया है या नहीं। ऐसे मामलों में जहाँ जी.एस.टी.आर.-9 दाखिल किया गया था, तालिका 4जी¹²⁹ में आर.सी.एम भुगतानों की तुलना तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त लाभ आई.टी.सी. से की गई थी। ऐसे मामलों में जहाँ जी.एस.टी.आर.-9 उपलब्ध नहीं था,

¹²³ आवक आपूर्तियाँ (रिवर्स प्रभार के लिए उतरदायी)।

¹²⁴ आवक आपूर्तियाँ अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त होती हैं जिस पर रिवर्स प्रभार लगता है।

¹²⁵ आवक आपूर्तियाँ पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त होती हैं जिस पर रिवर्स प्रभार लगता है।

¹²⁶ सेवाओं का आयात।

¹²⁷ सेवाओं का आयात।

¹²⁸ आवक आपूर्तियाँ (रिवर्स प्रभार के लिए उतरदायी)।

¹²⁹ आवक आपूर्तियाँ जिस पर कर का भुगतान रिवर्स प्रभार के आधार पर किया जाना है।

आर.सी.एम. भुगतान की तुलना जी.एस.टी.आर-3बी तालिका 3.1(डी)¹³⁰ एवं जी.एस.टी.आर-3बी 4(ए)(2)¹³¹ और 4ए(3)¹³² से की गई थी।

करदाता के मामले में लेखापरीक्षा ने, राँची दक्षिणी सी.टी.सी. के अन्तर्गत मैसर्स सेहरा स्टील इंडस्ट्रीज (20XXXXXXXXXXZ3), में देखा कि जी.एस.टी.आर-9 की तालिका 4जी में आर.सी.एम भुगतान ₹ 0.01 करोड़ है (जी.एस.टी.आर-3बी में भी आर.सी.एम भुगतान राशि ₹ 0.01 करोड़ दिखाया है) और जी.एस.टी.आर-9 की तालिका (6सी+6डी+6एफ) में प्राप्त लाभ आई.टी.सी राशि ₹ 0.07 करोड़ है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.06 करोड़ की राशि का बिना कर भुगतान किए आर.सी.एम पर आई.टी.सी का अधिक लाभ लिया गया।

इसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)। प्रत्युत्तर में, विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

(iv) ए.आर. और एफ.एस. के बीच में प्राप्त आई.टी.सी. के लाभ का बेमेल (जी.एस.टी.आर-9सी की तालिका 12एफ)

जी.एस.टी.आर-9सी की तालिका 12, ए.आर.(जी.एस.टी.आर-9) में घोषित आई.टी.सी को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणी या लेखा पुस्तकों के अनुसार प्राप्त आई.टी.सी के लाभ के साथ समाशोधन करता है। इस तालिका का कॉलम 12एफ असमाशोधित आई.टी.सी. से संबंधित है।

वर्ष 2017-18 के लिए प्रपत्र जी.एस.टी.आर-9सी में जे.जी.एस.टी नियमों के नियम 80(3) के अधीन ऐसे आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाशोधन विवरण का ए.आर. के साथ एफ.एस. में घोषित आई.टी.सी में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए आँकड़ा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

आदित्यपुर सी.टी.सी. के अन्तर्गत एक करदाता मैसर्स उषा मार्टिन लिमिटेड (20XXXXXXXXXXZH) के मामले में यह पाया गया कि जी.एस.टी.आर-9सी की तालिका 12एफ में असमाशोधित आई.टी.सी ₹ 46.21 करोड़ घोषित की, जहाँ एफ.एस. पर आधारित योग्य आई.टी.सी. से अधिक जी.एस.टी. विवरणियों में आई.टी.सी. का लाभ उठाया जा रहा है।

इसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)। प्रत्युत्तर में, विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

¹³⁰ आवक आपूर्तियाँ (रिवर्स प्रभार के लिए उतरदायी)।

¹³¹ सेवाओं का आयात।

¹³² वस्तुओं और सेवाओं के आयात के अलावा आवक आपूर्तियों पर रिवर्स प्रभार लगाया जा सकता है।

(v) ए.आर. में घोषित आई.टी.सी. और एफ.एस. में खर्चों के बीच बेमेल (जी.एस.टी.आर-9सी की तालिका 14टी)

जी.एस.टी.आर-9सी की तालिका 14, ए.आर. (जी.एस.टी.आर-9) में घोषित आई.टी.सी. को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार खर्चों पर प्राप्त आई.टी.सी. के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 14टी असमाशोधित आई.टी.सी. से संबंधित है।

वर्ष 2017-18 के लिए प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-9सी में जे.जी.एस.टी. नियमों के नियम 80(3) के अधीन ऐसे आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाशोधन विवरण का वार्षिक विवरणी में घोषित आई.टी.सी. में पहचाने गए बेमेल को वित्तीय विवरणी में प्रतिवेदित किए गए व्यय की सीमा की समीक्षा करने के लिए आँकड़ा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

सिंहभूम सी.टी.सी. के अन्तर्गत एक करदाता मैसर्स टाटा पिगमेंट्स लिमिटेड (20XXXXXXXXXZS) के मामले में जी.एस.टी.आर-9सी की तालिका 14टी. में असमाशोधित आई.टी.सी. ₹ 9.39 करोड़ घोषित की, जहाँ वित्तीय विवरणियों में प्रतिवेदित किए गए व्ययों के आधार पर योग्य आई.टी.सी. से अधिक जी.एस.टी. विवरणियों में आई.टी.सी. का लाभ उठाया जा रहा है।

इसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)। प्रत्युत्तर में, विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

(vi) जी.एस.टी.आर-9सी(तालिका 5आर) में घोषित कुल आवर्त में बेमेल

जी.एस.टी.आर-9सी की तालिका 5 लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणी में घोषित आवर्त का वार्षिक आवर्त (जी.एस.टी.आर-9) में घोषित आवर्त के साथ समाशोधन है। इस तालिका का कॉलम 5आर वार्षिक विवरणी जी.एस.टी.आर.-9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी में घोषित आवर्त के बीच असमाशोधित आवर्त को दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-9सी में जे.जी.एस.टी. नियमों के नियम 80(3) के अधीन ऐसे आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाशोधन विवरण का वार्षिक विवरणी में घोषित आई.टी.सी. में पहचाने गए बेमेल को वित्तीय विवरणी में प्रतिवेदित किए गए व्यय की सीमा की समीक्षा करने के लिए आँकड़ा स्तर पर विश्लेषण किया गया था। ऐसे मामलों में जहाँ असमाशोधित राशि जी.एस.टी.आर.-9 में घोषित आवर्त, एफ.एस. से कम है, अप्रतिवेदित, अल्पप्रतिवेदित, कम-प्रतिवेदित, चूक, आपूर्ति की रिपोर्टिंग में त्रुटि के कारण अपवंचन या कर के कम भुगतान को इंगित करता है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्तियों दोनों की अप्रतिवेदित का मामला भी हो सकता है।

रॉची दक्षिणी सी.टी.सी. के अन्तर्गत करदाता मैसर्स प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (20XXXXXXXXXXZT) के संबंध में जी.एस.टी.आर-9सी की तालिका 5आर में असमाशोधित आवर्त राशि ₹4,218.67 करोड़ पर लेखापरीक्षा पृच्छा निर्गत किए गए।

इसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)। प्रत्युत्तर में, विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

(vii) जी.एस.टी.आर-9सी (जी.एस.टी.आर-9सी की तालिका 7जी) में घोषित कर योग्य आवर्त में बेमेल

जी.एस.टी.आर-9सी की तालिका 7 कर योग्य आवर्त का समाशोधन है। इस तालिका का कॉलम 7जी वार्षिक विवरणी जी.एस.टी.आर-9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी में घोषित के बीच असमाशोधित कर योग्य आवर्त को दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-9सी में जे.जी.एस.टी. नियमों के नियम 80(3) के अधीन ऐसे आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाशोधन विवरणी का वार्षिक विवरणी में घोषित कर योग्य आवर्त में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए वित्तीय विवरणी की तुलना में डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था। ऐसे मामलों में जहाँ असमाशोधित राशि जी.एस.टी.आर.-9 में घोषित आवर्त, एफ.एस. से कम है, अप्रतिवेदित, अल्पप्रतिवेदित, कम-प्रतिवेदित, चूक, कर योग्य आपूर्ति की रिपोर्टिंग में त्रुटि को इंगित करता है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्तियों दोनों की नॉन-रिपोर्टिंग का मामला भी हो सकता है।

सिंहभूम सी.टी.सी. के अन्तर्गत करदाता मैसर्स विशकर्मा इंडस्ट्रीज (20XXXXXXXXXXZ5) के संबंध में जी.एस.टी.आर-9सी की तालिका 7जी में ₹ 440.31 करोड़ की राशि के असमाशोधित कर योग्य आवर्त पर लेखापरीक्षा पृच्छा निर्गत की गई थी।

इसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)। प्रत्युत्तर में, विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

(viii) ए.आर. और लेखा पुस्तकों के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (जी.एस.टी.आर-9सी की तालिका 9आर)

वर्ष 2017-18 के लिए प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-9सी में जे.जी.एस.टी. नियमों के नियम 80(3) के अधीन ऐसे आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाशोधन विवरण का वार्षिक विवरणी और खाता बही के बीच भुगतान किए गए कर में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए आँकड़ा स्तर पर विश्लेषण किया गया था। जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 9 आवर्त को दर-वार अलग करके और वार्षिक विवरणी जी.एस.टी.आर-9 के अनुसार चुकाई गई कर के साथ तुलना करके भुगतान

किए गए कर का समाशोधन करने का प्रयास करती है। असमाशोधित राशियाँ संभावित रूप से गलत दरों पर लगाए गए कर, छूट के रूप में कर योग्य आवर्त का गलत चित्रण या इसके विपरीत या सी.जी.एस.टी/जे.जी.एस.टी/आई.जी.एस.टी की गलत उगाही का संकेत दे सकती हैं। ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं जिनमें अप्रैल से सितंबर 2018 तक अगले वर्ष में किए गए 2017-18 लेनदेन के संबंध में संशोधनों (डेबिट नोट्स/ क्रेडिट नोट्स का शुद्ध) के माध्यम से घोषित आपूर्ति/ कर कम कर दिया जाता है। परिणामी ब्याज भुगतान- कम भुगतान और गलत मदों के अन्तर्गत भुगतान- दोनों की भी इस संबंध में जाँच की जानी चाहिए।

धनबाद सी.टी.सी. के अन्तर्गत करदाता मैसर्स बी.जी.आर. माइनिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड (20XXXXXXXXXXZ5) के मामले में जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 9आर में घोषित कर के ₹1.06 करोड़ के असमाशोधित भुगतान पर लेखापरीक्षा पृच्छा निर्गत की गई थी। इसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)। प्रत्युत्तर में, विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

(ix) चुकाई न गई कर देयता

जी.एस.टी.आर.-1 वस्तुओं या सेवाओं की जावक आपूर्तियों का मासिक विवरणी को दर्शाता है। ये ब्यौरा करदाता द्वारा दाखिल प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-9 में वार्षिक विवरणी के प्रासंगिक कॉलम में भी उल्लिखित हैं। इसके अलावा, जी.एस.टी.आर.-3बी में कर योग्य मूल्य और उस पर भुगतान किया गया कर भी दिखाया जाता है।

चुकाई न गई कर देयता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 से प्रासंगिक आँकड़ा निकाला गया और इन विवरणियों में देय कर की तुलना जी.एस.टी.आर.-9 में घोषित भुगतान किए गए कर से की गई। जहाँ जी.एस.टी.आर.-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच देय कर की तुलना का सहारा लिया गया। इस उद्देश्य के लिए जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया था।

एल्गोरिथम के लिए, जी.एस.टी.आर.-1 की तालिकाएं 4 से 11 और जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 4एन., 10 और 11 पर विचार किया गया। कर के कम भुगतान की पहचान करने के लिए जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 के बीच वृहत कर देयता की तुलना जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 9 और 14 में घोषित कर भुगतान से की गई। जी.एस.टी.आर.-3बी के मामले में, तालिकाएं 3.1(ए)¹³³ और 3.1(बी)¹³⁴ को ध्यान में रखा गया। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि धनबाद नागरीय सी.टी.सी. के अन्तर्गत, करदाता मैसर्स न्यू हिंदुस्तान सेंटर (20XXXXXXXXXXZG) के मामले में,

¹³³ जावक कर योग्य आपूर्तियाँ (शून्य दर, नगण्य दर और छूट प्राप्त के अलावा अन्य)।

¹³⁴ जावक कर योग्य आपूर्तियाँ (शून्य दर)।

जी.एस.टी.आर.-1 की तालिका 4 से 11 में देय कर ₹ 8.45 करोड़ था और जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 3.1(ए) और 3.1 (बी) में घोषित किया गया देय कर ₹0.01 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच ₹8.44 करोड़ की कर देयता का बेमेल हुआ।

इसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)। प्रत्युत्तर में, विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि प्रपत्र डी.आर.सी.-01 में आपत्तिगत राशि के लिए एस.सी.एन. निर्गत किया गया है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

(x) ब्याज का कम भुगतान

अधिनियम की धारा 50 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी दायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान नहीं किया जाता है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

2017-18 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान जी.एस.टी.आर.-3बी में भुगतान किए गए कर विवरण और जी.एस.टी.आर.-3बी दाखिल करने की तिथि का उपयोग करके की गई थी। देय ब्याज की गणना के लिए केवल शुद्ध कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया है।

करदाता के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि राँची पश्चिमी सी.टी.सी. के अन्तर्गत मैसर्स ओरियन सिक्योरिटीज लिमिटेड (20XXXXXXXXXXZY) अगस्त 2017 से मार्च 2018, के से संबंधित विवरणियों (जी.एस.टी.आर.-3बी) को विलंब से दाखिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹0.37 करोड़ की ब्याज राशि का कम भुगतान हुआ।

इसकी सूचना विभाग को दी गई (अप्रैल 2022)। प्रत्युत्तर में, विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि आपत्तिगत राशि के लिए एस.सी.एन. निर्गत कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

2.3.7.4 प्रेरक कारकों का विश्लेषण

445 मामलों में, विचलनों/विसंगतियों पर विभाग की प्रत्युत्तर को ध्यान में रखते हुए, आँकड़ा विचलनों/विसंगतियों के कारण होने वाले कारकों पर नीचे चर्चा की गई है:

• जी.एस.टी. कानून और नियमों से विचलन

उपरोक्त तालिका 2.12 में संक्षेपित 445 विचलनों में से, विभाग ने ₹ 7,272.59 करोड़ के प्रभाव से 255¹³⁵ मामलों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया या जाँच शुरू

¹³⁵ वसूली: 18 (₹ 3.97 करोड़), एस.सी.एन: 94 (₹ 590.26 करोड़), ए.एस.एम.टी-10: 137 (₹ 6,655.93 करोड़), करदाता के साथ पत्राचार के अन्तर्गत: 6 (₹ 22.43 करोड़)।

की, जो 46 मामलों में ₹ 7,056.79 करोड़ के आवर्त के बेमेल और 209 मामलों में ₹ 215.80 करोड़ की कर देयता/आई.टी.सी. के बेमेल को दर्शाता है। इन मामलों में से, विभाग ने 18 मामलों में ₹ 3.97 करोड़ की वसूली की है, 94 मामलों में ₹ 590.26 करोड़ (आवर्त के बेमेल सहित) के लिए एस.सी.एन निर्गत किया है, 137 मामलों में ₹ 6,655.93 करोड़ के लिए प्रपत्र ए.एस.एम.टी-10 में करदाता को विसंगतियों के बारे में सूचना निर्गत किया है, जो कि 31 मामलों में ₹ 6,503.36 करोड़ के आवर्त और 106 मामलों में ₹ 152.57 करोड़ की कर देयता/आई.टी.सी. के बेमेल से संबंधित है, और छः मामलों में ₹ 22.43 करोड़ से संबंधित करदाताओं के साथ पत्राचार किया गया था।

स्वीकार किए गए मुख्य पाँच मामलों का विवरण नीचे तालिका 2.14 में दिया गया है:

तालिका 2.14: विभाग द्वारा स्वीकार किए गए मुख्य पाँच मामले या शुरु की गई कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम	सी.टी.सी. का नाम	आयाम	राशि	कृत कार्रवाई
1.	20XXXXXXXXXXZ2	पुरबा इंटरप्राइजेज	धनबाद नागरीय	चुकाई न गई देयता	8.09	एस.सी.एन.
2.	20XXXXXXXXXXZR	एच.एस. इंटरप्राइजेज	जमशेदपुर	चुकाई न गई देयता	0.55	डी.आर.सी.-07
3.	20XXXXXXXXXXZ9	एन.एन.बी. इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड.	आदित्यपुर	जी.एस.टी.आर.-2ए और 3बी के बीच आई.टी.सी. का बेमेल	0.43	ए.एस.एम.टी.-10
4.	20XXXXXXXXXXZ3	आयशा ट्रेडर्स	जमशेदपुर	जी.एस.टी.आर.-9सी के 9आर के अधीन असमाशोधन कर भुगतान	0.48	डी.आर.सी.-07
5.	20XXXXXXXXXXZK	आयशा स्टील हाउस	हजारीबाग	जी.एस.टी.आर.-9सी के 9आर के अधीन असमाशोधन कर भुगतान	0.22	वसूली

- i. धनबाद नागरीय सी.टी.सी. के अन्तर्गत, एक करदाता, मैसर्स पुरबा इंटरप्राइजेज (20XXXXXXXXXXZ2) के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2023), कि जी.एस.टी.आर-1 की तालिका 4 से 11 में देय कर ₹31.02 करोड़ था, हालांकि, जी.एस.टी.आर-3बी में चुकाया गया कर मात्र ₹22.93 करोड़ था। ₹8.09 करोड़ की कर देयता में बेमेल के बारे में विभाग को सूचित किया गया। प्रत्युत्तर में, विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि आपत्तिगत राशि के लिए एस.सी.एन निर्गत कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।
- ii. जमशेदपुर सी.टी.सी. के अंतर्गत, करदाता, मैसर्स एच.एस. इंटरप्राइजेज (20XXXXXXXXXXZR) के संबंध में जी.एस.टी.आर-1 और जी.एस.टी.आर-3बी के बीच तुलना से उत्पन्न होने वाली ₹0.55 करोड़ की चुकाई न गई देयता पर लेखापरीक्षा पृच्छा निर्गत की गई। इसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)। प्रत्युत्तर में, विभाग ने डी.आर.सी.-07(सितंबर 2022) के माध्यम से ₹0.55 करोड़ की अतिरिक्त मांग उठाई।
- iii. आदित्यपुर सी.टी.सी. के अन्तर्गत, एक करदाता, मैसर्स एन.एन.बी. इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड (20XXXXXXXXXXZ9) का जी.एस.टी.आर.-3बी और जी.एस.

टी.आर.-2ए के बीच ₹ 0.43 करोड़ की आई.टी.सी बेमेल की जाँच की पहचान की गई। इसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)। प्रत्युत्तर में, विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

- iv. जमशेदपुर सी.टी.सी. के अन्तर्गत, मैसर्स आयशा ट्रेडर्स (20XXXXXXXXXXZ3) के मामले में जी.एस.टी.आर.-9 और एफ.एस. के बीच कर भुगतान के बेमेल पर ₹ 0.48 करोड़ की लेखापरीक्षा पृच्छा निर्गत की गई। इसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)। प्रत्युत्तर में, विभाग ने डी.आर.सी.-07 (सितंबर 2022) के माध्यम से ₹ 0.89 करोड़ की अतिरिक्त मांग उठाई।
- v. हज़ारीबाग सी.टी.सी. के अन्तर्गत, मैसर्स आयशा स्टील हाउस (20XXXXXXXXXXZK) के मामले में जी.एस.टी.आर.-9 और एफ.एस. के बीच कर भुगतान के बेमेल पर ₹ 0.22 करोड़ की लेखापरीक्षा पृच्छा निर्गत की गई। इसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)। प्रत्युत्तर में, विभाग ने ₹ 0.22 करोड़ (जुलाई 2022) की आपत्तिगत राशि वसूल की।

• ऐसे मामले जहाँ विभाग का जवाब लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है

अनुपालन नहीं किए गए 161 मामलों में शामिल ₹ 959.10 करोड़, जो 24 मामलों में ₹ 632.58 करोड़ का बेमेल आवर्त और 137 मामलों में ₹ 326.52 करोड़ की कर देयता/आई.टी.सी. बेमेल को दर्शाता है, ₹ 7.79 करोड़ की राशि के 14 मामलों में विभाग का जवाब स्वीकार नहीं किया गया। मुख्य पाँच मामलों का विवरण नीचे तालिका 2.15 में दिया गया है:

तालिका 2.15: मुख्य पाँच मामले, जहाँ विभाग के प्रत्युत्तर का खंडन किया गया था (उन मामलों सहित जहाँ विभाग का जवाब उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जी.एस.टी.आई.एन.	करदाता का नाम	आयाम	सी.टी.सी. का नाम	बेमेल राशि
1.	20XXXXXXXXXXZJ	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट	जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5आर में असमाशोधित आवर्त	बोकारो	206.37
2.	20XXXXXXXXXXZ9	दयाल स्टील्स लिमिटेड	जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5आर में असमाशोधित आवर्त	रामगढ़	89.41
3.	20XXXXXXXXXXZD	एक्सिल कोर बिजनेस प्रा. लिमिटेड	जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 7जी में असमाशोधित योग्य कर आवर्त	राँची विशेष	13.30
4.	20XXXXXXXXXXZ7	कश्मीर वस्त्रालय कलेक्शंस	चुकाई न गई कर देयता	राँची पूर्वी	9.90
5.	20XXXXXXXXXXZS	मेटल्सा इंडिया प्रा. लिमिटेड	जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 14टी में असमाशोधित आई.टी.सी	चाईबासा	8.28

उपरोक्त तालिका में शामिल उदाहरणात्मक मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

- i. बोकारो सी.टी.सी. के अन्तर्गत, मैसर्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (20XXXXXXXXXXZJ) के संबंध में, जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5 आर. में घोषित ₹ 206.37 करोड़ का असमाशोधित आवर्त पाया गया था, जिसे विभाग को सूचित किया गया (मार्च 2022)।

विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि लेखापरीक्षा अवलोकन तर्कसंगत नहीं था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 206.37 करोड़ के असमाशोधित आवर्त का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा, उपरोक्त आवर्त के समाशोधन के लिए समर्थित साक्ष्य, यदि कोई हो, मांगे जाने (फरवरी 2023) के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया (दिसंबर 2023)।

- ii. रामगढ़ सी.टी.सी. के अंतर्गत, मैसर्स दयाल स्टील्स लिमिटेड(20XXXXXXXXXXZ9) के संबंध में जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5आर. में घोषित ₹ 89.41 करोड़ का असमाशोधित आवर्त पाया गया था, जिसे विभाग को सूचित किया गया (मार्च 2022)।

विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि करदाता ने जवाब दिया कि मूल कंपनी के पास एक ही पैन पर दो अन्य कंपनियां पंजीकृत हैं। जी.एस.टी.आर.-9सी में उल्लिखित आवर्त में तीनों कंपनियों का आवर्त शामिल है। करदाता के कथनों का सत्यापन किया गया और सही पाए जाने पर कार्यवाही बंद कर दी गई। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जी.एस.टी.आर.-9 में कम घोषित आवर्त के समाशोधन के लिए विभाग के प्रत्युत्तर को सभी तीनों कंपनियों के जी.एस.टी.आर.-9 के साथ जोड़कर नहीं देखा गया था।

- iii. राँची विशेष सी.टी.सी. के अन्तर्गत, मैसर्स एक्सिल कोर बिजनेस प्रा. लिमिटेड (20XXXXXXXXXXZD) के संबंध में जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 7जी में घोषित ₹ 13.30 करोड़ का असमाशोधित कर योग्य आवर्त पाया गया, जिसे विभाग को सूचित किया गया (मार्च 2022)।

विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि अंतर राशि भुगतान किए गए करों यानि मूल्यवर्धित कर (वैट) और केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) से संबंधित है जो कर योग्य मूल्य में शामिल नहीं हैं। इसलिए, कार्यवाही रद्द कर दी गई। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग का प्रत्युत्तर पुष्टिकारक साक्ष्यों से समर्थित नहीं था।

- iv. राँची पूर्वी सी.टी.सी. के अन्तर्गत करदाता, मैसर्स कश्मीर वस्त्रालय कलेक्शंस (20XXXXXXXXXXZ7) के मामले में, जी.एस.टी.आर.-3बी और जी.एस.टी. आर.-1 के बीच ₹ 9.90 करोड़ की कर देयता का बेमेल पाया गया और विभाग को सूचित किया गया (मार्च 2022)।

विभाग ने, जवाब में, कहा कि सत्यापन में यह पाया गया कि अक्टूबर 2017 माह के लिए विवरणी दाखिल करते समय तकनीकी गड़बड़ी के कारण आउटपुट कर का भुगतान नहीं किया गया था। हालाँकि, इसका भुगतान उचित समय पर

किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग का प्रत्युत्तर पुष्टिकारक साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं था, जैसे कि, नियत समय में कर के भुगतान का विवरणी, जी.एस.टी.एन. के साथ की गई कोई शिकायत और कर के विलंबित भुगतान के लिए लिए लगाए गए/भुगतान किए गए ब्याज की विवरणी।

- v. चाईबासा सी.टी.सी. के अन्तर्गत, एक करदाता मैसर्स मेटल्सा इंडिया प्रा. लिमिटेड (20XXXXXXXXXXZS) के संबंध में जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 14टी में घोषित ₹ 8.28 करोड़ का असमाशोधित आई.टी.सी. पाया गया, जिसे विभाग को सूचित किया गया (मार्च 2022)।

विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि अंतर राशि करदाता द्वारा प्राप्त ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित है। इसलिए, कार्यवाही रद्द कर दी गई। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्युत्तर के समर्थन में पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये।

• करदाताओं द्वारा आँकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ

11 मामलों में आँकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ कुल प्राप्त प्रत्युत्तरों का 2.47 प्रतिशत थीं, और 29 मामलों में 38 प्रतिशत थीं, जहाँ विभाग की प्रत्युत्तरों को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इन आँकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था। अधिकांश आँकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ आर.सी.एम. और भुगतान किए गए कर (जी.एस.टी.आर.-9सी में प्रदान की गई) से संबंधित हैं। एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

कतरास सी.टी.सी. के अन्तर्गत, करदाता मैसर्स खेमका एंटरप्राइजेज (20XXXXXXXXXXZ5) के जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 विवरणी के बीच कर देयता बेमेल के रूप में ₹ 0.85 करोड़ की राशि के विचलन की पहचान की गई और विभाग को सूचित किया गया। विभाग का जवाब (फरवरी 2023) प्राप्त होने पर, यह देखा गया कि विचलन मुद्रण संबंधी त्रुटि के कारण हुआ था। जी.एस.टी.आर.-9 के अनुसार वास्तविक कर देय राशि ₹ 94.69 लाख (सी.जी.एस.टी.) थी, लेकिन जी.एस.टी.आर.-9 कॉलम 9बी में, लिपिकीय भूल के कारण इसे ₹ 9.46 लाख (सी.जी.एस.टी.) दिखाया गया है (जबकि देय एस.जी.एस.टी. राशि ₹ 94.69 लाख सही दर्शाई गई है)। प्रणाली ने ऐसी आँकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों की अनुमति दी, जिन्हें उचित सत्यापन नियंत्रण से टाला जा सकता था।

• लेखापरीक्षा पृच्छा निर्गत करने से पहले की गई कार्रवाई

जैसा कि उपरोक्त तालिका 2.12 में संक्षेपित किया गया है, विभाग ने पहले ही दो मामलों में कार्रवाई की थी, जो प्राप्त 445 प्रत्युत्तरों में से एक प्रतिशत से भी कम था। सी.टी.सी. जिसने सक्रिय रूप से विचलनों/विसंगतियों को संबोधित किया था तालिका 2.16 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.16: पृच्छा से पहले की कृत कार्रवाई- सी.टी.सी. वार

सी.टी.सी. का नाम	पृच्छा से पहले की कृत कार्रवाई	प्रत्युत्तर प्राप्त हुए	प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुए	कुल मामलों का प्रतिशतता
राँची पूर्वी	02	17	0	12

अनुशंसा सं. 6: विभाग आँकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों पर अंकुश लगाने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा के लिए जी.एस.टी. विवरणियों में सत्यापन नियंत्रण/सॉफ्ट अलर्ट शुरू करने के लिए जी.एस.टी. परिषद को प्रस्ताव दे सकता है।

2.3.8 जी.एस.टी. विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर होता है। विभाग की भूमिका एक कुशल कर प्रशासन तंत्र की स्थापना और रखरखाव करने के लिए अनुश्रवण प्रदान करना है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून का अनुपालन और राजस्व का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए, एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक आई.टी. संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर शासन की गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाह्य लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने आँकड़ा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, अखिल भारतीय आँकड़ा विश्लेषण के माध्यम से जी.एस.टी. विवरणियों में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा, इस समीक्षा के एक भाग के रूप में जी.एस.टी. विवरणियों का एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी किया गया था। समीक्षा के इस भाग के लिए जोखिम-आधारित 55 करदाताओं का नमूना चुना गया था। अपनाई गई पद्धति शुरू में संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलनों और चेतावनी के संकेतों की पहचान करने के लिए करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जी.एस.टी. विवरणियों और जी.एस.टी.आर.-9सी के हिस्से के रूप में एफ.एस. और बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की डेस्क समीक्षा करना था। सी.ए.जी. के क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में डेस्क समीक्षा की गई। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर, पहचाने गए जोखिमों के कारण की पहचान करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए करदाताओं के सूक्ष्म अभिलेखों जैसे वित्तीय बहीखाता, चालान आदि की मांग करके सी.टी.डी. क्षेत्रीय संरचनाओं में विस्तृत लेखापरीक्षा किया गया था।

जैसा कि पिछले कंडिकाओं में बताया गया है, विस्तृत लेखापरीक्षा में जोखिमों और चेतावनी के संकेतों की पहचान करने के लिए जी.एस.टी. विवरणियों और अन्य बुनियादी अभिलेख की एक डेस्क समीक्षा शामिल थी, जिसके बाद करदाताओं द्वारा अपालन की सीमा और सी.बी.आई.सी. क्षेत्र संरचना द्वारा की गई कार्रवाई की पहचान करने के लिए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा किया गया था। विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा अपालन

अंततः दाखिल विवरणियों की सत्यता, आई.टी.सी. के उपयोग और चुकाए गए कर भुगतान को प्रभावित करता है। इसलिए लेखापरीक्षा परिणाम को (ए) विवरणियों (बी) आई.टी.सी. का उपयोग और (सी) चुकाई गई कर देयता के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

2.3.8.1 कार्यक्षेत्र का परिसीमन (अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतिकरण)

बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के अभिलेखों की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जाँच के लिए अतिरिक्त आई.टी.सी. और कर देयता बेमेल से संबंधित जोखिमों की पहचान की। आई.टी.सी. आयाम पर, जी.एस.टी.आर.-3बी की जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-9 के साथ तुलना करके और जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं से विसंगतियों की पहचान की गई। कर देयता आयाम पर, जी.एस.टी.आर.-3बी की जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5, तालिका 7 और तालिका 9 में घोषणाओं की तुलना करके विसंगतियों की पहचान की गई। हालाँकि, सभी 55 मामलों में, विभाग ने आई.टी.सी. और कर देयता के बेमेल के कारण कारकों की जाँच के लिए आवश्यक अनुपूरक वित्तीय बहीखाता, चालान, एकरारनामों की प्रतियां आदि जैसे संबंधित सूक्ष्म अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया। लेखापरीक्षा ने संबंधित श्रेणियों के माध्यम से करदाताओं के इन सूक्ष्म अभिलेख की मांग की। क्षेत्राधिकार-वार अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतिकरण तालिका 2.17 में संक्षेपित है।

तालिका 2.17: अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतिकरण

(₹ करोड़ में)

सी.टी.सी. का नाम	नमूना	आई.टी.सी./कर देयता का बेमेल होना	
	करदाताओं की संख्या	करदाताओं की संख्या	विचलन की राशि
आदित्यपुर	01	01	0.97
बोकारो	01	01	1.14
धनबाद	02	02	3.99
धनबाद नागरीय	01	01	0.65
दुमका	02	02	3.17
हजारीबाग	02	02	1.00
जमशेदपुर	02	02	0.48
जमशेदपुर नागरीय	03	03	16.60
कतरास	01	01	0.52
पलामू	02	02	3.12
रामगढ़	02	02	2.26
राँची पूर्वी	01	01	0.72
राँची दक्षिणी	07	07	25.19
राँची विशेष	02	02	2.63
राँची पश्चिमी	25	25	294.16
सिंहभूम	01	01	0.01
कुल	55	55	356.61

सभी मामलों में सूक्ष्म अभिलेख आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे; परिणामस्वरूप आई.टी.सी. के बेमेल/अतिरिक्त/अनियमित लाभ और चुकाई न गई देयता की ₹ 356.61 करोड़ से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जाँच नहीं की जा सकी।

2.3.8.2 विवरणियां

55 करदाताओं के एक नमूने द्वारा दाखिल विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा से पता चला कि करदाताओं द्वारा ब्याज नहीं चुकाया गया था और विवरणियों को दाखिल न करने के मामले बड़ी संख्या में मौजूद थे, जो नीचे दिए गए हैं:

- **करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना**

लेखापरीक्षा ने 29 मामलों में देखा (जुलाई 2022 से अक्टूबर 2022 के बीच) कि जो लेखापरीक्षा किए गए 55 मामलों में से 52.72 प्रतिशत मामले यह थे कि करदाताओं ने या तो अपना विवरणियों को विलंब से दाखिल किया था या भूलवश अतिरिक्त आई.टी.सी. क्रेडिट का उपयोग किया था, जिसे रिवर्सल कर दिया गया था, लेकिन, विलंब से दाखिल विवरणियों को या अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्सल पर ब्याज भुगतान की राशि ₹ 0.74 करोड़ नहीं चुकाया गया।

मामला सरकार/विभाग को सूचित किया गया (नवंबर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि छः मामलों में ₹15.10 लाख की राशि वसूल की गई है और 18 मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10/डी.आर.सी.-01ए./डी.आर.सी.-01 में सूचना निर्गत किया गया है। शेष पाँच मामलों में जवाब प्रस्तुत नहीं किये गये। आयुक्त, सी.टी.डी. से शेष मामलों में विभाग की प्रत्युत्तर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है (फरवरी 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

राँची दक्षिणी सी.टी.सी. के एक करदाता, मैसर्स ए.के.एस. वेंचर्स प्रा. लिमिटेड (20XXXXXXXXXXZC) ने सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर 2017 से मार्च 2018 तक के विवरणी क्रमशः मई, जून और अगस्त 2018 में विलंब से दाखिल किए थे, और इन विवरणी में रोकड़ खाता को डेबिट करके बकाया कर का भुगतान किया था। हालाँकि, ब्याज राशि ₹ 23.03 लाख का भुगतान नहीं किया गया था।

जब यह बताया गया (अगस्त 2022), तो विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि प्रपत्र डी.आर.सी.-01ए में सूचना निर्गत कर दिया गया है और करदाता से जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

• जी.एस.टी. विवरणियों को दाखिल न करना

लेखापरीक्षा ने पलामू सी.टी.सी. के एक मामले (जी.एस.टी.आई.एन.-20XXXXXXXXXXZV) में देखा (सितंबर 2022) कि करदाता ने जुलाई और अगस्त 2017 के महीनों के लिए अब तक (अक्टूबर 2022) प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-3बी में मासिक विवरणी दाखिल नहीं किया था, हालांकि वह जुलाई 2017 से पंजीकृत था। यह देखा गया कि समुचित अधिकारी ने प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-3ए में करदाता को 15 दिनों के भीतर इस प्रकार की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए सूचना निर्गत नहीं किया।

जब बताया गया (सितंबर 2022), तो विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि जाँच के बाद विवरणी में विसंगतियों की सूचना देने के लिए प्रपत्र एएस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

• जी.एस.टी. विवरणियों को दाखिल करने में विलंब/दाखिल न करने पर विलंब शुल्क और जुर्माने का भुगतान न करना

लेखापरीक्षा ने देखा कि 13 मामलों में, जो लेखापरीक्षा किए गए 55 मामलों के 24 प्रतिशत थे, करदाताओं ने या तो जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-9सी दाखिल नहीं किया था या विलंब से जी.एस.टी.आर.-9 दाखिल किया था, लेकिन विलंब शुल्क और जुर्माना राशि ₹ 11.98 लाख का भुगतान उनके द्वारा नहीं किया गया था।

मामला सरकार/विभाग को सूचित किया गया (नवंबर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि 11 मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। शेष दो मामलों में जवाब प्रस्तुत नहीं किये गये। आयुक्त, सी.टी.डी. से शेष मामलों में विभाग की प्रत्युत्तर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है (फरवरी 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

2.3.8.3 आई.टी.सी. का उपयोग

आई.टी.सी. का अर्थ है किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया जी.एस.टी., जिसका उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में किया जाता है। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, इनपुट आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग जावक आपूर्ति पर करों के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 16 आई.टी.सी. का लाभ उठाने के लिए पात्रता और शर्तें निर्धारित करती है। सी.जी.एस.टी. के क्रेडिट का उपयोग जे.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है और जे.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी. के क्रेडिट का उपयोग सी.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए नहीं किया

जा सकता है। जे.जी.एस.टी. नियमों के नियम 36 से 45 आई.टी.सी. का लाभ उठाने और उसे रिवर्सल करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

आई.टी.सी. के उपयोग से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम और देखी गई विसंगतियों पर नीचे चर्चा की गई है:

• **आई.टी.सी. में बेमेल**

लेखापरीक्षा ने चयनित करदाताओं के संबंध में जी.एस.टी.आर.-2ए के डेटासेट का विश्लेषण करदाताओं द्वारा दाखिल जी.एस.टी.आर.-3बी, जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-9सी के डेटासेट्स के साथ किया और विवरणियों के बीच आई.टी.सी. के बेमेल को देखा। लेखापरीक्षा विसंगतियों की विस्तार से जाँच नहीं कर सका क्योंकि विभाग द्वारा प्रासंगिक सूक्ष्म अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। हालाँकि, कुछ मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित बेमेलों के प्रतिकूल जवाब दिया था। लेखापरीक्षा द्वारा आई.टी.सी. में देखे गए बेमेलों का विवरण तालिका 2.18 में दिया गया है:

तालिका 2.18: करदाताओं द्वारा दावा किए गए आई.टी.सी. में बेमेल

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मानक	मामलों की संख्या	अंचलों की संख्या	बेमेल की राशि	अभ्युक्ति
1.	जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9 के बीच आई.टी.सी. बेमेल: जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. की तुलना जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9 विवरणी के अधीन प्राप्त लाभ आई.टी.सी. से की गई।	50	16	109.46	इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि 43 मामलों में प्रपत्र एएस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। तीन मामले तर्कसंगत नहीं पाए गए। शेष चार मामलों में जवाब प्रस्तुत नहीं किये गये। आयुक्त, सी.टी.डी. से अनुरोध किया गया (फरवरी 2023) कि वे उन मामलों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराएं जो तर्कसंगत नहीं पाए गए और शेष मामलों में प्रत्युत्तर उपलब्ध कराई जाए। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।
2.	जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 12एफ के अनुसार असमाशोधन आई.टी.सी.: जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका-12एफ लेखा पुस्तकों (तालिका-12डी) से गणना की गई कुल आई.टी.सी. और जी.एस.टी.आर.-9 में घोषित आई.टी.सी. के बीच अंतर को दर्शाती है।	7	5	24.60	इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि चार मामलों में प्रपत्र एएस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। शेष तीन मामलों में जवाब प्रस्तुत नहीं किये गये। शेष मामलों में प्रत्युत्तर उपलब्ध कराने के लिए आयुक्त, सी.टी.डी. से अनुरोध किया गया है (फरवरी 2023)। आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा थी (मार्च 2024)।
3.	जी.एस.टी.आर.-9सी (तालिका 14 टी) में आई.टी.सी. से संबंधित विसंगतियां देखी गईं: जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 14, ए.आर. (जी.एस.टी.आर.-9) में घोषित आई.टी.सी. को लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक एफ.एस. या खातों की किताबों के अनुसार खर्चों पर प्राप्त	23	8	708.10	इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि 16 मामलों में प्रपत्र एएस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। तीन मामले तर्कसंगत नहीं पाए गए। शेष चार मामलों में जवाब प्रस्तुत नहीं किये गये। आयुक्त, सी.टी.डी. से अनुरोध किया गया (फरवरी 2023) कि वे उन मामलों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराएं जो तर्कसंगत नहीं

क्र. सं.	मानक	मामलों की संख्या	अंचलों की संख्या	बेमेल की राशि	अभ्युक्ति
	आई.टी.सी. के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 14टी असमाशोधित आई.टी.सी. से संबंधित है।				पाए गए और शेष मामलों में प्रत्युत्तर उपलब्ध कराई जाए। आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा थी (मार्च 2024)।
4.	आई.टी.सी. का रिवर्सल जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 17(2) के साथ पठित जे.जी.एस.टी. नियमों के नियम 42 और 43 आनुपातिक रूप से आई.टी.सी. को सीमित करने का प्रावधान करती है, जहाँ वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से जीरो-रेटेंड आपूर्तियों सहित कर योग्य आपूर्तियों को प्रभावित करने के लिए और आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्तियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।	17	7	52.20	इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि एक मामले में ₹ 0.27 लाख की राशि वसूल की गई है, 12 मामलों में प्रपत्र एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। दो मामले तर्कसंगत नहीं पाए गए। दो मामलों में जवाब नहीं दिया गया। आयुक्त, सी.टी.डी. से अनुरोध किया गया (फरवरी 2023) कि वे उन मामलों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराएं जो तर्कसंगत नहीं पाए गए और शेष मामलों में प्रत्युत्तर उपलब्ध कराई जाए। आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा थी (मार्च 2024)।
5.	आई.एस.डी. क्रेडिट के अधीन आई.टी.सी. का लाभ उठाने में बेमेल: जे.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 20(2) के अनुसार, आई.एस.डी. वितरण के लिए उपलब्ध क्रेडिट को उसी महीने वितरित कर सकता है जिसमें इसका लाभ उठाया गया है। जी.एस.टी.आर.-3बी. की तालिका 4ए (4) जिसमें प्राप्त आई.एस.डी. क्रेडिट का विवरण शामिल है, जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 6जी के साथ मेल खाएगी।	1	1	0.71	राँची पश्चिमी सी.टी.सी. में पंजीकृत एक करदाता (20XXXXXXXXXXZI) ने आई.एस.डी. के अधीन ₹ 39.36 लाख का आई.टी.सी. का लाभ प्राप्त किया था। हालाँकि, उसी सी.टी.सी. में पंजीकृत वितरक के जी.एस.टी.आर.-6 (जी.एस.टी.आई.एन. 20XXXXXXXXXXZH) के अनुसार, केवल ₹ 0.60 लाख का क्रेडिट वितरित किया गया था। परिणामस्वरूप, करदाता ने ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 70.55 लाख की अतिरिक्त आई.टी.सी. का लाभ उठाया था। इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि प्रपत्र एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी (मार्च 2024)।
6.	आर.सी.एम. के अधीन प्राप्त लाभ आई.टी.सी. में बेमेल: जी.एस.टी.आर.-3बी. की तालिका 4ए(3) का आँकड़ा, जिसमें रिवर्स प्रभार के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति का विवरण शामिल है, की तुलना जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ के अनुसार प्राप्त लाभ आर.सी.एम. आई.टी.सी. से की गई थी।	2	1	0.21	इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि दोनों मामलों में प्रपत्र एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा थी (मार्च 2024)।
7.	180 दिनों के भीतर प्रतिफल के भुगतान पर आई.टी.सी. का रिवर्सल न होना और एफ.एस. के अनुसार खरीद विवरणी: जे.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 16(2)(डी) के नीचे दिए गए प्रावधान के अनुसार, यदि कोई प्राप्तकर्ता चालान निर्गत करने की तारीख के एक सौ	36	14	--	लेखापरीक्षा ने देखा कि इन करदाताओं ने विविध लेनदारों को ₹ 16,428.28 करोड़ का भुगतान नहीं किया था। चूंकि, संबंधित चालान-वार विवरण उपलब्ध नहीं थे, छः महीने से अधिक भुगतान न करने के मामलों के संबंध में आई.टी.सी. को रिवर्सल के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की मांग की गई (सितंबर 2022)। इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2022); बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान आयुक्त, सी.टी.डी. ने कहा

क्र. सं.	मानक	मामलों की संख्या	अंचलों की संख्या	बेमेल की राशि	अभ्युक्ति
	अस्सी दिनों के भीतर माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्राप्त आई.टी.सी. लाभ की राशि ब्याज सहित उसकी आउटपुट कर देयता में वापस जोड़ दिया जाएगा।				(फरवरी 2023) कि 24 मामलों में प्रपत्र एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। दो मामले तर्कसंगत नहीं पाए गए। शेष दस मामलों में जवाब नहीं दिया गया। आयुक्त, सी.टी.डी. से अनुरोध किया गया (फरवरी 2023) कि वे उन मामलों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराएं जो तर्कसंगत नहीं पाए गए और शेष मामलों में प्रत्युत्तर उपलब्ध कराई जाए। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।
	कुल	136		895.28	

2.3.8.4 चुकाई गई कर देयता

जी.एस.टी. के मामले में कर योग्य घटना वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है। जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9, धारा 15 के अधीन निर्धारित मूल्य पर, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी राज्यान्तर्गत आपूर्तियों पर केन्द्रीय/जे.जी.एस.टी. कर लगाने और संग्रह को अधिकृत करने वाली प्रभारित धारा है, अधिनियम वही है और ऐसी दरों पर प्रत्येक अधिनियम, यानि सी.जी.एस.टी. अधिनियम और जे.जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है। आई.जी.एस.टी. की धारा 5 वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्तियों पर आई.जी.एस.टी. लगाने और संग्रह करने का अधिकार केन्द्र सरकार को 40 प्रतिशत की अधिकतम दर के साथ देती है।

अधिनियम, 2017 की धारा 8 जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) के अधीन, ऐसे सामान या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्यीय और राज्यान्तर्गत आपूर्ति पर उपकर लगाया जाता है जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे कि तंबाकू उत्पाद, वातित पेय, सिगरेट, वाहन आदि। जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9(4) और आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(3) और 5(4) कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर रिवर्स प्रभार लगाने का प्रावधान करती है, जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए जवाब दायी हो जाता है।

चुकाई गई कर देयताओं से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों और देखी गई विसंगतियों पर नीचे चर्चा की गई है।

• कर देयता में बेमेल

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के लिए करदाताओं द्वारा दाखिल जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-3बी और जी.एस.टी.आर.-9 विवरणियों की जाँच की और विवरणियों में प्रस्तुत कर देयता की तुलना करके चुकाई गई कर देयता में बेमेल देखी। लेखापरीक्षा इन बेमेलताओं की विस्तार से जाँच नहीं कर सका क्योंकि विभाग द्वारा संबंधित सूक्ष्म अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। बेमेल का विवरण तालिका 2.19 में दिया गया है।

तालिका 2.19: चुकाई गई कर देयता से संबंधित बेमेल

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	मानक	मामलों की संख्या	अंचलों की संख्या	बेमेल की राशि	अभ्युक्ति
1.	जी.एस.टी.आर.-1, जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-3बी के बीच कर देयता बेमेल: दो विवरणियों यानि जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 में दी गई उच्च राशि के आधार पर कर देयता की तुलना जी.एस.टी.आर.-3बी में कर के वास्तविक भुगतान से की गई थी।	36	12	289.34	इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि 27 मामलों में प्रपत्र एएस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। तीन मामले तर्कसंगत नहीं पाए गए। शेष छः मामलों में जवाब नहीं दिया गया। आयुक्त, सी.टी.डी. से अनुरोध किया गया (फरवरी 2023) कि वे उन मामलों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराएं जो तर्कसंगत नहीं पाए गए और शेष मामलों में प्रत्युत्तर उपलब्ध कराई जाए। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।
2.	जी.एस.टी.आर.-9सी में घोषित आवर्त/कर योग्य आवर्त में बेमेल: जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 5आर और 7जी, ए.आर. जी.एस.टी.आर.-9 में घोषित सकल आवर्त/कर योग्य आवर्त और लेखापरीक्षित वार्षिक एफ.एस. के बीच समाशोधन को दर्शाता है।	5	3	190.90	इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि चार मामलों में प्रपत्र एएस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। एक मामला तर्कसंगत नहीं पाया गया। आयुक्त, सी.टी.डी. से अनुरोध किया गया (फरवरी 2023) कि वे उन मामलों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराएं जो तर्कसंगत नहीं पाए गए। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।
3.	जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 9आर में दर्ज खातों और विवरणी के बीच कर भुगतान में बेमेल।	18	10	33.18	इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि एक मामले में ₹ 0.35 लाख की राशि वसूल की गई है, 12 मामलों में प्रपत्र एएस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। शेष पाँच मामलों में जवाब नहीं दिया गया। शेष मामलों में प्रत्युत्तर उपलब्ध कराने के लिए आयुक्त, सी.टी.डी. से अनुरोध किया गया है (फरवरी 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।
4.	छूट का लाभ ले रहे हैं लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 11 में कहा गया है कि सार्वजनिक हित में और परिषद की सिफारिशों पर, किसी निर्दिष्ट विवरण की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को उन पर लगाए जाने वाले कर के पूरे या किसी हिस्से से छूट दी जा सकती है।	34	13	113.07	इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि, 30 मामलों में प्रपत्र एएस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। एक मामला तर्कसंगत नहीं पाया गया। शेष तीन मामलों में जवाब नहीं दिया गया। आयुक्त, सी.टी.डी. से अनुरोध किया गया (फरवरी 2023) कि वे उन मामलों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराएं जो तर्कसंगत नहीं पाए गए और शेष मामलों में प्रत्युत्तर उपलब्ध कराई जाए। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मानक	मामलों की संख्या	अंचलों की संख्या	बेमेल की राशि	अभ्युक्ति
5.	लाभ और हानि खातों और जी.एस.टी. विवरणियों के बीच आवर्त में बेमेल	40	7	--	इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि, 27 मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। दो मामले तर्कसंगत नहीं पाए गए। शेष 11 मामलों में जवाब नहीं दिया गया। आयुक्त, सी.टी.डी. से अनुरोध किया गया (फरवरी 2023) कि वे उन मामलों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराएं जो तर्कसंगत नहीं पाए गए और शेष मामलों में प्रत्युत्तर उपलब्ध कराई जाए। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।
6.	आर.सी.एम. के अधीन चुकाई न गई कर देयता: जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 4जी के अनुसार आर.सी.एम. कर देयता की तुलना आवक आपूर्ति के साथ की गई थी, जिस पर लाभ और हानि खातों में प्रकटित आर.सी.एम. के अधीन कर देय था।	8	4	11.71	इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि, सात मामलों में प्रपत्र ए.एस.एम.टी.-10 में सूचना निर्गत किया गया है। शेष एक मामले में जवाब नहीं दिया गया। आयुक्त, सी.टी.डी. से शेष मामले में प्रत्युत्तर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है (फरवरी 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।
कुल		141		638.20	

अनुशंसा सं. 7: विभाग इस प्रतिवेदन में सामने आए सभी अनुपालन विचलन/विसंगतियों के लिए समय सीमा समाप्त होने से पहले उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

2.3.9 अन्य निगरानी कार्य

सी.टी.सी. (विभाग के क्षेत्रीय गठन) की भूमिका विवरणियों को दाखिल करने, चुकाई गई कर देयता और अन्य अनुपालन दायित्वों के संबंध में करदाताओं के अनुपालन पर निगरानी प्रदान करना है। सी.टी.सी. के पास इस संबंध में किए जाने वाले कार्यों का एक व्यापक समूह है जैसे विलंब से दाखिल करने वाले और विवरणी नहीं दाखिल करने वालों पर कार्रवाई शुरू करना, विवरणियों की जाँच करना और मूल्यांकन करना और पंजीकरण रद्द करना।

इस प्रतिवेदन के पिछले अनुभागों में विवरणी दाखिल करने, विलंब से/ विवरणी नहीं दाखिल करने वालों पर कार्रवाई और जाँच से संबंधित निगरानी कार्यों पर चर्चा की गई है। यह अनुभाग पंजीकरण रद्द करने पर लेखापरीक्षा परिणामों पर प्रकाश डालता है।

2.3.9.1 पंजीकरण रद्द करना

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 29, के साथ पठित जे.जी.एस.टी. नियमों के नियम 20 करदाता द्वारा कुछ खास स्थितियों जैसे व्यवसाय बंद होना, पंजीकरण के लिए सीमा-रेखा से नीचे आवर्त का आना, व्यवसाय का स्थानांतरण/विलय/एकीकरण, पैन

में बदलाव, तय समय सीमा अवधि के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं करना, और मालिक की मृत्यु में पंजीकरण रद्द करने की अनुमति देती है। पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले करदाता को "रद्दीकरण की गारंटी देने वाली घटना के घटित होने" के 30 दिनों की अवधि के भीतर जी.एस.टी. सामान्य पोर्टल पर आर.ई.जी.-16 में आवेदन करना चाहिए। इसके अलावा, जे.जी.एस.टी. नियमों के नियम 22 में यह निर्धारित किया गया है कि, पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन जमा करने के बाद, समुचित अधिकारी आवेदन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आर.ई.जी.-19 में एक आदेश जारी करेगा।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 29(2) करदाता द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन के आधार पर कर अधिकारी द्वारा करदाता के पंजीकरण को स्वतः रद्द करने की अनुमति देती है, जो कंपोजीशन करदाता लगातार तीन कर अवधियों के लिए विवरणी दाखिल नहीं करते हैं, सामान्य करदाता लगातार छः महीनों तक विवरणी दाखिल नहीं करते हैं, पंजीकृत व्यक्ति पंजीकरण की तिथि से छः महीनों के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं कर रहे हैं, और धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण या तथ्यों को छिपाकर पंजीकरण प्राप्त कर रहे हैं।

जे.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 45 अपेक्षित करती है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के अलावे (क) आई.एस.डी. या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या (ख) कंपोजीशन करदाताओं (धारा 10) या (ग) धारा 51 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों-टी.सी.एस. या धारा 52 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों - टी.डी.एस., जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, को रद्द करने की प्रभावी तिथि या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी बाद में हो, तीन महीने के भीतर जी.एस.टी.आर.-10 में अंतिम विवरणी दाखिल करना होगा। अंतिम विवरणी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता बकाया देयता को चुका दे। जी.एस.टी.आर.-10 दाखिल न करने की स्थिति में, कर अधिकारी को वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो किसी भी विवरणी को दाखिल न करने के लिए अपनाई जाती है।

रद्दीकरण कार्य के मूल्यांकन के लिए लेखापरीक्षा ने 10 सी.टी.सी. का नमूना चुना। लेखापरीक्षा ने पंजीकरणों को रद्द करने में विभिन्न कमियों को देखा, जो नीचे दी गई हैं: चयनित 10 सी.टी.सी. में रद्द किए गए पंजीकरण और दाखिल जी.एस.टी.आर.-10 का विवरण तालिका 2.20 में उल्लिखित है:

तालिका 2.20: जी.एस.टी.आर.-10 को रद्द करने और दाखिल करने का विवरण

करदाता के आवेदन पर किए गए रद्दीकरण की संख्या	स्वतः संज्ञान से किए गए रद्दीकरण की संख्या	कुल रद्दीकरण किया गया	दाखिल किए गए जी.एस.टी.आर.-10 की संख्या	दाखिल नहीं किए गए, जी.एस.टी.आर.-10 की संख्या	रद्द करदाताओं का प्रतिशत जो जी.एस.टी.आर.-10 दाखिल नहीं किया
10,706	21,716	32,422	1,526	30,896	95.29

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, करदाताओं के अनुरोध पर रद्दीकरण के 10,706 मामलों और स्वतः संज्ञान रद्दीकरण के 21,716 मामलों में से, 10 सी.टी.सी. के अन्तर्गत आने वाले 5,176 मामलों में, रद्दीकरण में विलंब हुई थी और प्रपत्र आर.ई.जी.-19 में आदेश, सीमा से परे 31 से 991 दिनों तक की निर्धारित अवधि से अधिक विलंब हुई। आगे यह देखा गया कि पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन और रद्दीकरण आदेश निर्गत करने के बीच की अवधि के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों को किसी भी कर योग्य आपूर्ति करने से प्रतिबंधित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

इसके अलावा, उपरोक्त रद्द किए गए मामलों में से, लेखापरीक्षा ने 95.29 प्रतिशत (30,896) मामलों में देखा कि करदाताओं ने धारा 45 के प्रावधानों के उल्लंघन में पंजीकरण रद्द करने के 90 दिनों की समाप्ति के बाद भी प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-10 में अंतिम विवरणी दाखिल नहीं किया था। यह देखा गया कि समुचित अधिकारियों ने इन मामलों में प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-3ए में सूचना निर्गत नहीं किया था या इन करदाताओं से बकाया देयता, यदि कोई हो, या बकाया राशि की वसूली के आकलन के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले करदाताओं के मामलों में बकाया देयता की गणना करने के लिए जी.एस.टी.एन. में कोई तंत्र नहीं था, साथ ही ऐसे मामलों में जहाँ विभाग स्वतः संज्ञान के आधार पर पंजीकरण रद्द करने की पहल करता है।

मामला सरकार/विभाग को सूचित किया गया (नवंबर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि लेखापरीक्षा अवलोकन का तिर्यक सत्यापन किया जा रहा है और वास्तविक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए समय की आवश्यकता है। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2024 तक)।

अनुशंसा सं. 8: राज्य सरकार जी.एस.टी.एन. में एक तंत्र लागू करने के लिए जी.एस.टी. परिषद को प्रस्ताव दे सकती है, ताकि पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले करदाताओं के मामलों में बकाया देनदारियों की गणना और जानकारी दी जा सके, साथ ही ऐसे मामलों में जहाँ विभाग स्वतः संज्ञान के आधार पर पंजीकरण रद्द करने की पहल करता है।

2.3.9.2 बकाया देयता के सत्यापन के बिना एक ही पैन पर करदाताओं का पुनः पंजीकरण

करदाताओं द्वारा दाखिल आवेदन पर पंजीकरण रद्द करने और 10 चयनित सी.टी.सी. पर एक ही पैन के साथ इन करदाताओं के पुनः पंजीकरण से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान करदाताओं द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर 10,706 पंजीकरण रद्द कर दिए गए थे। इन रद्द किए गए करदाताओं में से 9,180 करदाताओं ने जी.एस.टी.आर.-10 (अक्टूबर 2022 तक)

में अपना अंतिम विवरणी दाखिल नहीं किया था। इसके अलावा, बैकएंड पोर्टल में एक ही पैन पर इन 9,180 विवरणी नहीं दाखिल करने वालों के पुनः पंजीकरण की स्थिति की जाँच करने पर, यह देखा गया कि 1,484 करदाताओं को एक ही पैन पर पंजीकरण की अनुमति दी गई थी। इनमें से, सात सी.टी.सी.¹³⁶ पर 28 करदाताओं के मामले में ₹ 78.76 लाख की देयता बकाया थी और इन करदाताओं को एक ही पैन पर दिए गए पुनः पंजीकरण सक्रिय थे जबकि छः करदाताओं के मामले में, पाँच सी.टी.सी.¹³⁷ पर ₹ 16.60 लाख की देयता बकाया थी और इन करदाताओं को एक ही पैन पर दिए गए पुनः पंजीकरण फिर से रद्द कर दिया गया (अक्टूबर 2022)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे विस्तार में है:

हजारीबाग सी.टी.सी. में पंजीकृत करदाता का पंजीकरण, जी.एस.टी.आई.एन.-20XXXXXXXXXXZN, 31.01.2018 को रद्द कर दिया गया था। करदाता पर ₹ 7.74 लाख की देयता बकाया थी और उनके द्वारा जी.एस.टी.आर.-10 दाखिल नहीं किया गया था (अक्टूबर 2022)। करदाता को एक ही पैन पर (10 जून 2020 को) अलग सी.टी.सी. (बोकारो) पर पुनः पंजीकरण (जी.एस.टी.आई.एन.-20XXXXXXXXXXZM) की अनुमति दी गई थी।

इस प्रकार, उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि, एक ही पैन पर नए पंजीकरण प्रदान करते समय, इन पैन पर पहले रद्द किए गए पंजीकरणों के विरुद्ध बकाया देनदारियों को समुचित अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। आगे यह देखा गया कि विभाग के आई.टी. एप्लिकेशन में उन मामलों में एक ही पैन पर नए पंजीकरण को स्वतः अस्वीकार करने की कोई प्रणाली नहीं थी, जहाँ एक ही पैन पर रद्द किए गए पंजीकरण की देयता बकाया थी।

मामला सरकार/विभाग को सूचित किया गया (नवंबर 2022); आयुक्त, सी.टी.डी. ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान कहा (फरवरी 2023) कि ₹11.24 लाख का बकाया वसूलने के लिए वसूली कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 3,727 करदाताओं को प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-3ए में सूचना निर्गत किए जा रहे हैं। शेष मामलों में ₹ 84.08 लाख की राशि के लिए विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2024)।

अनुशांसा सं. 9: विभाग समुचित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकता है जो पहले रद्द किए गए पंजीकरणों के खिलाफ एक ही पैन के विरुद्ध नया पंजीकरण प्रदान करते समय बकाया देनदारियों को सत्यापित करने में विफल रहे।

2.3.9.3 मानवबल की पर्याप्तता

विभाग के कुशल कामकाज के लिए, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित मानवबल योजना और उसकी उचित परिनियोजन आवश्यक है।

¹³⁶ धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर नागरीय, पलामू, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

¹³⁷ जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, पलामू, रामगढ़ और राँची दक्षिणी।

मार्च 2022 तक निर्णायक प्राधिकारी (उपायुक्त/सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर अधिकारी/सहायक वाणिज्य कर अधिकारी) और अन्य सहायक कर्मचारियों (लिपिक, एम.टी.एस. आदि) के संबंध में सी.टी.डी. की स्वीकृत और कार्यशील शक्ति नीचे तालिका 2.21 में दी गई है:

तालिका 2.21: सी.टी.डी., झारखण्ड के निर्णायक प्राधिकारी और सहायक कर्मचारियों की स्थिति

पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों का प्रतिशतता
निर्णायक प्राधिकारी	443	277	166	37.47
सहायक कर्मचारी	712	133	579	81.32

स्रोत: सी.टी.डी. द्वारा दी गई जानकारी

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि मार्च 2022 तक निर्णायक प्राधिकारी के संबंध में रिक्त पद 37.47 प्रतिशत थे। इसके अलावा, सहायक कर्मचारियों के संबंध में रिक्त पद 81.32 प्रतिशत थे। पर्याप्त मानवबल के अभाव ने विभाग की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जो जाँच या विवरणी की धीमी गति, पंजीकरण रद्द करने के मामलों में कार्रवाई की कमी आदि से स्पष्ट है।

अनुशंसा सं. 10: विभाग सी.टी.सी. में अनुश्रवण तंत्र को मजबूत कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि पंजीकरण रद्द करने और एस.सी.एन. निर्गत करने के मामलों में प्रक्रियाओं में उचित तत्परता का पालन किया जा रहा है।

2.3.10 निष्कर्ष

यह, जी.एस.टी. भुगतान और दाखिल विवरणी पर विभाग की निगरानी विषयक, वि.वि.अ.ले. विवरणी दाखिले की बदलती प्रवृत्ति एवं निरंतर आँकड़ा विसंगतियों के संदर्भ में विवरणी दाखिला एवं कर के भुगतान, अनुपालन की सीमा एवं अन्य विभागीय निरीक्षण कार्यों की अनुश्रवण प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करने के उद्देश्य से किया गया था।

यह वि.वि.अ.ले. मुख्य रूप से आँकड़ा विश्लेषण पर आधारित था, जिसने 2017-18 के लिए दाखिल जी.एस.टी. विवरणियों में जोखिम क्षेत्रों, चेतावनी के संकेतो और कुछ मामलों में नियम-आधारित विचलनों और तार्किक विसंगतियों पर प्रकाश डाला। वि.वि.अ.ले. अपरिहार्य रूप से राज्य क्षेत्राधिकार संरचनाओं के अनुश्रवण कार्यों का दो स्तरों पर आकलन किया - आँकड़ा स्तर पर वैश्विक आँकड़ा पृच्छाओं के माध्यम से एवं कार्यात्मक स्तर पर सी.टी.सी. और जी.एस.टी. विवरणियों दोनों के गहन विस्तृत लेखापरीक्षा, जिसमें करदाता अभिलेख तक पहुंच शामिल थी। इसलिए लेखापरीक्षा नमूने में 10 सी.टी.सी., वैश्विक पृच्छाओं के माध्यम से चुने गए मानकों में से 472 उच्च मूल्य विसंगतियों और वर्ष 2017-18 के लिए जी.एस.टी. विवरणी के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन पर 55 करदाताओं का चयन किया गया।

विभाग ने अधिनियम की धारा 61 के अधीन विवरणी की जाँच के लिए नियमावली /एस.ओ.पी. तैयार नहीं किया था। अब तक, विभाग केवल जी.एस.टी.एन. द्वारा पहचानी गई जी.एस.टी. विवरणी संबंधी विसंगतियों/ चेतावनी के संकेतो पर ही कार्रवाई कर रहा है। 10 सी.टी.सी. की समीक्षा से पता चला कि विवरणी दाखिल करने की अनुश्रवण में कमी थी।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा पहचानी गई 472 उच्च मूल्य आँकड़ा विसंगतियों में से विभाग ने 445 मामलों का प्रत्युत्तर दिया। इनमें से 255 मामले¹³⁸, जो की 50.56 प्रतिशत थे, अनुपालन में स्पष्ट विसंगतियों वाले निकले जिनमें ₹ 7,272.59 करोड़ निहितार्थ थे, जो कि ₹ 7,056.79 करोड़ के आवर्त के बेमेल के 46 मामलों और ₹ 215.80 करोड़ के कर देयता/आई.टी.सी. के बेमेल के 209 मामलों को दर्शाता है। विसंगतियों की अपेक्षाकृत उच्च दर ब्याज का कम/नहीं भुगतान, आई.टी.सी. बेमेल, अधिक आर.सी.एम. आई.टी.सी. का लाभ, गलत आवर्त घोषणाएं और कर के कम भुगतान में देखी गई। जबकि आँकड़े प्रविष्टि त्रुटियों के कारण दो प्रतिशत मामलों में विसंगतियां हुईं, विभाग ने पहले ही एक प्रतिशत से भी कम मामलों में सक्रिय कार्रवाई की थी। विभाग ने विसंगतियों के 27 मामलों का जवाब नहीं दिया है, जिसमें ₹ 44.16 करोड़ का जोखिम चिन्हित है, जो कि ₹ 30.89 करोड़ के बेमेल आवर्त के पाँच मामलों एवं ₹ 13.27 करोड़ के बेमेल कर देयता/आई.टी.सी. के 22 मामलों को दर्शाता है।

विस्तृत लेखापरीक्षा ने भी 55 मामलों के महत्वपूर्ण अनुपालन नहीं किये जाने का संकेत दिया। शुरुआत में, सभी 55 मामलों में सूक्ष्म करदाता अभिलेखों का उपलब्ध नहीं होना, लेखापरीक्षा दायरा के सीमित होने का एक महत्वपूर्ण कारक था। ये मामले ₹356.61 करोड़ के आई.टी.सी. लाभ और कर भुगतान के बेमेल को दर्शाते हैं। लेखापरीक्षा में सभी 55 करदाताओं के 238 मामलों में अनुपालन कमियां देखी गईं जिसमें ₹1,343.44 करोड़¹³⁹ के राजस्व निहितार्थ थे। बेमेल और असमाशोधित आई.टी.सी. का लाभ उठाना, आई.टी.सी. का कम/नहीं वापस किया जाना, कराधान के लिए आपूर्ति का शामिल नहीं किया जाना, चुकाई न गई कर देयता और ब्याज का भुगतान न करना मुख्य कारक थे।

अनुपालन विसंगतियों की सार्थक दर को ध्यान में रखते हुए, विभाग को समय सीमा समाप्त होने से पहले सुधारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए। प्रणालीगत दृष्टिकोण से, विभाग को विवरणियों की जाँच के लिए मैनुअल/एस.ओ.पी. तैयार करने और विवरणियों को दाखिल करने, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, पंजीकरण रद्द करने और बकाएदारों से बकाया की वसूली पर प्रभावी अनुश्रवण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए सी.टी.सी. में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। राज्य बैंक-एंड

¹³⁸ की गई वसूली: 18 मामले (₹ 3.97 करोड़), एस.सी.एन. निर्गत: 94 मामले (₹ 590.26 करोड़), ए.एस.एम.टी.-10 निर्गत: 137 मामले (₹ 6,655.93 करोड़), करदाता के साथ पत्राचार के अन्तर्गत: छ: मामले (₹ 22.43 करोड़)।

¹³⁹ विवरणी ₹ 0.86 करोड़ (कंडिका 2.3.8.2), आई.टी.सी. ₹895.28 करोड़ (कंडिका 2.3.8.3, तालिका 2.18- क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6), चुकाई गई देयता ₹ 447.30 करोड़ (कंडिका 2.3.8.4 तालिका 2.19-क्रम संख्या 1, 3, 4 एवं 6)।

एप्लिकेशन में सत्यापन नियंत्रण और एम.आई.एस. सुविधाओं को शीघ्रता से लागू करने की आवश्यकता है। विभाग करदाता अनुपालन में सुधार और विवरणियों की जाँच की सुविधा के लिए जी.एस.टी. विवरणियों में अतिरिक्त सत्यापन नियंत्रण शुरू करने पर भी विचार कर सकता है।

2.3.11 अनुशंसाओं का सारांश

अनुशंसाएं इस प्रकार हैं:-

1. समुचित अधिकारी जी.एस.टी.एन. के बैकएंड पोर्टल में निहित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं और जहाँ भी आवश्यक हो, कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, ऐसा न करने पर विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जा सकती है।
2. विभाग समुचित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकता है जिन्होंने जी.एस.टी. विवरणियों को विलंब से दाखिल करने वालों से ब्याज की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की थी।
3. विभाग: (i) अधिनियम की धारा 61 के अधीन विवरणियों की जाँच के लिए एक नियमावली/एस.ओ.पी. तैयार कर सकता है (ii) सी.जी.एस.टी. विभाग (सी.बी.आई.सी.) द्वारा अपनाई गई जाँच के लिए विवरणी के चयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया के लिए एक जोखिम-आधारित नमूना पद्धति अपना सकता है और (iii) विवरणियों की जाँच के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है।
4. विभाग 2017-18 की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा को पूरा करने के साथ-साथ 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के चयन और संचालन के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।
5. लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई इन 27 विसंगतियों और विचलनों पर विभाग तत्काल कार्रवाई कर सकता है और जिनके प्रत्युत्तर प्रदान नहीं की गई हैं, उनके परिणामों को लेखापरीक्षा को सूचित करना चाहिए।
6. विभाग आँकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों पर अंकुश लगाने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा के लिए जी.एस.टी. विवरणियों में सत्यापन नियंत्रण/सॉफ्ट अलर्ट शुरू करने के लिए जी.एस.टी. परिषद को प्रस्ताव दे सकता है।
7. विभाग इस प्रतिवेदन में सामने आए सभी अनुपालन विचलन/विसंगतियों के लिए समय सीमा समाप्त होने से पहले उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।
8. राज्य सरकार जी.एस.टी.एन. में एक तंत्र लागू करने के लिए जी.एस.टी. परिषद को प्रस्ताव दे सकती है, ताकि पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले करदाताओं के मामलों में बकाया देनदारियों की गणना और जानकारी दी जा सके, साथ ही ऐसे मामलों में जहाँ विभाग स्वतः संज्ञान के आधार पर पंजीकरण रद्द करने की पहल करता है।

9. विभाग समुचित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकता है जो पहले रद्द किए गए पंजीकरणों के खिलाफ एक ही पैन के विरुद्ध नया पंजीकरण प्रदान करते समय बकाया देनदारियों को सत्यापित करने में विफल रहे।
10. विभाग सी.टी.सी. में अनुश्रवण तंत्र को मजबूत कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि पंजीकरण रद्द करने और एस.सी.एन. निर्गत करने के मामलों में प्रक्रियाओं में उचित तत्परता का पालन किया जा रहा है।